खण्ड-315, अंक-10
सोमवार, 24 चैत्र, शक संवत् 1897
(14 अप्रैल, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 315 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1065–1068
विधान भवन के फाटक बन्द होने के कारण सदस्यों के आने में कठिनाई के सम्बन्ध में शिकायत	1069
प्रश्नोत्तर	1070–1094
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1094
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में 1973–74 का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1094
जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1095
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्रतिनिधि विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	1095–1096
श्री राजनारायण, सदस्य राज्य सभा, श्री महादीपक सिंह, संसद सदस्य तथा श्री प्यारे लाल वर्मा व श्री कमला प्रसाद वर्मा, सदस्यगण, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना	1096
विशेष अधिकार का अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं ..	1096
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी)	1096–1103
कतिपय समितियों के निर्वाचन का स्थगन ..	1103
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1103–1105
श्री मोती लाल देहलवी द्वारा श्री अध्यक्ष को लिखा गया पत्र ..	1105–1108
1975–76 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 48 खाद्य तथा पोषाहार अनुदान संख्या 43 सामान्य आर्थिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या 78 खाद्य तथा पोषाहार पर संयोगत परिव्यय (जारी)	1108–1150
नियम 351 के अन्तर्गत सूचनाएं	1150
मेसर्स सीतापुर प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड में हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य	1151–1152
अस्थियां	1153–1160

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 14 अप्रैल, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---328

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुर रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप; श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ महेरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दनसिंह, कामरेड
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)

जंग बहादुर वर्मा, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिलट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रिय दर्शी जेटली, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारतसिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री

भृगुनाथ चतुर्वेदी श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह,श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नीलाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह, श्री एडवोकेट,
मान बहादुर सिंह, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह,श्री (जिला गोंडा)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफी उल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द, श्री एडवोकेट
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसमुझ तिवारी, श्री

राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामहर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
राव मुश्ताक ,श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप , श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह,
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—लघु उद्योग मंत्री, श्री इस्तफा हुसैन, स्वायत्त शासन मंत्री, श्री जगदीश शरण अग्रवाल एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री शिव प्रसाद सिंह भी सदन में उपस्थित थे ।

विधान भवन के फाटक बन्द होने के कारण सदस्यों के आने में कठिनाई के सम्बन्ध में शिकायत

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, कोरम नहीं है। कौंसिल हाउस के सामने फाटक बन्द हैं। माननीय सदस्यों को आने नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

घन्टी बजायी जाय।

(घंटी बजायी गयी)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

प्रश्नों पर लाखों रुपया खर्च होता है। मेम्बर आ नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा डर हो गया है, मालूम होता है इनको जे0 पी0 फोबिया हो गया है। तभी सारे गेट बन्द करवा दिये हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

दारुलशफा के सामने वाला फाटक बन्द है जिससे माननीय सदस्य नहीं आ पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

शासक दल के सदस्य भी नहीं आये हैं। घंटी बज रही है।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

खाद्य की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। माननीय सदस्य आते ही होंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

दोनों फाटक बन्द हैं। मैं स्वयं देख कर आ रहा हूं। यह ऊपर लाइब्रेरी का जो कौरीडोर है उससे दिखाई पड़ रहा है।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

ऐसा है, जो लोग आना चाहते हैं, उनके लिये फाटक खोल देते हैं। यह जरूर है कि वहां पर भीड़भाड़ है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, कोरम नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप स्थगित कर दें.....

श्री अध्यक्ष—

कोरम हो गया है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही आरम्भ हुयी।)

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 14 अप्रैल, 1975

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बाराबंकी जिले की बुढ़वल चीनी मिल द्वारा समस्त उपलब्ध गन्ने की खरीद की मांग

**1—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 18 मार्च, 1975 से लगातार चीनी मिल बुढ़वल, जिला बाराबंकी के गन्ना क्रय केन्द्र बंदी सराय एवं कडाकापुर पर तौल बन्द करने का प्रयास मिल अधिकारी कर रहे हैं तथा क्षेत्रीय गन्ना किसान रात दिन गन्ना क्रय केन्द्र के तौल यन्त्र की निगरानी कर रहे हैं जब कि उक्त क्षेत्र में हजारों बीघा गन्ना अभी खेतों में खड़ा है ? यदि हां, तो क्या जब तक किसानों का गन्ना समाप्त न हो जाय तब तक गन्ना क्रय केन्द्र चालू रखने के आदेश सरकार ने दे दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

जी नहीं। प्रश्नगत मिल समस्त उपलब्ध गन्ने की पेराई समाप्त करने के उपरान्त ही वर्तमान सीजन के लिये बन्द होगी।

बहराइच नगरपालिका द्वारा दुकानदारों को बेदखली की नोटिस

**2—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को इसकी जानकारी है कि नगरपालिका, बहराइच द्वारा मार्च, 1975 में नगरपालिका की पक्की दुकानों के लगभग 100 दूकादारों को बिना कारण बताये बेदखली के नोटिस जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो नोटिस जारी करने का कारण क्या है जब कि दूकानदार विधिवत् एलाटमेंट पाकर कई वर्ष से इन दूकानों पर काबिज हैं ? क्या सरकार यह नोटिसें वापस लिवाने की कृपा करेगी ?

स्वायत्त शासन, मंत्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)—

जी हां। नगरपालिका, बहराइच ने 104 दुकानदारों को दिनांक 10-3-1975 को दुकानें खाली करने हेतु नोटिस जारी किये हैं जिस पर दुकानदारों ने उच्च न्यायालय से स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया है। अब मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, इसमें मुझे मंत्री जी से यह कहना है कि बहुत पहले नगरपालिका, बहराइच ने लोगों को किराये पर दुकानें दी थीं और उसमें वह लोग वर्षों से चले आ रहे हैं। अब वहां पर अधिकारी उनसे पगड़ी मांग रहे हैं, उन्होंने एडवांस नहीं दिया तो उनको नोटिस दे दिया गया है कि आप इन दुकानों से हट जाइये। यह बात सही है कि यह मामला विचाराधीन है। तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आप अपने गुड आफिस इसमें इस्तेमाल करें और उन गरीब लोगों को वह दुकानें फिर से दिलायें और जो नोटिस दिया गया है, उसके लिए कहें कि वापस लें।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, नीति यही है कि जब दुकानें दुबारा आवंटित होंगी तो उसमें उनको प्राथमिकता दी जायेगी जो लोग वहां बैठे हुए हैं। उनको जो नोटिस देना पड़ा उसका कारण यह है कि 30 साल से वह दुकानें किराये पर हैं, दुकानदारों की अब आय बढ़ गई है और इस हिसाब से वास्तव में किराया कम है, हमने चाहा कि किराया बढ़ा दें, उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया तो उनको ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की धारा 11 में नोटिस दिया गया। अब दुबारा आवंटन करेंगे तो उसमें प्राथमिकता देंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरा ऐसा ख्याल है कि मंत्री जी को सही सूचना नहीं आई है। मैं उनको यह जो नोटिस दिया गया है, पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। आपने इसमें कहीं नहीं कहा है कि दुबारा आपको दिया जायेगा। बहराइच नगरपालिका ने जो नोटिस दिया है उसमें लिखा हुआ है कि "बहराइच नगरपालिका 25 ए स्थित आजाद हिंद पार्क में आपको किराये में नहीं रखना चाहती है अतः आप इस नोटिस की प्राप्ति के एक महीने के अन्दर खाली कर दें।" तो इसमें कहां लिखा हुआ है कि आप किराया बढ़ायें वर्ना आप खाली कर दें? तो यह जो आपने बयान दिया है, यह गलत है क्योंकि नोटिस में कहीं नहीं दिया हुआ है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, मेरा बयान बिलकुल सही है। माननीय सदस्य कृपा करके ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की दफा 11 पढ़ लें उसमें कोई कारण नहीं लिखा जाता है। हमारी जो नगर-पालिका है इस पर रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट लागू नहीं होता है। तो फिर साधारण ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में टरमिनेशन आफ टेनेन्सी का नोटिस देंगे तब वह टरमिनेट कर सकेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के हजारों केस मैंने देखे हैं, मैं जानता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यही चाहते थे कि किराया बढ़ायें तो क्या आपने कोई प्रयास किया कि उनको बुला कर कहा हो कि हमें इतना किराया दीजिये तब हम रखेंगे वर्ना मकान खाली कर दो।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

उसका भी प्रयास किया गया उनकी समझ में नहीं आया तब यह सोचा कि पहले टरमिनेशन किया जाय तब किराया बढ़ाया जाय।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस समय से उन्होंने किराया देना प्रारम्भ किया तब से आज तक कुल कितना किराया अदा कर दिया है और उस समय दुकानों की कीमत क्या थी तबसे उनकी कीमत भी अदा हो गयी होगी? यदि हां, तो कानून के अनुसार दुकानों की कीमत पूरी हो जाने पर वह उनको दे दी जानी चाहिये थी। तो क्या उस हालत में वह नोटिस वापस लेंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह तो न्यायालय का आदेश है, आप कैसे कह सकते हैं?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक दुकानों का किराया क्या था और अब कितना किराया मांगा गया है?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मैंने निवेदन किया कि किराया सिर्फ 25 रुपये था। इस नोटिस में जैसा मैंने बताया कि किराया नहीं मांगा गया है। पहले टरमिनेशन होगा उसके बाद आपस में समझौता होगा तथा जो भी किराया तय होगा वह निश्चित होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, कितना दुर्भाग्यपूर्ण यह रिप्लाई है कि अभी तक कोई समझौते का प्रयास नहीं हुआ। इस तरह का उत्तर दिया जाय और वहां पर गरीब आदमियों को परेशानी हो रही है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को यह बात दुर्भाग्यपूर्ण लगती है। मुझ यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि माननीय सदस्य वास्तविकता को देखें। तीस साल पहले वहां किराया

निश्चित हुआ है उसे बढ़ाया जा रहा है और वहां की नगरपालिका की आवश्यकताएं सुप्रीम हैं, वहां की सेवाओं का मूल्य बढ़ गया, कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया, उसकी कैसे पूर्ति की जाएगी, यदि उनकी सम्पत्ति की आय न बढ़े ?

उन्नाव जिले के ग्राम मझिगवां सदकू के हरिजनों को मारे-पीटे जाने की घटना

**3—श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक 27 मार्च, 1975 को ग्राम मझिगवां सदकू, थाना पुरवा, जिला उन्नाव में लगभग 60–70 हरिजनों को एक मन्दिर पर फाग गाते समय सवर्णों द्वारा घेर कर लाठी, डन्डों तथा बन्दूक के कुन्दों से पिटाई की ? उनको घरों में दौड़ाकर मारापीटा जिससे उनके घरों की औरतों को भी गम्भीर चोटें आईं तथा उनके घरों के छप्परों को नीचे गिरा दिया ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

दिनांक 28–3–75 को पूर्वान्ह में ग्राम मझगवां सदकू, जिला उन्नाव के 11 हरिजनों की ओर से एक लिखित रिपोर्ट थाना पुरवा, जिला उन्नाव पर प्राप्त हुई जिसमें 9 नामांकित सवर्णों द्वारा 27–3–75 को सूचना देने वाले लोगों को भुइयां देवी के चबूतरे के पास फाग गाते समय लात, जूतों, डंडों से मारे पीटे जाने की शिकायत थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि उनके भाग कर घरों में घुसने पर घरों पर भी हमला किया गया, ईट पत्थर चलाये गए और छप्पर गिरा दिये गए। इस रिपोर्ट में 5 पुरुषों तथा 1 बालक को चोटें आने का उल्लेख था ।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 147/323/506 भारतीय दंड विधान कायम किया गया। पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया तथा शेष नामांकित अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया ।

चोट खाये लोगों की डाक्टरी जांच से 4 व्यक्तियों को साधारण चोटें आना पाया गया शेष 2 के कोई जाहिरा चोटें नहीं पाई गईं । विवेचना जारी है ।

घटना की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हरिजनों के मकान या छप्परों को किसी प्रकार की क्षति होना नहीं पाया गया ।

ग्राम में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये सशस्त्र गार्ड की नियुक्ति कर दी गई है और दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा रही ह ।

मुख्य सचिव, श्री बी० डी० सनवाल और पुलिस महानिरीक्षक, श्री एच० के० कर के कार्यकाल में वृद्धि

**4—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि प्रदेश के मुख्य सचिव (श्री बी0 डी0 सनवाल, आई0 सी0 एस0) का सेवा कार्य काल 25 मार्च, 1975 को तथा वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक (श्री एच0 के0 कर) का सेवा कार्य काल 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि वे लोग अब भी अपने पद पर बरकरार हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां । मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक के सेवा कार्यकाल में प्रशासनिक कारणों से वृद्धि की गई है और उन्हें आदेश दिये गये हैं कि वे अभी अपने पदों पर कार्यरत रहें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

श्रीमन्, प्रश्न पूछने के पहले मैं यह समझ लूं क्योंकि यह मैं समझ नहीं पाया। यह बड़ा वेग टर्म है—प्रशासनिक कार्यों से। इसका तात्पर्य पहले समझ लूं, फिर और प्रश्न करूं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रशासकीय कार्यों के माने प्रशासकीय कार्य।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

प्रशासकीय नहीं प्रशासनिक है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

'के' और 'ने' में यह बात है तो 'के' पढ़ लिया जाए।

श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि अब तक शासकीय कार्यों से इनको जो रिटायरमेन्ट नहीं दिया गया, तो बजट सत्र के बाद मई में सरकार इन दोनों उच्चाधिकारियों को सेवा से हटाएगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जैसे ही जरूरत महसूस होगी, जिन कार्यों से, जिन कारणों से ये रखे गये, वे नहीं हैं, उसी वक्त इनके रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

ये दोनों व्यक्ति सरकार की इच्छा के अनुसार डान्स करते हैं, इसीलिये इनकी अवधि बढ़ाई गई है। क्योंकि मुझे स्मरण है कि एक व्यक्ति जो आफिसर्स ट्रेनिंग कालेज में हैं; रिटायर हो गये थे, 8 वर्ष हुए, फिर से वह 1900 रुपये मासिक पर नियुक्त कर दिये गये। कोई मिस्टर रैना हैं। जबकि एक जवाब में एक बार उन्होंने कहा था कि 50 वर्ष से ऊपर वालों की क्षमता नहीं रह जाती है, इसलिये हम नीचे की उम्र वालों को बढ़ाते हैं, आगे। उन्होंने यह भी कहा था कि ऊपर से किसी का कार्यकाल बढ़ाया न जाए, जवान आदमियों को अवसर मिले। तो उस वक्त जो उसूल सदन के सामने रखा था, वह अभी कायम है या उसे बदला कुछ प्रशासनिक कार्यों से, जिसे वह एक्सप्लेन भी नहीं करते ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह ठीक है कि माधवबाबू की उम्र का कोई आदमी उतना जवान नहीं रह जाएगा, जितना वह हैं। यह आदमी-आदमी में फर्क होता है। कुछ लोग कभी बूढ़े होते हुए भी जवान रहते हैं। रिटायर आदमी को जो लेने की चर्चा है, यह उनका आखिरी साल है। चूंकि नैनीताल में जो उम्र कही जा सकती है, उसके अन्दर जिस तरह से तैयारी होनी चाहिये अफसरों के लिये—उसके लिये दागवेल डालने की, शुरुवात करने की, जो बेहतरीन हो जाती। इसलिये थोड़े समय के लिये उनको लिया गया। इस वर्ष कुछ उनका कार्यकाल बढ़ाया भी नहीं जा रहा है। जो आयु का सवाल है, कुछ लोग हैं, जो 20 ही साल में बूढ़े हो जाते हैं और कुछ माधव प्रसाद जी की तरह के लोग हमेशा अनन्त यौवन का उपभोग करते रहते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम चाहते हैं कि बहुगुणा जी का हमेशा रहें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आज प्रदेश में कोई भी कानून और व्यवस्था नहीं रह गई है। जितनी भी प्रशासनिक स्थिति है, बड़ी असन्तोष जनक है। तो क्या पूर्व में ऐसा कोई उदाहरण रहा है जबकि प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिरीक्षक जैसे उच्च पदाधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, इसका उदाहरण यहां नहीं देखा, लेकिन केन्द्र में दसियों उदाहरण दिए जा सकते हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैं केन्द्र की नहीं पूछता हूं, मैं तो अपने प्रदेश की पूछता हूं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

तब तो प्रदेश के लिये सूचना की जरूरत होगी ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, केन्द्र से सम्बन्धित, जबकि मैंने तो प्रदेश के सम्बन्ध में पूछा है और ऐसी स्थिति में बराबर अध्यक्ष की तरफ से व्यवस्था होती है .....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, सवाल के दो पहलू हैं । एक कहते हैं कि न्याय, व्यवस्था नहीं रह गई है । जिस दल का वह प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें न्याय व्यवस्था न रह जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, भारतीय लोक दल में केवल एक दल है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मान्यवर, भारतीय लोक दल में केवल एक ही दल है, जिसे भारतीय लोक दल कहते हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, जब तक चौधरी साहब के नेतृत्व में यह दल रहेगा तब तक वह स्थिति पैदा नहीं होगी । लेकिन जहां तक दूसरे पहलू का सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कभी हुआ कि नहीं, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, इस सेवा कार्य-काल बढ़ाने के कारण जो पुलिस फोर्स में व्यक्ति हैं उनमें घोर असंतोष है । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का पता लगवायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, तीन चौथाई काम एक व्यक्ति ने कर लिया, जब तक वह पूरा काम कर नहीं ले, तब तक बदलना ठीक नहीं होता । राष्ट्रपति शासन के जमाने में बहुत सारे परिवर्तन के सुझाव दिये गये थे, हमारी खुद कमेटी उस पर बैठी थी, पुलिस के सभी अधिकारी यह चाहते थे कि उसके संबंध में जो कार्य हो, उसको कोई दिशा मिल जाय । तब एक नया आदमी उस जगह पर आवे, तो कोई कठिनाई न होगी । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें सिवाय प्रशासनिक कारणों के और दूसरा कारण नहीं हो सकता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मुख्य सचिव, श्री बी० डी० सनवाल, जब चेयरमैन, एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन थे, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे और तत्कालीन सरकार ने यह संस्तुति किया कि इनको निलम्बित कर दिया जाय । उनके खिलाफ जितने आरोप थे, वे सब सिद्ध भी हो गये थे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, माधव बाबू की राय मानकर माननीय सदस्य प्रश्न न करते तो मेरे लिए बड़ा बुरा हो जाता, क्योंकि यह बात सच नहीं है कि जो आक्षेप की बात माननीय सदस्य कहते हैं । जहां तक इसकी बात है कि मुख्य सचिव पर कोई अभियोग या उनके संबंध

मैं कोई सरकार या मेरी सरकार ने उनके खिलाफ कुछ लिखा है, तो यह बात सच नहीं है। उनको कोई दंडित करने या उनको सेंसर करने या उनके कैरेक्टर रोल में खिलाफ इन्ट्री करने की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी और न आई है और न आयेगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

आगरा जिले के सेल्स टैक्स कार्यालय द्वारा दूकानदारों को दी गयी कथित फर्जी नोटिस

*1—श्री हरि केवल (जिला देवरिया) तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि आगरा जिले के सेल्स टैक्स अधिकारी के कार्यालय से वर्ष 1974-75 में कुछ फर्जी नोटिस दूकानदारों को भेज कर कार्यालय के अधिकारियों ने पचास हजार से अधिक रुपया एकत्र कर लिया है और इस सम्बन्ध में फर्जी नोटिस के फोटो कापी सहित आवेदन पत्र उन्हें जनवरी, 75 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनवरी, 1975 में प्रश्न में उल्लिखित प्रकार का कोई आवेदन-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले के मुख्य निबंन्धन लिपिकों का स्थायीकरण

*2—श्री राम लखन (जिला बस्ती) तथा श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद के मुख्य निबन्धन लिपिकों के स्थायीकरण से सम्बन्धित कागजात जो जिला निबन्धक, फर्रुखाबाद द्वारा जिला निबन्धक; बांदा व इटावा तथा महानिबन्धन निरीक्षक, इलाहाबाद से मांगे गये थे, अप्रैल, 1974 से 31 जनवरी, 1975 तक नहीं भेजे गये? यदि हां; तो क्यों? दोषी कौन-कौन अधिकारी ह? क्या सरकार उक्त स्थाईकरण से सम्बन्धित कागजात जिला निबन्धक (फर्रुखाबाद) के पास कार्यवाही हेतु शीघ्र भेजने का आदेश देने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस संबंध में जिला निबंधक, फर्रुखाबाद ने जिला निबंधक बांदा, इटावा तथा निबन्धन महानिरीक्षक, इलाहाबाद से कोई कागजात अप्रैल, 1974 में नहीं मांगे अतः अप्रैल, 1974 से इन कागजात के न भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

स्थाईकरण संबंधी कार्यवाही निबंधन महानिरीक्षक द्वारा पूरी की जा चुकी है। शासन के स्तर पर उसका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री राम लखन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महानिबन्धन निरीक्षक द्वारा शासन को रिपोर्ट कब मिली?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शासन को 7 अप्रैल, 1975 को जानकारी प्राप्त हुई। महानिबन्धक निरीक्षक ने 25 जनवरी को पहली चरित्र पंजिका आदि मांगी थी।

श्री राम लखन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसको शीघ्रता पूर्वक पूरा करने की कोशिश की जायेगी।

फालतू घोषित किये सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) को सहायक निरीक्षक सहकारिता के पद पर पुनर्नियुक्ति

*3—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्योग विभाग के फालतू घोषित कितने सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) 1968 में सहकारिता विभाग में सहायक निरीक्षक सहकारिता के पद पर खपाये गये और उनमें से कितने लोग आबकारी निरीक्षक के पद पर चुने गये तथा कितने लोग सचिवालय में कनिष्ठ और प्रवर वर्ग सहायक के पद पर चुने गये और उन सबके वेतन का निर्धारण किस आधार पर हुआ था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्ष 1968 में उद्योग विभाग के फालतू घोषित 230 सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) सहायक निरीक्षक सहकारिता के पदों पर तथा 31 आबकारी निरीक्षक के पदों पर खपाये गए। सचिवालय में कनिष्ठ/प्रवर वर्ग सहायक के पद पर कोई भी व्यक्ति नहीं खपाया गया। इनका वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या 88(1)66 ओ० एण्ड एम०, दिनांक 2-3-1967 के अन्तर्गत किया गया।

कानपुर जिले की फर्जी लघु उद्योग इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति

*4—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—

क्या लघु उद्योग मंत्री बतायेंगे कि कानपुर में अक्तूबर, 1974 में कितनी फर्जी लघु उद्योग इकाइयां पकड़ी गई तथा ये कितने वर्ष से चल रही थी और इन इकाइयों को कच्चे माल का लाइसेन्स या कोटा किस आधार पर दिया जाता था ? फर्जी इकाइयों से कितने अधिकारियों का अवैध सम्बन्ध पाया गया और इससे पहले इन इकाइयों का पता क्यों नहीं चल पाया था ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री इस्तफा हुसैन)—

अक्तूबर, 1974 में कानपुर में 23 बन्द या लापता इकाइयों का पता लगा। इन इकाइयों को कच्चे माल का लाइसेन्स या कोटा उनकी आवश्यकता तथा क्षमता को आंकने के बाद दिया गया। इकाइयों से अधिकारियों के संभावित अवैध सम्बन्ध के बारे में सी० आई० डी० द्वारा जांच की जा रही है। इससे पहले इन इकाइयों का पता इस कारण नहीं चल पाया क्योंकि औद्योगिक इकाइयों की सुनियोजित गणना इसके पूर्व नहीं की गयी थी।

सीतापुर जिले के उद्योग कार्यालय के मुख्य लिपिक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*5—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिला उद्योग कार्यालय के प्रधान लिपिक तथा कुछ अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता सम्बन्धी शिकायती पत्र श्री सुन्दर लाल (स्वर्णकार) द्वारा जिलाधिकारी, सीतापुर को दिनांक 26 दिसम्बर, 1974 से 15 जनवरी, 1975 के बीच मिला ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या है तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री इस्तफा हुसैन—

जी हां।

मुख्य शिकायत घूसखोरी की थी। जांच कराई गयी। आरोप निराधार पाए गए।

श्री बाबू लाल वर्मा—

उद्योग कार्यालय के प्रधान लिपिक और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत सुन्दर लाल स्वर्णकार ने की थी, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह शिकायत क्या थी ?

श्री इस्तफा हुसैन---

केवल प्रधान लिपिक के विरुद्ध शिकायत थी, किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत नहीं थी और जो शिकायत थी, वह यह थी कि हमसे पैसा मांगा। हमने उसकी जांच करायी है। तो उन तमाम लोगों ने जिन्होंने शिकायत की थी, लिखकर दे दिया है कि हमने शिकायत नहीं की है, हमने तो कर्जे के माफी के सिलसिले में प्रार्थना-पत्र दिया था।

श्री बाबूलाल वर्मा---

शिकायत की जांच किसने की और क्या सुन्दर लाल स्वर्णकार के बयान लिए गये ? यदि हां, तो उनके क्या बयान हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन---

शिकायत की जांच जिला उद्योग अधिकारी ने की।

श्री बाबूलाल वर्मा---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। सुन्दर लाल ने प्रार्थना-पत्र दिया, क्या उसके बयान लिये गये ? और उसके बयान क्या थे ?

श्री इस्तफा हुसैन---

मैंने उत्तर में पहले बताया कि उन लोगों से पूछा गया था और उन्होंने लिखकर दे दिया कि जो हमने दरख्वास्त दी थी वह केवल कर्जा माफी के सिलसिले में थी।

श्री बाबूलाल वर्मा---

मैं सुन्दर लाल के बारे में पूछ रहा हूं। सुन्दर लाल से पूछा गया कि नहीं, जिन्होंने शिकायत की थी ?

श्री इस्तफा हुसैन---

श्रीमन् क्या कहा, फिर कह दें ?

श्री बाबूलाल वर्मा---

क्या सुन्दर लाल से पूछ-ताछ की गयी, उसका बयान क्या है ?

श्री इस्तफा हुसैन---

प्रधान लिपिक के घूस लेने के सम्बन्ध में शिकायत थी तो उसकी जब जांच करायी गयी तो उन सब लोगों ने लिखित रूप से कहा कि प्रधान लिपिक द्वारा रिश्वत लिए जाने के बारे में नहीं दिया बल्कि कर्जा के बारे में दिया था।

आजमगढ़ जिले की जिला बुनकर कोआपरेटिव सोसाइटी को दिया गया अनुदान

*6---श्री रामअधार (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ की जिला बुनकर कोआपरेटिव सोसायटी को सरकार ने सन् 1974 तक कितना कर्ज और अनुदान दिया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उसके संचालक कौन से लोग हैं ? क्या यह सही है कि उस सोसायटी में गबन हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करायी गयी और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री इस्तफा हुसैन---

जिला बुनकर कोआपरेटिव सोसायटी मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ को सन् 1974 तक सरकार द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया; केवल 4303 रु0 का अनुदान दिया गया।

उपरोक्त सोसायटी के संचालक निम्नलिखित लोग हैं :—

1—डा0 मो0 बशीर; वाइस, प्रेसीडेन्ट
2—मास्टर मो0 यासीन, संचालक
3—श्री अशरफ अली, प्रबन्ध संचालक
4—मोलवी बरकतुल्ला, संचालक
5—श्री नूरूल्लाह, संचालक
6—श्री हाफिज बशीर अहमद, संचालक
7—श्री हाजी अब्दुल रऊफ, संचालक
8—श्री हाजी अब्दुल सलाम, संचालक।

इस सोसायटी में गबन की कोई सूचना नहीं है अतः जांच कराने अथवा रिपोर्ट का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जिले की मेसर्स पैरामाउन्ड इंजीनियरिंग वर्क्स को दिया गया अलौह धातु का आयात लाइसेन्स

*7—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स पैरामाउन्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, लखनऊ का पंजीकरण किन आधारों पर किसकी संस्तुति पर कब किया गया और पंजीकरण के कितने दिन बाद कितनी पूंजी के नियोजन और कितनी उत्पादन क्षमता के आधार पर कितने रुपये के अलौह धातुओं के आयात लाइसेंस की सिफारिश केन्द्र सरकार से की गयी ? आयात लाइसेंस और अलौह धातुओं का सामान प्राप्त करने के कितने दिनों बाद उपरोक्त फर्म उत्पादन करना बन्द कर दिया और क्यों ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय काशी नाथ मिश्र जानबूझकर अबसेन्ट हो गये हैं। ये हमको कहते हैं ? क्यों नहीं हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—

प्रश्नगत औद्योगिक इकाई से सम्बन्धित अभिलेख सी0 बी0 आई0 द्वारा की जा रही जांच के सम्बन्ध में गए हैं। अत: वांछित सूचना देना सम्भव नहीं है।

[14 अप्रैल, 1975 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कानपुर जिले में आयोजित फिल्म स्टार नाइट पर मनोरंजन-कर न लगाया जाना

*1—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक 3 दिसम्बर, 1974 को कानपुर में जो फिल्म स्टार नाइट हुई थी उस पर इन्टरटेनमेन्ट टैक्स लिया गया ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

8 दिसम्बर, 1974 को कानपुर में आयोजित फिल्म स्टार नाइट पर इन्टर-टेनमेन्ट टैक्स नहीं लिया गया। उक्त आयोजन को मनोरंजन कर के भुगतान से आयोजकों के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर द्वारा विमुक्ति प्रदान कर दी गई थी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कौन-कौन फिल्म स्टार्स आए और कितनी आमदनी हुई और इससे किस-किस को क्या-क्या लाभ हुआ और कितना इन्टरटेनमेंट माफ किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने खुद जाकर क्यों नहीं देखा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, जो सूचना प्रसारित की गई उसमें श्री शत्रुघन सिंहा, हेमा मालिनी, जौनी वाकर, नरेन्द्र चंचल, शैलेन्द्र, पदमा खन्ना, रानी मुखर्जी और दिनेश हिंगी आदि के नाम घोषित किए गए थे। कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट, सुल्तानपुर को पैसा देने के लिए यह योजना बनी थी; मनोरंजन कर ऐक्ट की धारा के अनुसार जिलाधीश को जो पावर्स डैलीगेटेड हैं, उसके अनुसार उन्होंने मनोरंजन कर माफ किया था।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कितनी आमदनी हुई और संस्था को कितना रुपया दिया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें 1,37,590 रुपये के 3,985 टिकट बिके और 34,397 रुपये 50 पैसे के मनोरंजन-कर की छूट दी गई।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

संस्था को कितना रुपया मिला ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने अभी निवेदन किया कि 1,37,590 रुपया टिकट की बिक्री का मिला जिसमें 34,397.50 रुपये की मनोरंजन-कर की छूट का निहित है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जो लोग आए थे क्या उनको भी कुछ रुपया दिया गया था ? संस्था को कितना रुपया पहुंचा, खर्चे, को निकाल कर या क्या यहीं सब हड़प हो गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार कमला नेहरू मेमोरियल सोसाइटी सिविल लाइन्स, सुल्तानपुर के सेक्रेटरी श्री राजेश्वर प्रसाद का जो सार्टिफिकेट है, उसके अनुसार 1,37,590 रुपया पूरा का पूरा संस्था के हिसाब में जमा हुआ है विदाउट डिडक्शन औफ एनी एक्सपेन्डिचर।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म स्टार नाइट किस तारीख को हुई और एक्जेम्प्शन के लिए प्रार्थना किसने और कब दी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

8 दिसम्बर, 1974 को फिल्म स्टार नाइट कानपुर में आयोजित हुई और इसके लिए जिलाधिकारी, कानपुर को अर्जी दी गई दिनांक 16 नवम्बर, 1974 को। एक्जेम्पशन के लिए 7 दिसम्बर, 1974 को आदेश जिलाधिकारी ने पारित किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या कारण है कि जब 8 दिसम्बर, 1974 को फिल्म स्टार नाइट हुई तो उसके पहले एक्जेम्पशन की दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पहले ही तो दरख्वास्त दी गई 16 नवम्बर, 1974 को और 7 दिसम्बर, 1974 को आदेश दिया गया और 8 दिसम्बर, 1974 को फिल्म स्टार नाइट मनाई गई।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

जो इस पर खर्च हुआ वह संस्था ने बर्दाश्त किया या सरकार ने बर्दाश्त किया। और फिल्म स्टारों को बुलाने में जो खर्चा हुआ वह कितना हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह खर्च सोसाइटी ने किया होगा। इसका विवरण नहीं है।

बदायूं जिले के चीनी बिक्रेताओं के विरुद्ध शिकायतें

*2—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद बदायूं के जिला पूर्ति कार्यालय में स्थानीय किन-किन चीनी उपभोक्ताओं के विरुद्ध 1974 में कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुयीं और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

जनपद बदायूं के जिलापूर्ति कार्यालय में स्थानीय किसी भी चीनी उपभोक्ता के विरुद्ध सन् 1974 में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुयी। अतएव उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

कितने चीनी विक्रेताओं के खिलाफ शिकायती-पत्र प्राप्त हुये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

1974 में जिला पूर्ति कार्यालय में 10 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे। 11 चीनी विक्रेताओं के खिलाफ जांच की गयी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

उसके फलस्वरूप कार्यवाही क्या हुई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

5 चीनी विक्रेता जो शहर के थे तथा 6 ग्रामीण क्षेत्र के थे, इनके खिलाफ जांच की कार्यवाही की गयी। शहर में इनमें से तीन दूकानों को निलम्बित किया गया और उनके स्थान पर अन्य चीनी विक्रेताओं को नियुक्त किया गया। दो देहाती क्षेत्र में निलम्बित की गयीं, तहसीलदार ने उनकी जांच की, जांच में शिकायतें निराधार पायी गयीं। 6 अन्य के खिलाफ शिकायतों की जांच की गयी। यह सब कार्यवाही की गयी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जिलापूर्ति कार्यालय में लगभग 1 लाख रुपये रोजाना की आमदनी है, जो घूसखोरी के रूप में होती है। क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है, मैं सबूत देने को तैयार हूं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सरकार हर भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए तैयार है, आप निश्चित शिकायत लिख कर दीजिये, जरूर जांच करायेंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मैंने जितनी शिकायतें लिख कर दी हैं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उनको जांच के लिए भेजा गया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

साल-साल भर तक जांच नहीं होती। अगर साल भर जांच होती रहेगी तो भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा ? मैंने लिख कर शिकायतें दी है तथा डाकूमेन्ट और कागजात लगाकर दिये हैं, मुझसे पूछा तक नहीं गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जो भी शिकायती-पत्र आता है, उस पर जांच की जाती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरा मान्यवर, व्यक्तिगत अनुभव है कि जब भी कभी चीनी के विक्रेताओं के खिलाफ शिकायत की जाती है जांच में 6-8 महीने का इतना समय लगा दिया जाता है कि जांच

का मतलब ही समाप्त हो जाता है। सब अधिकारी मिले रहते हैं। तो क्या मन्त्री जी ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगी कि एक निश्चित समय के अन्दर जांच अवश्य हो जाया करे, 15 दिन, 20 दिन, या एक माह में। आज पब्लिक कराह रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, सप्लाई आफिसर तथा इन्सपेक्टर से उनकी सांठ-गांठ रहती है, कलेक्टर भी मिल गया तो भगवान मालिक है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस तरह के आदेश है कि निश्चित समय के अन्दर कम से कम तीन महीने से ज्यादा समय न लिया जाय। इस तरह के आदेश है लोगों को।

मेरठ जिले के राजकीय कटलरी सेन्टर को फोर्स तथा हीट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में परिणत किया जाना

*3—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1969-70 में राजकीय कटलरी सेन्टर, मेरठ को फोर्स तथा हीट ट्रीटमेन्ट वर्कशाप में बदल दिया गया और तय किया गया कि वर्कशाप में डिस्क हैरी, फारेस्ट लागिंग चीनी मिल के फालतू पुर्जे बनायें जायेंगे? यदि हां, तो उक्त पुर्जों का निर्माण कब से प्रारम्भ किया गया?

श्री इस्तफा हुसैन—

यह सत्य है कि वर्ष 1969-70 में राजकीय कटलरी सेन्टर, मेरठ को फोर्स्ड तथा हीट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में बदल दिया गया और यह तय किया गया कि वर्कशाप में डिस्क हैरी, फारेस्ट लागिंग तथा चीनी मिल के फालतू पुर्जे बनाए जायेंगे।

फारेस्ट लागिंग टूल्स का निर्माण 1969-70 से, हैरोज का निर्माण वर्ष 1970-71 से तथा डिस्क हैरो का निर्माण जनवरी, 1972 से प्रारम्भ किया गया। चीनी मिल के फालतू पुर्जे का निर्माण-कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बदल को करने में और इस राजकीय कटलरी सेन्टर, मेरठ वर्कशाप को बदलने में कितना रुपया सरकार का खर्च हुआ और आज 4 वर्ष हो गए, चीनी मिलों के पुर्जे अभी तक बनने शुरू नहीं हुए, क्यों? और अब कितने दिनों में बनने शुरू हो जायेंगे?

श्री इस्तफा हुसैन—

चीनी मिलों के फालतू पुर्जे बनाने का उद्देश्य था लेकिन जरूरत नहीं समझी गयी। इसलिए कि चूंकि और जगह चीनी मिलों के फालतू पुर्जे बन रहे थे और कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए नहीं बनाए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना रुपया खर्च हुआ इसके बदलने में और क्या कारण है कि चीनी मिलों के पुर्जे अभी तक नहीं बना पाए? क्या आपने इरादा छोड़ दिया कि चीनी मिलों के पुर्जे अब नहीं बनायेंगे?

श्री इस्तफा हुसैन—

कितना रुपया इस सेन्टर के बदलने पर खर्चा हुआ, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है। चीनी मिलों के पुर्जे अब नहीं बनाने हैं।

राजकीय उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशाला, गाजियाबाद द्वारा उपकरणों का निर्माण

*4—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966-67 में स्थापित उपकरण कक्ष व परीक्षण प्रयोगशाला, गाजियाबाद द्वारा उपकरण निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया गया तथा क्या परीक्षण कार्य की दृष्टि के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति की उपलब्धियां संतोषजनक थीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री इस्तफा हुसैन--

1966-67 में स्थापित राजकीय उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशाला, गाजियाबाद का उद्देश्य उपकरणों का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण करना नहीं है।

परीक्षण कार्य की दृष्टि से निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति की उपलब्धियां परिस्थितियों को देखते हुए संतोषजनक हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इस प्रश्न से ऐसा कुछ मालूम होता है कि सरकार ने बचा कर जवाब दिया है। सन्तोषजनक इसकी उपलब्धियां नहीं हैं, दूसरे कारणों से इनको कहना पड़ा कि परिस्थितियों को देखते हुए सन्तोषजनक हैं। वह कौनसी परिस्थितियां हैं कि जिनके कारण यह उत्तर देना पड़ा और बिना परिस्थितियों के सन्तोषजनक होने पर लक्ष्य क्या होता?

श्री इस्तफा हुसैन--

दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए हमने सन्तोष प्रकट किया। वह यह है कि जितनी आवश्यकता थी उनकी हम पूर्ति कर पाते हैं कि नहीं। बाहर हम उन लोगों की, जिन्हें इन पुर्जों की जरूरत थी, इनका परीक्षण कर सकते हैं या नहीं और जो लक्ष्य था उसको पूरा कर पाते हैं कि नहीं। इसी से हमने अपना सन्तोष प्रकट किया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जो आपका लक्ष्य था उसके किस हद तक आप पहुंचे?

श्री इस्तफा हुसैन--

जैसे कि धातुओं के परीक्षण का कार्य हम करते हैं और जो इन्जन हैं, उनका टेस्ट करते हैं। 1969-70 में 500 तेल इंजन के परीक्षण करने थे, उसके अगेन्स्ट 434 का कर लिया। इतने ही आए, इसलिये हमने यह समझा कि यह सन्तोषजनक है। तेल इंजन, 1971-72 में 275 का परीक्षण करना था पर 470 का किया गया।

*5--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

बहराइच जिले में चावल पर लगी लेवी को हटाने की मांग

*6--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि बहराइच जिले की सूखा स्थिति एवं भुखमरी को देखते हुए चावल पर लगी 80 प्रतिशत लेवी तुरन्त हटाने के आदेश करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी नहीं।

बहराइच जनपद में सूखे तथा भुखमरी की स्थिति की कोई सूचना शासन को नहीं है। इसके अतिरिक्त चावल पर लगी लेवी प्रभाव सीधे चावल मिलों तथा लाइसेन्सदार हलरों पर पड़ता है न कि उत्पादकों पर।

गोण्डा जिले के विकास क्षेत्र रेहरा तथा बभन जोत के अन्तर्गत निरस्त की गयी चीनी की दुकानें

*7--श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेगी कि गोन्डा जिले के विकास क्षेत्र, रेहरा तथा बभनजीत में कितनी ऐसी चीनी की दुकानें हैं जो दिनांक 25 फरवरी, 1975 तक कैंसिल हैं तथा उनमें से कितनी दुकानें ऐसी हैं जिनको किसी दूसरे दुकान से अटैच नहीं किया गया है तथा क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

दिनांक 25 फरवरी, 1975 तक गोन्डा जनपद के विकास क्षेत्र, रेहरा में तीन और विकास क्षेत्र, वभनजोत में एक चीनी की दुकानें निरस्त की गयी थीं। इन चारों दुकानों के कार्ड धारकों को अन्य न्याय पंचायतों से सम्बद्ध कर दिया गया है। विकास क्षेत्र, रेहरा तथा वभनजोत में एक-एक नए चीनी कोटेदार की नियुक्ति कर दी गयी है।

*8—श्री श्रीनारायण—

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

लखनऊ में रेन्ट कन्ट्रोल विभाग द्वारा बंगलों का एलाटमेन्ट

*9—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि मास जनवरी, 1975 से मास फरवरी के बीच लखनऊ रेन्ट कन्ट्रोल विभाग द्वारा राणा प्रताप मार्ग स्थित नेशनल डिग्री कालेज के प्रिन्सिपल को उनके बंगले से निकाल कर बाहर कर दिया गया और उसे किसी और को एलाट कर दिया गया? इसी प्रकार ए0 पी0 सेन रोड पर भी एक बंगला खाली करा कर किसी केन्द्रीय मन्त्री के सम्बन्धी को एलाट किया गया? तथा फैजाबाद रोड पर लखनऊ विश्व-विद्यालय के भूतपूर्व उप कुलपति स्व0 काली प्रसाद का बंगला भी खाली करा कर किसी दूसरे को एलाट कर दिया गया। यदि हां, तो सारा मामला क्या है और किस अधिकारी द्वारा यह कार्य किया गया?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं। जनवरी, 1975 से फरवरी के बीच नेशनल डिग्री कालेज के प्रिन्सिपल को उनके बंगले से नहीं निकाला गया बल्कि प्रिन्सिपल साहब मकान नं0 2 ए, राणा प्रताप मार्ग में श्री एस0 एस0 पांडे की ओर से रह रहे हैं। श्री पांडे द्वारा रिक्तता की सूचना देने के पश्चात उक्त भवन नियमानुसार श्री उमाशंकर दीक्षित, जिनका प्रार्थना-पत्र सबसे पहले प्राप्त हुआ था, को एलाट किया गया। इस एलाटमेन्ट के विरुद्ध जिला जज के समक्ष अपील दायर कर दी गई है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

ए0पी0 सेन रोड स्थित बंगला नं0 8 भी खाली करा कर एलाट नहीं किया गया बल्कि किरायेदार की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री के लखनऊ से स्थानान्तरित होकर चले जाने पर धारा 12 के अन्तर्गत रिक्तता घोषित की गयी और उक्त मकान का 1/3 भाग श्री के0 के0 पाठक को और 2/3 भाग श्रीमती शान्ती मालवीया को एलाट किया गया। श्रीमती मालवीया केन्द्रीय मन्त्री की रिश्तेदार अवश्य हैं परन्तु उनको प्राथमिकता इस कारण दी गयी कि उनको अपना पुराना मकान मालिक मकान के समझौते के अनुसार खाली करना था उनको कब्जा भी मिल गया और इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील आदि नहीं की गयी।

स्वर्गीय श्री काली प्रसाद, भूतपूर्व उप-कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय के फैजाबाद रोड पर दो मकान हैं। एक मकान पहले किरायेदार के स्थानान्तरण के कारण रिक्त हुआ और दूसरे में एक अनधिकृत व्यक्ति के अध्यासन में पाया गया। धारा 12 के अन्तर्गत उक्त बंगले को रिक्त घोषित किया गया और दोनों बंगलों का नियमानुसार एलाटमेन्ट कर दिया गया परन्तु दोनों एलाटमेन्ट आदेशों के विरुद्ध अपील हो गयी और अब दोनों मामले जिला जज के न्यायालय में विचाराधीन हैं।

यह समस्त कार्यवाही अतिरिक्त जिलाधिकारी (सिविल सप्लाइज) द्वारा की गई, जो उक्त भवनों के एलाटमेन्ट आदि करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत हैं।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, श्री उमाशंकर दीक्षित को जो मकान एलाट किया गया क्या उनके पहले प्रार्थना-पत्र देने के आधार पर था और क्या उस मकान को प्राप्त करने के लिए इनके अलावा और किसी ने प्रार्थना-पत्र दिया और क्या प्रिन्सिपल ने भी कोई प्रार्थना-पत्र दिया था?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस मकान के लिए कई लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिए थे। लेकिन प्राथमिकता के आधार पर जिसकी पहले एप्लीकेशन पड़ी है, उनको देने का प्राविधान रखा गया है। और इसी दृष्टिकोण से श्री उमाशंकर दीक्षित को मिला था उन्होंने 20 जनवरी को प्रार्थना पत्र दिया। श्री ओम प्रकाश शर्मा ने 27 जनवरी, श्री लाड़ली प्रसाद सब्बरवाल ने 28 जनवरी तथा श्री डी0 पी0 बोरा ने 29 जनवरी को प्रार्थना-पत्र दिया। श्री राधाकृष्ण ने 30 जनवरी को प्रार्थना-पत्र दिया था। तो यह नियम के अनुसार हुआ, नियम के विरुद्ध नहीं हुआ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, जो मकान श्री उमाशंकर को एलाट किया गया तो उसमें पहले कौन रह रहा था?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अभी यह अपील में चला गया है। उमा शंकर दीक्षित जी जो हैं, अपनी आवश्यकता जब कभी होती थी, आते थे लखनऊ। पहले से मकान उनके पास है लेकिन अच्छी जगह चाहते थे कि कायदे का मकान मिले। तो उनको जो मकान दिया गया, वह नियम के अनुसार दिया गया। यह तो आप जानते हैं वह केन्द्रीय मन्त्री हैं और दिल्ली में रहते हैं। कभी-कभी आने की आवश्यकता होती है? तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नियम के खिलाफ कोई चीज ऐसी हुयी है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, ए0 पी0 सेन रोड पर जो मकान खाली मिला जिसका कि किरायेदार मर गया था और उसकी लड़कियों का ट्रान्सफर हो गया तो वह मकान दूसरे को दिया गया। तो उस किराएदार का नाम क्या था? लड़की का नाम क्या है और किस पोस्ट पर वह काम करती है। क्या उसने ही सूचना दी थी कि मकान खाली है या और किसी ने सूचना दी थी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मकान मालिक श्री के0 वी0 लाल, निवासी 3 कबीर मार्ग, लखनऊ का है। पहले श्री एच0 के0 घोष रहते थे जो 30 बरस से रहते थे। सन् 1972 में उनकी मृत्यु हो गयी। तो उनकी लड़की जो अमेरिका लाइब्रेरी में काम कर रही थी। जब उनका स्थानान्तरण हो गया दिल्ली तो मकान खाली हो गया और उसके 1/3 भाग को श्री के0 के0 पाठक को दे दिया गया और दूसरे में दूसरे लोगों को।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, इस मकान को एलाट करने के लिए क्या दूसरों ने भी प्रार्थना-पत्र दिया था?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसके लिए बहुतों ने प्रार्थना-पत्र दिया था।

फैजाबाद जिले की मसौदा चीनी मिल के गन्ना क्रय केन्द्र, टिकैतनगर में गड़बड़ी

*10—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 25 जनवरी, 1975; 28 जनवरी, 1975; 4 फरवरी, 1975; 6 फरवरी, 1975 तथा 25 फरवरी, 1975 को सचिव, केन यूनियन, दरियाबाद, बाराबंकी द्वारा चीनी मिल मसौदा जिला फैजाबाद के व्यवस्थापक एवं उप गन्ना आयुक्त मध्य क्षेत्र, लखनऊ को पत्र द्वारा सूचित किया गया कि गन्ना क्रय केन्द्र, टिकैतनगर के किसानों से अधिक भाड़ा नियमों के विरुद्ध काटा जा रहा है तथा मिल क्लर्क द्वारा तौल में गड़बड़ी करके किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यदि हां, तो किसानों से अधिक भाड़ा न काटे जाने तथा तौल में गड़बड़ी को रोकने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। सचिव, केन यूनियन दरियाबाद (जिला बाराबंकी) से सूचना प्राप्त पर उप गन्ना आयुक्त, मध्य क्षेत्र द्वारा गन्ना क्रय केन्द्र, टिकैतनगर का अचानक निरीक्षण किया गया। जांच के फलस्वरूप मसौदा चीनी मिल (जिला फैजाबाद) को निर्देश दिए गए कि अनुचित गन्ना ढुलाई भाड़ा न काटा जाय। गन्ना तौल में गड़बड़ी रोकने के सम्बन्ध में मिल मालिक, लिपिक तथा गन्ना समिति लिपिक को निलम्बित किया गया। इसके अतिरिक्त निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं से सम्बन्ध मामलों में जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा कारण बताओ नोटिस भी नियमानुसार जारी कर दी गयी है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इस क्रय केन्द्र पर जितनी लूट इस साल हो सकती थी वह की गयी। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकारी नियमों के अनुसार कितना भाड़ा इस क्रय केन्द्र पर काटना था और कितना भाड़ा काटा गया। कुल कितना भाड़ा काटा गया?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो भारत सरकार ने न्यूनतम मूल्य साढ़े आठ रुपए प्रति क्विन्टल तय किए हैं, उनके अन्तर्गत चीनी मिलें दें तो 32 पैसे है। चीनी मिलें डीजल आयल के दाम बढ़ जाने के कारण 12 आने सामान्यत: लेती हैं। लेकिन इस मिल ने 2 रुपए प्रति क्विन्टल काटा है और उसका कारण बताया है कि शारदा नहर की ऊंचाई, ढाल आदि के कारण अधिक खर्च होता है, इसलिए किराया अधिक देना पड़ता है। इस बात को स्वीकार नहीं किया है और कहा गया कि जितना और मिलें देती हैं, वह दें। भारत सरकार से पूछा गया है कि 32 पैसे प्रति क्विन्टल जो निर्धारित दर है उसके अन्दर क्या आदेश हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि हर क्रय केन्द्र पर 12 आने भाड़ा काटा लेकिन इस क्रय केन्द्र ने 2 रुपए भाड़ा काटा है। इसलिए 20 आने अधिक काटा है। वहां 60-70 हजार क्विन्टल गन्ना सप्लाई हुआ तो इस प्रकार 70-80 हजार रुपए अतिरिक्त भाड़ा काटा गया है। तो क्या मन्त्री जी मूल्य अदा करने के साथ-साथ अतिरिक्त भाड़ा को भी अदा करने के आदेश मिल को देंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं। केन्द्रीय मन्त्री को लिखा है और जैसे ही भारत सरकार का स्पष्टीकरण आएगा, शायद कानून में संशोधन लाना पड़ेगा, क्योंकि कानून में स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं है, उस पर विचार किया जाएगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस अतिरिक्त भाड़े को काटने की सूचना कब प्राप्त हुई और कार्यवाही कब सरकार ने की?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह सूचना सरकार को जनवरी में प्राप्त हुई। जैसा मैंने कहा कि प्रयास हो रहा है क्योंकि हमारी उनसे सहमति नहीं है इसलिए लिखा गया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, दो रुपये काटा गया है, जो कि लूट है। इसलिए मेरा स्पष्ट आरोप है कि मिल मालिकों से सरकार मिली है और इसलिए मिलों की साजिश से यह होता है। 60-70 हजार कुपया मिल मालिक अतिरिक्त पैसा दाबे हुए हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, साजिश का कोई सवाल यहां नहीं होता है।

देवी प्रसाद एण्ड कम्पनीज, नौरंगाबाद, अलीगढ़ को साफ्ट कोक की आपूर्ति

*11—श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

विधान सभा 1974 के द्वितीय सत्र के उपवेशन दिनांक 29 जुलाई, 1974 को प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सन्दर्भ में खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1974 में साफ्ट कोक की जो रेक बांटी गई, उसमें से देवी दास एन्ड कम्पनी सराय हकीम, अलीगढ़ को एक गाड़ी साफ्ट कोक दिया गया तथा उपरोक्त फर्म अन रजिस्टर्ड है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

देवीदास एन्ड कम्पनी, सराय हकीम, अलीगढ़ के नाम की कोई फर्म नहीं है। एक फर्म देवी प्रसाद एन्ड कम्पनी, नौरंगाबाद अलीगढ़ नाम की है, जिसको माह अप्रैल, 1974 में प्राप्त साफ्ट कोक की रेक में से एक गाड़ी साफ्ट कोक दी गई थी क्योंकि उक्त कम्पनी को उत्तर प्रदेश कोयला नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत कोल डिपो का लाइसेन्स प्राप्त था। कोल डिपो का लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए किसी फर्म का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है।

श्री इन्द्रपाल सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि कोल डिपो का लाइसेन्स किसके नाम से दिया गया था और वह प्रार्थना-पत्र किसने दिया था और इस फर्म का मालिक कौन है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

फर्म के मालिक पंडित नन्द किशोर हैं और इन्होंने अपने छोटे भाई के नाम से डिपो का नाम बेनी प्रसाद एन्ड कम्पनी रखा है।

श्री इन्द्रपाल सिंह—

पंडित नन्दकिशोर जिला कांग्रेस कमेटी के भूतर्व मन्त्री हैं और इन्होंने न तो सेल्स टैक्स में अपना रजिट्रेशन कराया है और न कांटा-बांट विभाग में अपने को रजिस्टर कराया। इन्हें जो कोयला मिला इन्होंने डिबाई में 1400 रु0 में पूरा डिब्बा बेच दिया। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह मेरी सूचना को सही मानकर इसकी जांच करायेंगी कि इन्होंने सेल्स टैक्स में और कांटा-बांट विभाग में अपने को रजिस्टर न कराकर जो उल्लंघन किया है और सेल्स टैक्स की चोरी की है, तो गुनाहगारों को सजा दिलवायेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

चूंकि इस फर्म ने लाइसेन्स की जो शर्तें थीं उसका उल्लघंनन किया है, इसलिए इस कोल डिपो के लाइसेन्स को दिनांक 24 जनवरी, 1975 को निरस्त कर दिया गया है और कोयले को ब्लैक से बेचने की शिकायत दिनांक 15 मई, 1974 को प्राप्त हुई थी उसके आधार पर जांच जारी है। यह भी जांच पड़ताल कराई जा रही है कि कोयले के वितरण में जो इन्दराज किया, सारी और जो गलतियां की हैं, उनकी जांच पूरी हो जाने के बाद जो कार्यवाही आवश्यक होगी, वह की जाएगी।

श्री इन्द्रपाल सिंह—

देवी दास नाम का और कहीं हो सकता है लेकिन वह अलीगढ़ में कहीं नहीं देखा गया। मेरी इस सूचना को मन्त्री जी सही मान लें कि यह सब फर्जी है। यह जो घोटाला किया गया है इसकी भी जानकारी प्राप्त करने के लिये मन्त्री जी नोट कर लें कि सेल्सटैक्स में रजिस्ट्रेशन न कराकर इन्होंने टैक्स की चोरी की है, और कांटा-बांट भी इन्होंने नहीं रखा तो तौला कैसे होगा, यह भी अपराध जांच में शामिल कर लिया जाय और इसकी जांच कराई जाय ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने पहले ही कहा कि लाइसेंस निरस्त करने के बाद जांच की जा रही है और जो अपराध बनेगा उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

मिर्जापुर जिले में "बीना कोयला परियोजना" के लिये अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा और विस्थापितों को बसाने की मांग

*12—श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर अन्तर्गत 'बीना कोयला परियोजना' के अन्तर्गत ली गई भूमि का मुआवजा, प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों में ली गई भूमि के मुआवजे से बहुत कम दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिला मिर्जापुर में 'बीना कोयला परियोजना' के लिये भूमि का अधिग्रहण नेशनल कोल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। परियोजन के अधिकारी आपसी बातचीत से मुआवजे की रकम निर्धारित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। चूंकि मुआवजे की रकम का अभी निर्धारण नहीं हुआ है। अत : यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य स्थानों पर दिए गए मुआवजे के मुकाबले उक्त परियोजना के लिये ली जाने वाली भूमि का मुआवजा कम दिया जा रहा है।

*13—श्री आशा राम यादव—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जिन किसानों की भूमि ली जा रही है वे रिहन्द बांध परियोजना के अन्तर्गत निकाले हुए लोग हैं ? यदि हां, तो पुन: सरकार उनके बसाने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिन लोगों की भूमि ली जा रही है उनमें से अधिकतर रिहन्द बांध परियोजना के विस्थापित लोग हैं। उन्हें अन्यत्र उपयुक्त स्थान में बसाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री आशा राम यादव—

मान्यवर, मिर्जापुर में जो भूमि ली गई है उसके लिए 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया है और इलाहाबाद आदि जिलों में जो भूमि ली गई है उसके लिए 2000 और 2500 रुपए प्रति एकड़ से दिया गया है। चूंकि यह एक जगह से निकले हुए लोग हैं और चूंकि उनको केवल 500 रुपए ही दिया जा रहा है, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि इलाहाबाद आदि अन्य जिलों में जो मुआवजा दिया गया है, वह यहां भी दिया जाएगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वह जो अधिग्रहण हो रहा है, वह अधिग्रहण कोल वियरिंग एरियाज (एक्वीजीशन एन्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 1957 नामक सेन्ट्रल ऐक्ट के अधीन हो रहा है और इसके अनुसार भारत सरकार को अधिकार है कि वह कोयले के खनन करने के लिये किसी भूमि को एक्वायर कर ले। भारत सरकार एक्वायरिंग अथारिटी तथा कम्पेन्सेशन डिटरमिनिंग एथारिटी नियुक्त करती है। इस मामले में भी उक्त ऐक्ट के अधीन कोल माइन्स अथारिटी। नेशनल कोल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन को उक्त प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस ऐक्ट में इस बात का भी प्राविधान है कि अगर मुआवजा देने के सम्बन्ध में कोई विवाद होगा तो मामला उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत नियुक्त एक ट्रिब्युनल द्वारा निर्णीत किया जायगा। यह विदित हुआ है कि भारत सरकार ने इस प्रकार के जो ट्रिब्यूनल नियुक्त किए हैं, जिनमें से एक का मुख्यालय रांची में है और उसका सीमा क्षेत्र उत्तर प्रदेश भी है जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है हम इस बात का प्रयास करेंगे कि अगर ट्रिब्यूनल के सामने जाना भी पड़े तो सिंगरौली या मिर्जापुर में ही जायं। भारत सरकार के अधिकारी भी इस दृष्टिकोण से सहमत हो गए हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरी सूचना यह है कि वहां की जो लोकल मार्केट रेट है वह लगभग दो हजार रुपया प्रति एकड़ है। क्या माननीय मन्त्री जी यह जानने की कृपा करेंगे कि वहां लोकल रेट क्या है और फिर उसी के आधार पर यदि वह उचित है तो कम्पेन्सेशन दिलाने की कोशिश करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हम पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा मुआवजा मिले।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

जो जमीन ली जाएगी उसके लिये हम भारत सरकार से कहेंगे और चेष्टा करेंगे कि जिस भाव पर वहां रजिस्ट्री हो रही हो, उससे कम भाव पर जमीन न ली जाय। यही नहीं अगर कुछ इजाफा भी हो सके तो उसके लिए भी कोशिश करेंगे।

श्री आशाराम यादव—

इन्होंने बतलाया है कि यह लोग रिहन्ड डैम से निष्कासित हैं। क्या वहां के लोगों ने गढ़िया जंगल की मांग की है, और यदि हां, तो वहां बसाने में मन्त्री जी को क्या आपत्ति है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुख्य मन्त्री जी के सामने जब यह प्रश्न आया तो 21 मार्च, 1975 को उनके सचिव के यहां एक बैठक बुलायी गयी और यह कहा गया कि गढ़िया फारेस्ट ब्लाक में से पर्याप्त जमीन उपलब्ध हो सकती है और यह भी कि यह क्षेत्र पुनर्वास हेतु उपयुक्त होगा। वन सचिव ने कहा कि गढ़िया फारेस्ट ब्लाक वन विभाग के दृष्टिकोण से बहुमूल्य स्थान है। उनका कहना था कि मेउरपुर के पास लगभग 2500 एकड़ जमीन उपलब्ध है जो विस्थापितों को बसाने के लिए उपयुक्त होगी। बैठक में यह तय हुआ कि विस्थापितों को गढ़िया फारेस्ट ब्लाक में उपलब्ध जमीन को दिखायें और वहां पर उनके प्रतिनिधियों से बातचीत प्रारम्भ कर दें। इसके अतिरिक्त यदि वहां स्थान उपलब्ध न हो तो मेउरपुर में बसाया जाय।

मेरठ जिले की सहकारी गन्ना समिति, सकोती टान्डा द्वारा निर्मित लिंक रोड से संबंधित घोटाले की जांच

*14—श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि सहकारी गन्ना समिति सकोती टान्डा, जिला मेरठ द्वारा निर्मित लिंक्स रोड योजना में करीब 10 लाख रुपए का घोटाला किए जाने के सम्बन्ध में उन्हें तथा गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को मार्च, 1974 से लेकर अब तक किन-किन व्यक्तियों के लिए कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

लिंक रोड योजना के अन्तर्गत लगभग 10 लाख रुपए से निर्मित सड़कों में की गई गड़बड़ियों के सम्बन्ध में प्रश्नगत अवधि में संलग्न तालिका में दिए गए सात व्यक्तियों के शिकायती-पत्र प्राप्त हुए, जिन पर गन्ना विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच कराई गई तथा प्रारम्भिक जांच के परिणाम स्वरूप दोषी पाए गए सम्बन्धित अधिदर्शक व ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया। इन कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1153 पर)

इलाहाबाद जिले के ग्राम धोवहा निवासी श्री राजनारायन को सीमेन्ट की जाली बनाने हेतु सीमेन्ट की आपूर्ति

*15—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के विकास क्षेत्र धनुपुर में श्री राजनारायन, पुत्र श्री महादेव, ग्राम धोवहा के नाम से

सीमेन्ट की जाली बनाने का उद्योग चल रहा है। यदि हां, तो यह उद्योग किस वर्ष से चल रहा है और उसे कितना सीमेन्ट प्रति वर्ष दिया जाता है? क्या यह सही है कि तहसीलदार, हंडिया ने उनके यहां से 400 बोरी सीमेन्ट अभी कुछ समय पूर्व पकड़ा और छोड़ दिया गया? यदि हां, तो सरकार ने इस संस्था के प्रति अब तक क्या कार्यवाही किया है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, प्रश्न में वर्णित स्थान पर सीमेन्ट की जाली बनाने का एक उद्योग अगस्त, 1973 से चल रहा है। प्रारम्भ में इसके एक मात्र स्वामी श्री राज नारायन थे, किन्तु अक्तूबर, 1974 से इन्होंने श्री मेहीलाल को अपना साझीदार बनाया। प्राप्त सूचना के आधार पर उद्योग विभाग ने रीजनल सीमेन्ट अधिकारी, नई दिल्ली को दिनांक 23 जून, 1974 तथा 29 सितम्बर, 1974 को इस इकाई के हित में क्रमश: 23 तथा 24 मी0 टन सीमेन्ट रिलीज करने की संस्तुति भेजी। अगस्त, 1974 में इस इकाई ने एक वैगन (460 बोरी) सीमेन्ट प्राप्त की, तहसीलदार ने अक्तूबर, 1974 के आस-पास इनके अधिकार में 400 बोरी सीमेन्ट पाया था, किन्तु किसी अनियमितता के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री अठई राम—

क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जिस समय 400 बोरी सीमेन्ट पकड़ा गया वह मेहीलाल के घर में पकड़ा गया और इसके बाद साझीदार का कार्य दिखाया है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह बात सही है कि 400 बोरी सीमेन्ट मेहीलाल के मकान में पकड़ा गया जो कि उस फर्म के साझीदार हैं। लेकिन राजनारायण के घर वालों ने वह कागजात प्रस्तुत किए जिनसे पता चला कि जाली उद्योग के सिलसिले में भारत सरकार से जो सीमेन्ट प्राप्त हुआ था तो इस वजह से इसमें कोई अनियमितता नहीं थी क्योंकि जो साझीदार हैं, उस फर्म में वह काम करता है और उसके घर से सीमेन्ट पाई गयी थी वह उस सीमेन्ट के अन्दर थी, जितनी उसको प्राप्त होनी चाहिए थी।

श्री अठई राम—

जिस समय सीमेन्ट पकड़ा गया था तो साझीदार जो बनाया गया था, वह पकड़े जाने के पहले बनाया गया था या बाद में? उस इकाई में कितने सदस्य थे और कौन-कौन हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

दिनांक 27 अगस्त, 1973 के द्वारा यह फर्म पंजीकृत की गयी थी। उसके बाद अक्तूबर, 1974 में साझीदार के रूप में लिया गया मेहीलाल को। अब यह रिपोर्ट में नहीं है कि सीमेन्ट पकड़े जाने के पहिले उनको साझीदार बनाया गया था अथवा बाद में, लेकिन रिपोर्ट से ऐसा ज्ञात होता है कि साझीदार पहले ही बनाए गए थे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस सम्बन्ध में सारी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी थी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*16—श्री रामपति—

[7वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 63 पर स्थानान्तरित।]

फैजाबाद जिले की चीनी मिल मसौदा द्वारा गन्ने की तथाकथित अनियमित खरीद

*17—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि चीनी मिल मसौदा, जिला फैजाबाद द्वारा बाराबंकी जिले की चीनी मिल बुढ़वल व बाराबंकी क्षेत्र का गन्ना चालू वर्ष 1974-75 में केन यूनियन सुल्तानपुर के सप्लाई टिकटों पर खरीदा जा रहा है और इस अनियमित खरीद का भुगतान तुरन्त कर दिया जाता है ? जब कि इसी मिल द्वारा खरीदे जा रहे केन यूनियन दरियाबाद के गन्ना मूल्य का भुगतान कम से कम 10 दिनों बाद किया जाता है। यदि हां, तो अनियमित खरीद को रोकने तथा दोहरी गन्ना मूल्य भुगतान व्यवस्था को समाप्त करने के सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता।

*18-19—श्रीमती गायत्री देवी—

[7वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 46-47 पर स्थानान्तरित।]

*20—श्री मुहम्मद मसूद खां—

[8वें सोमवार के लिए स्थगित।]

*21—श्री गुलाब सेहरा—

[7वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 72 पर स्थानान्तरित।]

सर्वश्री एस० एम० इण्डस्ट्रीज, कैसरबाग, लखनऊ को जी० सी० शीट्स की आपूर्ति

*22—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या लघु उद्योग मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त निदेशक, उद्योग (मध्य क्षेत्र), लखनऊ तथा प्रदर्शनी एवं प्रचार अधिकारी, गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स, लखनऊ ने मिल कर कैसरबाग लखनऊ के स्थान पर कोई एक फर्म खोल रखी है जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 29 मार्च, 1974 को हुआ था और क्या यह भी सही है कि उसी तारीख को उक्त फर्म के नाम सरिया और टिन का परमिट भी दे दिया गया ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि प्रश्नगत दो अधिकारियों ने मिलकर कोई फर्म खोली है। दिनांक 29 मार्च, 1974 को एक इकाई सर्वश्री एस० एम० इन्डस्ट्रीज, 1 कैसरबाग, लखनऊ का पंजीकरण हुआ और उसी दिन उक्त इकाई को जी० सी० शीट्स 1.5 मि० टन राउन्ड 10.12 एम० एम०, 4 मी० टन सरिया इमारत के लिये आबंटित की गयी।

बांदा जिले में गेहूं की लेवी की वसूली का औसत और लेवी से मुक्त क्षेत्र

*23—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसानों से गेहूं की लेवी वसूलने हेतु बांदा जिले में प्रति एकड़ गेहूं का औसतन कितना उत्पादन निर्धारित किया गया है ? तथा इसका आधार क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

गेहूं की लेवी वसूलने के लिए बांदा जिले में प्रति एकड़ औसतन उत्पादन 3.12 कुन्तल प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है। यह गत तीन वर्षों में गेहूं, जौ व चने उत्पादन के वेटेड एवरेज पर आधारित है।

*24—श्री जगन्नाथ सिंह परमार—

क्या सरकार यह भी कृपया बताएगी कि जिले के जिन इलाकों में उत्पादन का औसत अत्यल्प है वहां के बारे में सरकार कोई छूट देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्षेत्र कौन-कौन से हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी —

बांदा जिले के पठा क्षेत्र को गेहूं की लेवी से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पूरे बुन्देलखंड क्षेत्र मे लेवी होल्डिंग की गणना के लिए डेढ़ एकड को एक एकड के बराबर माना जाएगा जिसके फलस्वरूप 4 1 1/16 एकड़ तक के जोत लेवी से पूर्णतया मुक्त रहेंगे जब कि प्रदेश के शेष भागों में 3 1/8 एकड़ तक के ही जोत। इसपर भी यदि किसी दैवी आपदा से उत्पादन को क्षति हुई है तो सम्बन्धित क्षेत्र या उत्पादक या उत्पादकों के वर्ग को लेवी से पूर्ण या आंशिक छूट देने के लिए मन्डल आयुक्तों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। यदि किसी लेवी होल्डिंग या विशिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में कलेक्टर इस बात से सन्तुष्ट है कि गेहूं का उत्पादन नगण्य हुआ है तो वे ऐसी लेवी होल्डिंग या क्षेत्रों के लिए लेवी की मात्रा में कमी कर सकते हैं।

*25—श्री जगदीश अवस्थी—

[8वें सोमवार के लिए स्थगित।]

जमुना नदी के उत्तरी क्षेत्र में गेहूं की लेवी में छूट की मांग

*26—श्री प्रेमदत (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपया करेगी कि सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत जमुना नदी के उत्तर 16 किलो मीटर तक बुन्देलखंड की परिभाषा में जमीन मानी गई तो क्या लेवी में भी उक्त भूमि को वही सुविधा दी जाएगी जो बुन्देलखंड को दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन कुछ जिलों में जमुना नदी के उत्तर के 16 किलोमीटर क्षेत्र को बुन्देलखंड के समान माना गया है किन्तु उत्तर प्रदेश गेहूं (उदग्रहण, व्यापार विनियमन तथा संचालन नियन्त्रण) आदेश, 1975 में जमुना नदी के उत्तर के इस क्षेत्र को बुन्देलखंड के समान नहीं माना गया है। लेवी योजना में बुन्देलखंड व अन्य क्षेत्रों को वही सुविधा दी गई है जो कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 337 में वर्णित है। लेवी योजना में लेवी की मात्रा लेवी होल्डिंग की साइज तथा गेहूं व गेहूं मिश्रणों के बोए गए वास्तविक क्षेत्रफल पर आधारित है। सिंचित व असिंचित भूमि के लिए भी जो लेवी की मात्रा में अन्तर रक्खा गया है वह लेवी होल्डिंग पर आधारित है। अतः सीलिंग ऐक्ट की परिभाषा पर लेवी योजना आधारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

*27—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री हिम्मत सिंह तथा डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

[8वें सोमवार के लिए स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

वाराणसी जिले के सूखा एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मोटे अनाज का आवंटन

1—श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी) तथा श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी में सूखा से प्रभावित एवं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए माह नवम्बर, 1974 से माह फरवरी, 1975 तक कितना मोटा अनाज आबंटित किया गया तथा जनपद की किस न्याय पंचायत को कितना किन महीनों में आबंटन किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वाराणसी जनपद को माह नवम्बर, 1974 से फरवरी, 1975 तक सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुल 8,000 कुन्टल मोटे अनाज का आबंटन किया गया। न्याय पंचायत क्षेत्रों में आबंटित मात्रा का माहवार विवरण संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1154–1156 पर।)

चुनार, मिर्जापुर में सीमेन्ट कारखाने की स्थापना

2—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि सरकार द्वारा चुनार (मिर्जापुर) में सीमेन्ट का कारखाना लगाने सम्बन्धित निर्णय को अब तक कितना कार्यान्वित किया गया ? सरकार इस कारखाने का निर्माण कार्य कब से शुरू करेगी तथा क्या मन्त्री जी कारखाने का प्रस्तावित प्रारूप व संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन द्वारा कजराहाट–चुनार सीमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है। हम नए प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 16 लाख टन वार्षिक स्लैग सीमेन्ट बनाने का लक्ष्य है। ब्लिकर बनाने का कारखान डल्ला में लगाया जायगा और सीमेन्ट पीसने का कारखाना चुनार में लगेगा। माल के यातायात तथा रेलवे संचरण की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन स्थलों का चयन किया गया है। भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा चुकी है तथा मुख्य प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय के आदेश दिए जा चुके हैं। वित्तीय सहायता के लिए आई0 डी0 बी0 आई0 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 64 करोड़ रुपए होने की आशा है।

मुरादाबाद जिले की कुन्दन शुगर फैक्टरी के कर्मचारियों का स्थायीकरण

3—श्री मुहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि कुन्दन शुगर फैक्टरी, अमरोहा, जनपद मुरादाबाद में कितने कर्मचारियों को वर्ष 1973–74 व 1974–75 में परमानेन्ट किया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा में वर्ष 1974 में 34 एवं 1975 में (1–4–75 तक) 5 कर्मचारियों को परमानेन्ट किया गया है।

गोरखपुर जिले की सस्ते गल्ले की दुकानों का निलम्बन

4—श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में मार्च, 1974 से 15 फरवरी, 1975 तक सरकारी सस्ते गल्ले तथा मिट्टी तेल की कितनी दुकानें निलम्बित की गईं और उसके स्थान पर पूर्ति विभाग ने उन दुकानदारों के क्षेत्र की जनता में गल्ला, मिट्टी तेल व चीनी में वितरण हेतु क्या व्यवस्था की है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत अवधि में गोरखपुर जनपद में कुल 134 सस्ते गल्ले, चीनी, मिट्टी तेल की दूकानें निलम्बित की गईं। जनता को गल्ला, चीनी, मिट्टी तेल वितरण हेतु निलम्बित दूकानों के कार्ड निकटतम कार्यरत दूकानों से सम्बद्ध किए गए।

वाराणसी जिले की नगरपालिका, रामनगर में राशन की व्यवस्था

5—श्री ऊदल तथा श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि नगरपालिका, रामनगर, वाराणसी के निवासियों को शहरी क्षेत्रों की तरह राशन की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वाराणसी जनपद की नगरपालिका रामनगर में राशन के खाद्यान्नों के वितरण की नियमित रूप से व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत वहां के उपभोक्ताओं को जो ढाई किलो गेहूं, ढाई किलो चावल तथा एक किलो मोटा अनाज प्रति यूनिट प्रति माह दिया जा रहा है।

6—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

मुरादाबाद जिले की कुन्दन शुगर मिल के इन्जन की मरम्मत

7—श्री मुहम्मद हयात—

क्या सरकार को जानकारी है कि कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा, जनपद मुरादाबाद में मील इन्जन (बड़ा वाला) जो विदेशी है और जिसका मूल्य लगभग 90 लाख रुपए बताया जाता है के कुछ कीमती पार्ट्स पिछले दिनों टूट गए हैं और मशीन बेकार पड़ी है। यदि हां, तो सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा में बड़े मिल इन्जन (क्लेयर) की वेड प्लेट क्रेक हो गई थी जो बेल्डिग और पैचिंग से ठीक की गई और इंजन भली प्रकार पूरी शक्ति से चल रहा है। कोई मशीन बेकार नहीं पड़ी है।

गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में दिया गया जी० सी० शीट्स का परमिट

8—श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या आपूर्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि गोरखपुर जिले में फरेन्दा तहसील के बाढ़ पीडित क्षेत्रों में जी0 सी0 शीट सप्लाई करने का लाइसेन्सी डीलर कौन है तथा गत दो वर्षों में फरेन्दा तहसील के किन गांवों में यह शीट किन-किन व्यक्तियों को सप्लाई की गई है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

सर्वश्री विभूती राम पारस नाथ, टाउन हाल गोरखपुर, अधिकृत लाइसेन्सी हैं। वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1157 पर।)

बहराइच जिले के विकास खंड इकौना के शकर एवं नियंत्रित कपड़े के कोटेदार

9—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बहराइच जिले के विकास खन्ड इकौना में कितने और कौन-कौन शकर एवं सस्ते कपड़े के कोटेदार इस समय हैं और क्या यह सही है कि सेमरी, तरहर एवं नरायनजोत मौजे के असामियों को कई माह से शकर एवं कपड़ा नहीं मिला है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बहराइच जनपद के विकास खंड इकौना में शकर के दस कोटेदार तथा नियन्त्रित कपड़े के तीन कोटेदार हैं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है—

शकर के कोटेदार—

(1) श्री रामेश्वर प्रसाद, इकौना
(2) श्री रमाकान्त, खर्चवीरान
(3) श्री स्वामी दयाल, नरायनजोत
(4) श्री सूरज लाल, मनोहरापुर
(5) श्री ताराचन्द यादव, कटरा
(6) श्री अब्दुल लतीफ खां, रमवापुर
(7) श्री राम सूरत, कल्यानपुर
(8) श्री अम्बिका प्रसाद, कोलाभार, मजगवां
(9) श्री बाबादीन, टन्डवा महन्त,
(10) श्री आदित्य प्रसाद मिश्र, लालपुर खदरा।

नियन्त्रित कपड़ा के कोटेदार—

(1) सहकारी संघ, इकौना
(2) क्षेत्रीय सहकारी समिति; कल्यानपुर
(3) क्षेत्रीय सहकारी समिति, सेमगढ़ा।

सेमरी तरहर एवं नरायनजोत मौजे के असामियों को शक्कर एवं नियंत्रित कपड़े का वितरण पिछले महीनों में किया गया है।

प्रदेश का जिलेवार आर्थिक एवं प्राविधिक सर्वेक्षण

10—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में जिलावार प्राविधिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण कराने का विचार कर रही है? यदि हां, तो सर्वेक्षण कौन करेगा तथा सर्वेक्षण कराने का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा?

श्री इस्तफा हुसैन—

जी हां। 42 जिलों का सर्वेक्षण हो चुका है। शेष जिलों का सर्वेक्षण किस अभिकरण द्वारा कराया जाय, इस पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। सर्वेक्षण कब तक पूर्ण हो जाएगा इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

मिर्जापुर जिले में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा दिया गया ऋण

11—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड ने पिछले पांच वर्षों (जनवरी, 1970 से अब तक) में मिर्जापुर जिलें की किन-किन इकाइयों को कितना ऋण किस कार्य हेतु दिया? क्या ऋण प्राप्त इकाइयों के कार्यों एवं ऋण के उपयोग की जांच बोर्ड द्वारा की गई? यदि हां, तो कितनी इकाइयां ऋण के दुरुपयोग के लिए दोषी पाई गईं?

श्री इस्तफा हुसैन—

मिर्जापुर जिले में पिछले पांच वर्षों में (जनवरी 1970 के अब तक) जिन इकाइयों को जिस-जिस कार्य हेतु जितना-जितना ऋण दिया गया है उसका विवरण संलग्न है। जी हां। जांच से ज्ञात हुआ कि एक संस्था तथा एक व्यक्तिगत इकाई ऋण के दुरुपयोग करने की दोषी पाई गई।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1158–1160 पर।)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन†

लघु उद्योग मन्त्री (श्री इस्तफा हुसैन)—

मैं उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन को, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में 1973–74 का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन†

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मैं उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में वर्ष 1973-74 का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 †

सामुदायिक विकास राज मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मैं पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 127-बी/33-2-74, दिनांक 24 फरवरी, 1975 द्वारा प्रख्यापित जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन††

श्री छेदा लाल चौधरी (जिला लखीमपुर-खीरी)—

मैं, सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति, उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन में 39 नियमावलियों की जांच की गयी है और उनके ऊपर समिति ने अपनी संस्तुतियां दी हैं। समिति ने इन नियमावलियों की जांच करने एवं प्रारूप प्रतिवेदन को तैयार करने में कुल 27 बैठकें की।

समिति ने यह संस्तुति की थी कि जिन नियमावलियों में 31 दिसम्बर, 1971 तक संशोधन हो चुके हैं उन नियमावलियों को ऐसे सब संशोधनों का समावेश करके वर्ष 1971 की नई नियमावली के रूप में प्रकाशित किया जाय। शासन ने समिति की इस सिफारिश को मान भी लिया था। किन्तु शासन ने पुनः समिति को अपने द्वारा जारी किए गए इस निदेश से सूचित किया कि 31 दिसम्बर, 1974 तक किये गये संशोधनों को समाविष्ट करके ऐसी नियमावलियों को वर्ष 1974 की नई नियमावली के रूप में प्रकाशित किया जाय। समिति ने शासन द्वारा बिना समिति के परामर्श के इस प्रकार का निदेश जारी किए जाने पर आपत्ति की। इस पर शासन की ओर से खेद प्रकट किया गया जिसे समिति ने स्वीकार कर लिया। समिति आशा करती है कि ऐसी सब नियमावलियों को जिनमें 31 दिसम्बर, 1974 तक संशोधन हो चुके हैं 1974 की नई नियमावली के रूप में प्रकाशित कर दिया जायगा और अब शासन के इस कार्य में और अधिक समय नहीं लगेगा।

समिति ने यह भी देखा कि अभी भी नियमावलियों के निर्माण में काफी विलम्ब किया जा रहा है और विलम्ब के जो कारण दिए जा रहे हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं। उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1973, तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अनुदान) नियमावली, 1973 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी इमारत का निर्माण या पुनर्निर्माण करने अथवा (कुआं बनाने या उसे बड़ा करने की) नियमावली, 1974 को बनाने में 12-13 वर्षों का समय लगा है। समिति यह आशा करती है कि नियमों के निर्माण में विलम्ब नहीं होना चाहिए।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, किताब छपी नहीं है। पढ़ा हुआ यह भाषण मान लिया जाय। यहां कुछ पल्ले भी नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

वह सभापति एक समिति के हैं उनको पढ़ने दीजिए। आप भी तो एक समिति के माननीय सभापति हैं।

---

†छापी नहीं गई।

††छापा नहीं गया।

श्री छेदा लाल चौधरी—

क्योंकि अधिनियम ऐसे होते हैं जिनका कार्यान्वयन, नियमों के न बनाए जाने की दशा में, सम्भव नहीं हो पाता है और विधान मन्डल द्वारा सम्बन्धित अधिनियम को पारित करने में जो समय और शक्ति लगायी जाती है उसका जन-साधारण के लिए पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अभी अधीनस्थ विधान समिति के सभापतियों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ था जिसमें नियमों के निर्माण में शीघ्रता पर बल दिया गया था। यहां तक देखा गया है कि किसी कानून को शीघ्र लागू करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस पर अध्यादेश जारी किया जाता है और बाद में उस अध्यादेश को विधान मन्डल अधिनियम द्वारा भी प्रतिस्थापित कर दिया जाता है किन्तु नियम न बनने के अभाव में उस कानून का पूरी तरह से प्रवर्तन नहीं हो पाता।

अत : मैं सरकार से आशा करूंगा कि अभी तक जिन अधिनियमों के अन्तर्गत नियम नहीं बन पाए हैं उनके अन्तर्गत नियम बनाने में शीघ्रता की जाय।

इन शब्दों के साथ मैं प्रतिनिहित विधायन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखता हूं और विधान सभा सचिवालय के सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों एवं समिति के सम्मानित सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिनके कठिन परिश्रम तथा सहयोग के कारण इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना सम्भव हो सका।

श्री राजनारायण, सदस्य राज्य सभा, श्री महादीपक सिंह, संसद सदस्य तथा श्री प्यारे लाल वर्मा व श्री कमला प्रसाद वर्मा, सदस्यगण, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री पी0एन0 मिश्र, ए0डी0एम0 (सिटी) ने आज दिनांक 14 अप्रैल, 1975 को 11.50 बजे पूर्वान्ह टेलीफोन द्वारा यह सूचित किया कि श्री राजनारायण, सदस्य, राज्य सभा, श्री महादीपक सिंह, संसद सदस्य (एटा), श्री प्यारे लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा, सदस्य, विधान सभा को विधान भवन, लखनऊ के सामने धारा 107/116/151 दन्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आज 11.40 बजे पूर्वान्ह में गिरफ्तार कर लिया गया है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशी नाथ जी मिश्र। नहीं हैं। तो इन्होंने एक परचा भेजा है वह हम कल लेंगे।

अब एक माननीय आशाराम यादव ने जो एक विशेषाधिकार के अवहेलना की नोटिस दी है यह भी हम कल लेंगे, क्योंकि आपके वहां से कुछ कागज आए हैं। उन्होंने कहा है कि आपने ऐग्रीमेंट किया है, अब जो कुछ भी हो, दोनों बातों को देख लिया जायगा तब इसको कल लेंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास नियम 56 की जो सूचनायें आयी हैं....

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो समन्वय संघर्ष समिति का कार्य चल रहा है..

श्री अध्यक्ष––

आप बैठिए। नियम 56 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव आये हैं...(श्री हरिकेवल इस बीच बोलते ही रहे जो सुनाई नहीं पड़ा) नियम 56 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक श्री अवधेश कुमार, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री आशाराम यादव की भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु है। एक माननीय मोहन लाल जी कपूर की है, सरकार द्वारा सहायता एवं मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बारे में, एक श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग की प्रदेश में सी0 आई0 ए0 की तथाकथित गतिविधियों से उत्पन्न संकट के बारे में है। एक श्री शतरुद्ध प्रकाश, श्री गिरिजाशंकर पाठक, श्री सत्य प्रकाश मालवीय की जो भारतीय सोवियत सांस्कृतिक संघ द्वारा लखनऊ में 11 अप्रैल से 13 अप्रैल, 1975 तक आयोजित समारोह के बारे में है। यह विषय शासन से सम्बन्धित नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)––

शासन से सम्बन्धित है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)––

यह बिलकुल शासन से सम्बन्धित है...

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)––

इस प्रस्ताव में दो चीजों को लेकर के ....

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद असरार अहमद––

आपने हम लोगों को बोलने के लिए बुलाया है ये कैसे बोल रहे हैं.....

(व्यवधान) (श्री शतरुद्ध प्रकाश भी बोलते रहे तथा श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग भी बोलते रहे जो व्यवधान के कारण सुनाई नहीं दिया)।

श्री अध्यक्ष––

आप लोग एक-एक करके बोलिए। श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग अपनी बात कहेंगे क्योंकि मैं तो जिस क्रम से आया है उसी से चल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग––

अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश में बालयोगेश्वर.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

सभी सदस्य साथ-साथ न बोलें। एक-एक करके बोलें। आप सब लोग अव्यवस्थित रूप से बोल रहे हैं। एक-एक करके आप बोलें।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)––

पहले आपने हमें बुलाया है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश––

आपने मेरा नाम लिया है। मेरा तर्क सुन लें।

श्री अध्यक्ष––

आप दूसरों के तर्क नहीं सुनेंगे तो आपके तर्क कौन सुनेगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग––

आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित ....

श्री अध्यक्ष––

पहले माधव प्रसाद त्रिपाठी ने दिया है। भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु जनसंघर्ष समिति द्वारा राज्य सरकार को एक ज्ञापन दिया गया है...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आज स्थिति बड़ी गम्भीर हो गयी है। जन-समाज को सरकार के प्रति असन्तोष हो गया है चाहे वह किसान विरोधी नीति के कारण हो, भ्रष्टाचार के कारण हो, भ्रष्ट मन्त्रियों के कारण हो लेकिन अपने दुखों से राहत पाने के लिए जनसंघर्ष समिति ने मुख्य मन्त्री जी को ज्ञापन दिया है जिसको नजरन्दाज करके टाल दिया गया है। जब कोई दूसरा सहारा न रहा तब जन संघर्ष समिति ने आन्दोलन शुरू कर दिया जिसमें कि 150-200 आदमियों को जिसमें कि हमारे माननीय राज नारायण जी, प्यारे लाल जी तथा कमला प्रसाद वर्मा आदि भी हैं तथा जिनकी सूचना आपने अभी हमें दी है। आज पूरे प्रदेश के 54 जिलों में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। परमात्मा जाने कसे इस अशांत वातावरण में शांतिमय स्थिति आएगी ? मान्यवर, इस गम्भीर स्थिति में हमारा कार्य-स्थगन आप स्वीकार करें और जो आरोप लगाए गए हैं चाहे वह भ्रष्टाचार के हों, भ्रष्ट मन्त्रियों के सम्बन्ध में हों या इनके गुंडा ऐक्ट आदि के हों जिससे पूरा समाज आज उद्वेलित हो गया है उस पर हमारा कार्यस्थगन का प्रस्ताव स्वीकार कराकर चर्चा करा दें. . . . .

श्री अध्यक्ष—

इस पर कैसे हम स्वीकार करें?

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

जय प्रकाश जी ने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया है। फिर जन संघर्ष समिति क्यों आन्दोलन कर रही है ?

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

हमारे मन्त्रीगण अपने गुनाहों पर मुस्करा रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, उस पर आपने क्या आदेश दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

अस्वीकार किया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं चाहता था मुख्य मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में दो शब्द कहे होते . . .

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि जन संघर्ष समिति ने क्या लिखकर मुख्य मन्त्री को दिया है ? स्वयं आप अपनी जानकारी से कह रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुझे सारी जानकारी है और व्यक्तिगत जानकारी है। जो मांग-पत्र दिया गया है उसमें लिखा हुआ है वही उनको एक पीसफुल रास्ता मिला है। जब उस मांग-पत्र को इन्होंने नहीं माना तब वे आगे बढ़े।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

प्रश्न करने का समय नहीं है

श्री अध्यक्ष—

56 का यह विषय नहीं है। दूसरा माननीय मोहन लाल कपूर का है। वे अल्पसूचित प्रश्न कर लें। यहां पर अध्यापकों के बारे में बयान हो चुका है। आप कह रहे हैं कि 70 हजार अध्यापकों का सवाल है।

श्री मोहनलाल कपूर—

मैं आपको बता दूं। मान्यवर, आज स्थिति बहुत खराब है ....

श्री अध्यक्ष—

आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल कपूर—

उस वक्त एक ही हुआ।

श्री अध्यक्ष—

दोनों हुये थे, बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर (व्यवधान)

श्री मोहन लाल कपूर—

दोनों नहीं हुए। (व्यवधान) पहले जो वक्तव्य हुआ वह बेसिक शिक्षा के लिए नहीं हुआ था...

श्री अध्यक्ष—

यह पहले हो गया है। एक ही विषय पर फिर ले रहे हैं बयान। यह ठीक नहीं।

श्री मोहन लाल कपूर—

मान्यवर, नहीं हुआ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मान्यवर, आज हमारे यहां सी0 आई0 ए0 काम कर रही है (व्यवधान) आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में बाल योगेश्वर के साथ 12 आदमी आए हुए हैं। उनके साथ उनके भाई हैं..... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल कपूर—

मान्यवर, आपको भ्रम हो रहा है, यह नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

यह 56 का नहीं है। कोई पहलू हो तो उस पर आप सवाल कर सकते हैं।

श्री मोहन लाल कपूर—

मान्यवर, पहले आप मेरी बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्रकुमार गर्ग—

आज सी0 आई0 ए0 शान्ति भंग कर रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप कह रहे हैं सी0 आई0 ए0 गड़बड़ करा रही है। (व्यवधान) पर यहां यह स्वीकार नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मान्यवर, अमेरिका के जासूस यहां हैं स्टेट आब्जर्वेटरी जो नैनीताल में है वह खबरें अमेरिका को भेज रही है। तो इस पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। दस आदमी अभी यहां आए हुए हैं, बालयोगेश्वर के साथ। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

इसको अस्वीकार किया।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

वहां पर आप पहाड़ियों को भर रहे हैं फिर भी सी0 आई0 ए0 काम कर रही है।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, जहां तक नैनीताल आब्जर्वेटरी का सवाल है। उसके जो संचालक हैं उन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री एवार्ड दिया है। हमारी सरकार के पास कोई जानकारी ऐसी नहीं जिसके आधार पर हम ऐसा कह सकें कि वहां कोई राष्ट्रहित विरोधी काम हो रहा है।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

वह आब्जर्वेटरी जो काम करती है उसके सम्बन्ध में अगर कोई माननीय सदस्य को निश्चित सूचना हो तो वह हमें दें, हम उनका आभार मानेंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि वह आब्जर्वेटरी जब से बनाई गई है तब से आज तक उसने हमारे बाहरी स्पेस की रिसर्च में बहुत मदद दी है। हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम उस पर शक करें कि वह राष्ट्रहित विरोधी काम कर रही ह।

जहां तक बालयोगेश्वर का सवाल है उनके खिलाफ डिवाइन लाइट मिशन वालों ने, उनकी सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने तार दिल्ली से हमारे पास भेजा था जिसमें उनकी माता जी भी हैं, एक तार उनके सेक्रेटरी ने भेजा है। एक चिट्ठी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, लखनऊ के पास भेजी थीं, जिसमें यह कहा था कि आप बालयोगेश्वर को डिवाइन लाइट मिशन का प्रतिनिधि न माने और उसमें उन्होंने लिखा था कि इनमें अब हमको कोई धार्मिक आस्था नहीं रह गई है, क्योंकि इनके कर्म, कार्य और क्रियाकलाप ऐसे हैं, जिसके कारण उनको उस पद पर अब हम देखना नहीं चाहते हैं। जब वह आए तो उनको यह सब बताया गया और स्वागत करने वाले लोगों को भी सारी बात बता दी गई। क्योंकि दूसरी तरफ के लोगों ने यह कहा था कि यदि वह समारोह करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। इसलिए हमने उनसे कह दिया कि वह कृपा करके कानून और व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ी पैदा करने की चेष्टा न करें। इसीलिए उन्होंने पार्क वगैरह में सभा सोसाइटी करने का जो प्रोग्राम तय किया था, वह समाप्त हो गया। वह यहां थे एक बार कानपुर गए कानपुर से फिर लखनऊ आए। जो सूचना प्राप्त हुई है, वह यह है कि वह यहां से शाम को बाहर चले जायेंगे। इस सब से मुझे आशा है बालयोगेश्वर उत्तर प्रदेश में किसी भी ऐसे कार्य को नहीं कर सकेंगे, जिसे समाज पाखण्डी या देश हित विरोधी माने। उस पर सरकार की कड़ी नजर है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग —

वे अपने साथ जो अमेरिकी लाए हैं, उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उन पर तो उनकी माता का ही चार्ज है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

उसके साथ एक रूसी एजेन्ट भी आया है ..... (हंसी)

श्री अध्यक्ष—

एक जो माननीय शतरुद्ध प्रकाश, गिरिजा शंकर पाठक व सत्य प्रकाश मालवीय ने दिया है, इसमें से मैं श्री गिरिजा शंकर पाठक के नाम का खारिज करता हूं, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि दो में अपना नाम नहीं देना चाहिए। दो कार्य-स्थगन देंगे, तो वे आपस में कट जायेंगे।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

11 अप्रैल से 13 अप्रैल, 1975 के बीच लखनऊ में भारत-सोवियत सांस्कृतिक संघ का सम्मेलन हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर रूसी पैसा खर्च किया गया है। रूसी पैसा ही नहीं खर्च किया गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े तस्कर भी इसके खर्च व व्यवस्था में शामिल रहे हैं। मुख्य मन्त्री ने जो अपना भाषण दिया है, जिसमें सरकार की मोहर है, उसमें उन्होंने कम्युनिस्टों को, जो आजादी के पहले आजादी के शत्रु थे, देशभक्त माना है। उन पर अवध क्लार्क होटल में 60 लाख से ज्यादा खर्च किया गया है। (व्यवधान)।

(घोर व्यवधान)

अवध क्लार्क होटल जो अय्याशी का अड्डा है, जिसको स्मगलर चलाते हैं, वहां पर उन्हें मुख्य मन्त्री ने भोजन ही नहीं दिया है, चारबाग स्टेशन पर प्लेटफार्म नं 0 एक पर जब कि एक ओर रूसी झन्डा फहरा रहा था, दूसरी ओर भारत का झंडा झुका हुआ था। इससे ज्यादा

अपमानजनक और क्या बात हो सकती है। (व्यवधान, श्री गर्ग और श्री नेगी एक साथ बोलते रहे) जो निमन्त्रण पत्र छपा है। जो घोषणा है, जहां भी अंग्रेजी में निमन्त्रण पत्र होगा उसमें शामिल नहीं होंगे, उसके विपरीत आपकी तरफ के यह श्रीमन्, बांटा गया। अंग्रेजी में इसमें लिखा है भारत-सोवियत सांस्कृतिक संघ किया जा रहा है। तो क्या अंग्रेजी इस देश की भाषा है? निश्चित रूप से यह लोक महत्व का हर तरह से प्रश्न है। यह भारत को रूस का गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। जिस तरह से इन्होंने साढ़े तीन-चार सौ वर्ष तक भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनाया, वही स्थिति फिर पैदा की जा रही है। जैसे हिन्दुस्तान की सरकार ने चीन के साथ दोस्ती की थी..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

श्री बेनी प्रसाद वर्मा और मुहम्मद असरार अहमद ने जो दिया है वह नियम 56 का प्रश्न नहीं है। इसके लिए आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

इस समय हमारे रूसी एजेन्टों को बहुत बुरा लग रहा है।

श्री अध्यक्ष---

श्री मोती लाल देहलवी ने सत्ता कांग्रेस के आन्तरिक मामले में दिया है, यदि आप चाहें तो मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाएं। लेकिन जो कुछ सुना है, उस पर यह नियमित नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

तो फिर कौन से सवाल अविलम्बनीय लोक महत्व के हो सकते हैं? अनशन का सवाल हो, धरने का सवाल हो, आन्दोलन का सवाल हो या सत्याग्रह का सवाल हो, इन्हें आप स्वीकार करते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---

यह मैं बताता हूं। शासन के कोई काम हों, इनकी कोई कार्यवाही हो, जिनके लिए यह जिम्मेदार हों, उनके लिए लायें, या कम्युनिस्ट पार्टी के या कांग्रेस पार्टी का कोई सम्मेलन हो।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, गेस्ट कन्ट्रोल आर्डर इसमें टूटा है।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, आप कहते हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मान्यवर, यह कोई कांग्रेस का सरकारी सम्मेलन नहीं था।

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अध्यक्ष जी, सभी देश के सम्बन्ध में मैत्री संघ हैं, अभी आपने उस रोज भारत-नेपाल मैत्री संघ की स्थापना की घोषणा की। कोई स्पीकर ने नहीं की, लेकिन श्री वासुदेव सिंह ने की। उसी तरह भारत-अमेरिका मैत्री संघ भी है। भारत, रूस-मैत्री संघ भी है। भारत और चीन के मैत्री संघ भी मौजूद हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि कौन किसकी तरफ है, लेकिन मैं मानता हूं भारत और रूस मैत्री संघ। भारत के अन्दर जितना कष्ट और निराशा आई है उसमें रूस ने सहायता की है। उन्होंने हमारे बंगलादेश के युद्ध के समय पाकिस्तान के हर हमले के बाद आर्थिक स्थिति ठीक करने में मदद की है। उनके साथ हर भारतीय प्रेम करेगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, केवल रूस और अमेरिका से प्रेम न करिये, भारत से भी प्रेम करिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के लोगों से भी प्रेम करें। भारत के किसानों से भी प्रेम करें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

आज कोई देश ऐसा समझता है, तो अकेला केवल रूस है। वह दृष्टि अब नहीं रही है, भारत में गांधी जी और जवाहरलाल जी ने यह कहा था कि दुनियां एक हो रही है। मैं बड़ी बहस में जाना नहीं चाहता पर मैं खुशी से कहना चाहता हूं कि मेरा सौभाग्य था कि भारत और रूस मैत्री संघ के सम्बन्ध में जो राजदूत है, पहली बार प्रदेश में आए, तो उसका स्वागत करना होता है। रूस जैसे देश का प्रतिनिधि आए, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, कहीं और कोई होटल नहीं मिला था। वहां पर गरीबी हटाने का काम होगा ? (व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने भारत–रूस मैत्री संघ के प्रतिनिधियों की एक भी दावत नहीं की। हां, रूसी राजदूत और रूस से आए हुए प्रतिनिधियों की क्लार्क अवध में नहीं, मेरे घर पर, मैंने दावत की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इजाजत लेकर की है। यह सत्य से परे है कि मैंने क्लार्क अवध होटल में उनकी दावत की है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, इसमें जो गलत बयानी हुई है, उसको मैं सुनाना चाहता हूं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा। क्लार्क अवध में माननीय मुख्य मन्त्री जी की तरफ से रात का खाना खिलाया गया है और यह गलत बयानी माननीय मुख्य मन्त्री जी दे रहे हैं कि उनके घर पर खाना खिलाया गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप स्वयं इस बात की जांच कर लें कि यह जो छपाया है कुछ लोगों ने, मैंने इसको नामन्जूर किया। क्लार्क अवध में दावत नहीं दी गयी। मैंने स्पष्ट कह दिया जो मित्र विदेश से आ रहे हैं मैंने उनको घर पर दावत दी। इस छपे कागज में झूठ छपा है। और आप स्पीकर महोदय ....

(श्री शतरुद्ध प्रकाश के लगातार बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप क्यों बार-बार बोलते हैं। आप चाहते हैं कि उनका जवाब न आवे।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

यह गलत बयानी कर रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आपने जो उठाया है, उसी का तो है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

मेरा छपा हुआ निमन्त्रण क्लार्क अवध का नहीं है और मैं इस नवजवान साथी से यह वायदा करता हूं कि जो निर्णय आप लेंगे उसको मैं मान लूंगा। मेरे घर पर दावत हुई है, बाहर कहीं पर नहीं।

(व्यवधान)

एक बात आखिरी मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का ताल्लुक है हमने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया है और रूस के जो मित्र आये थे उनसे उत्तर प्रदेश और भारत के विकास के सम्बन्ध में पूर्ण चर्चा की है और जो लाभ उठाना चाहिये वह

उठाया है। उन्होंने बड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से हमारे सारे प्रश्नों के सम्बन्ध में चर्चा की है और उनका स्वागत करने में हमें बेहद खुशी हुई है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

रूस का झन्डा फहराया गया है और भारत का झन्डा झुकाया गया है। भारत का अपमान किया गया है, राष्ट्र का अपमान किया गया है और राष्ट्रीयता का अपमान किया गया है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

पाकिस्तान को जब अमरीका ने हथियार दिए तो बी० एल० डी० के नेताओं ने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया उन्होंने इन्दिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया तो यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान जो है वह कमजोर हो।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

ऐसे बहुत से दल हैं. जिनका हेड आफिस नयी दिल्ली में नहीं है, मास्को में है।

श्री अध्यक्ष—

कार्य सूची 11।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, विधान सभा के सदस्य 11 बजे घुस नहीं पाये...

कतिपय समितियों के निर्वाचन का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

एक और सूचना दे दूं। कमेटियों के चुनाव का, जहां तक आपकी राय मालूम पड़ी, माननीय संसदीय कार्य-मन्त्री, माननीय मुहम्मद असरार अहमद और माननीय मोहन लाल कपूर से।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मेरी बात हो चुकी है। ये चुनाव इसी सत्र में यदि कराए जायं तो आप अच्छी परम्परा डाल देंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि विरोधी दल इस सम्बन्ध में जो कार्यक्रम बना कर आपको प्रस्तावित करें, उसको आप स्वीकार कर लें और माधव बाबू यदि कमेटियों का चुनाव इसी सत्र में कराना चाहें तो इससे ज्यादा हमें और कोई खुशी नहीं होगी।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, आपने मुझे ही बोलने का मौका नहीं दिया और सब को दिया है।

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

(श्री मोती लाल देहलवी के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कह रहे हैं कि सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है, तो बिना अविश्वास प्रस्ताव के इस सम्बन्ध में बोलना उचित नहीं है। यह नहीं होना चाहिये। उसके लिए जाब्ते से कार्यवाही की जानी चाहिये। आपने किस नियम के अन्तर्गत दिया है, इस तरह से मैं आपको नहीं सुन सकता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

आपके सम्बन्ध में है...

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे सम्बन्ध में क्या कहेंगे ? आप बिलकुल अमर्यादित हैं । मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वे आप जैसे सदस्यों को नियन्त्रित करें। आपने जो दिया है वह तो अवमान बन जायगा। आप बैठ जायं।

(श्री मोती लाल देहलवी के न बैठने पर)

आप बैठ जायं और अगर आप नहीं बैठते हैं तो मैं आप को इंगित करता हूं।

(न बैठने पर अध्यक्ष ने श्री मोतीलाल देहलवी को इंगित किया।)

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मोती लाल देहलवी को 3 दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री मोती लाल देहलवी को 3 दिन के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब अगर माननीय मोती लाल देहलवी 3 मिनट में नहीं जावेंगे तो हम दूसरी सजा के क्रम में जायेंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मान्यवर, जब माननीय सत्य प्रकाश मालवीय बोल रहे थे तो आपके कहने के बावजूद भी माननीय गर्ग बोलते रहे तो आपने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(अत्यधिक शोर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोती लाल देहलवी के विरुद्ध प्रस्ताव इसलिए आया कि वे अनियमित बोल रहे थे। (शोर) (सदस्यों के खड़े होने और जोर से एक साथ कुछ कहने पर)।

आप कृपया बैठ जायं । 1, 2; 3। मैं माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद, कृष्णा राय; गिरिजा शंकर पाठक, माननीय काली चरण यादव, माननीय सत्य प्रकाश मालवीय से प्रार्थना करूंगा कि वे बैठ जायं । (कुछ माननीय सदस्यों के न बैठने पर)। अब मैं 3 को ही इंगित करता हूं। (एक और सदस्य के बैठने पर)। अब मैं 2 को इंगित करता हूं। अब वे दोनों भी बैठ गए इसलिए कोई बात नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मोती लाल देहलवी के बोलने पर तो आपने उनका 3 दिन के लिए निलम्बन कर दिया लेकिन जब माननीय गर्ग बोलते रहे तो आपने कोई नियन्त्रण नहीं किया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मेरा प्रस्ताव है....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, जब माननीय अध्यक्ष महोदय खड़े हों तो मुख्य मन्त्री को नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय चौधरी साहब का कहना है कि जब किसी सदस्य द्वारा पीठासीन अधिकारी का कहना नहीं माना जाता है तो उसके साथ नियमानुसार बर्ताव किया जायगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे सिर्फ यह कहना है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कभी यह कोशिश नहीं की कि .....

(श्री मोती लाल देहलवी के बैठने पर)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि माननीय मोती लाल देहलवी के सम्बन्ध में जो हम लोगों ने .....

श्री अध्यक्ष—

पहले वे चले तो जायं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मैं नहीं जाता हूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

सदन का फैसला है उनको बाहर जाना पड़ेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

मेरी प्रार्थना है एक मिनट के लिए मान जायं, ताकि सदन में अच्छा वातावरण बन सके..... (व्यवधान)

(श्री मोती लाल देहलवी सदन के बाहर चले गये)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं..... (व्यवधान) जो नेता सदन है... (व्यवधान)।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, कृपया सुन लें। मैं आपसे, और अपने दल से, आप देखते होंगे कि मैं बराबर प्रार्थना करता हूं। अब मान्यवर, माननीय मोतीलाल देहलवी चले गए हैं, आपने आज्ञा दी, वे चले गए। अब चूंकि स्थिति अच्छी हो गयी है उन्हें सदन में आने की आज्ञा दें। और निलम्बन की आज्ञा को निरस्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री मोतीलाल देहलवी को क्षमा किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोती लाल देहलवी द्वारा श्री अध्यक्ष को लिखा गया पत्र

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य अपनी बात के सिलसिले में अड़ते हैं, जो अध्यक्ष को चुनौती दें, जो उन्होंने लिख कर दिया है, मैं उसे पढ़ता हूं—

[* * * *]

यह किस नियम के अन्तर्गत आता है। माननीय चौधरी साहब को मैंने परसों बताने की कोशिश की थी। मैं उनसे कहता हूं कि वे उनसे जाकर बात कर लें। आखिर यह किस नियम के अन्तर्गत आता है.... (व्यवधान)

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

एक सदस्य—

आप ही बताइए।

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं बता सकता। अगर कुछ कहना है तो अविश्वास का प्रस्ताव रखिए। इस तरह से दूसरे के मुंह में बात रख कर कहना अनुचित है। दूसरे के मुंह में बात रख कर वन मन्त्री के विरुद्ध कहना अनुचित है (व्यवधान)। दूसरे के मुंह में रख कर अध्यक्ष पर आरोप लगाये। खुद नहीं कह रहे हैं। इसको अंग्रेजी में ब्लैकमेल कहते हैं?

मुख्यमंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है, आपने यह पढ़ दिया है, मुझे इसके लिए खेद है कि जो कांग्रेस सदस्य ने किया था। मेरी प्रार्थना है कि जो आपने पढ़ा है इसको कार्यवाही का भाग न माना जाय, यह अनावश्यक है। यह कार्यवाही का हिस्सा न बने। इसको आप कार्यवाही से निकलवा दें। इसको आप भी भूल जायं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, हम तो भूल जाते हैं, लेकिन क्या कहना चाहिये, क्या नहीं कहना चाहिए। इसको मैं निकलवा दूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं पुन: आपसे कहना चाहता हूं कि यह हाउस बिलकुल मखौल हो गया है। आपने पहले भी कहा था कि नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। मैं भी समझता हूं कि नियमों का कड़ाई से पालन हो, चाहे मेरे खिलाफ हो, चाहे मुख्य मन्त्री के खिलाफ हो, चाहे किसी के खिलाफ हो, लेकिन इसमें सीरियसनेस होनी चाहिए वरना इस सदन में अनुशासन का पालन नहीं हो सकेगा। मैं कहता हूं कि आखिर वह अवसर कब आएगा जब कि हम लोग सीरियसनेस से यहां का काम कर सकेंगे। एक तरह से यहां मजाक हो गया है और कुछ भी सीरियसनेस सदन में नहीं रह गयी है जिससे यहां की कार्यवाही अच्छी तरह से चल सके।

श्री अध्यक्ष—

मैं आप से सहमत हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं भी आक्रोश में खड़ा हूं तो मुझे निकाल दें, मुख्य मन्त्री ऐसी कोई बात कहें तो उनको भी कहें निकल जाने के लिए, लेकिन मुझे कुछ कहना अच्छा नहीं प्रतीत होता और मैं किसी की बात नहीं कहना चाहता। आपकी जो रूलिंग हो उसमें सीरियसनेस होनी चाहिए। मैं सच कहता हूं कि अगर बाहर का कोई आने वाला यह टिप्पणी कस दे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा मखौल करती है तो ऐसा कहने में वह जस्टिफाइड होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं भी इस विचार से शत-प्रतिशत सहमत हूं। वास्तविकता यह है कि जब तक यहां कुश्ती न की जाय, कोई सदस्य गम्भीरता से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता है। माननीय नेता विरोधी दल ने पिछली दफा कहा था कि नियमों का पालन होना चाहिए लेकिन मान्यवर, जब नियमों का पालन करने का प्रश्न आता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप फिर उदारता न बरतें। क्योंकि जब आप लगातार उदारता बरतने जाते हैं तो फिर सदन के अन्दर नियमों के प्रति कोई गम्भीरता नहीं रह जाती है। इसलिये इस पर आप गम्भीरता से सोचें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मुझे भी इससे क्लेश है। यह नान-सीरियस कर देता है सदन की कार्यवाही को।

(व्यवधान)

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला): मैं यह निवेदन कर रहा ... बात रखी गयी है वह तो बड़ी सुन्दर है लेकिन उस भाव ... या उससे ऐसा मालूम होता है कि यहां नियमों का पालन करना आपका काम नहीं है। आपक अधिकार में है कि आप उसको देखें कि नियमों का पालन होता है। यह एक तरह से आक्षेप हो जाता है अध्यक्ष के ऊपर। तो मेरा निवेदन है कि यह हिस्सा उनको नहीं कहना चाहिये था। निकाल देना चाहिये।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

अध्यक्ष महोदय, आमतौर से सत्र और इससे पहले हमेशा यह देखा गया है कि चाहे यहां से सवाल हो, चाहे जनसंघ के भाइयों की तरफ से सवाल हो या कांग्रेस (ओ0) की तरफ से हो, एक दल है जो एलर्जिक है और रूस का नाम लेते ही भारत से उनकी मुहब्बत खतम हो जाती है। फौरन उनकी दिलचस्पी मास्को पहुंच जाती है।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

यह नियमों का पालन कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह तो दूसरा सवाल उठ गया।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

आपके सामने एक दफा नियम 56 के अन्तर्गत एक प्रश्न आया जिसमें श्री शतरुद्ध प्रकाश का नाम आपने पढ़ा। फिर वे खड़े हुए। तो मैं जानना चाहता हूं कि किस व्यवस्था के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य माननीय गर्ग मुसलसल आपकी आज्ञा न देने के बावजूद बराबर बोलते रहे। (व्यवधान)। मेरी पार्टी को इस बात का फख्र है कि उसने सबसे ज्यादा अच्छा कार्य किया है और सभी अनुशासनहीनता नहीं की है क्योंकि उन्होंने कभी डिसिप्लीन को नहीं तोड़ा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अध्यक्ष जी, माननीय माधव बाबू ने जो बातें कही हैं उन बातों को मैंने गम्भीरता-पूर्वक, और सबने सुना और समझा है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। यह सच बात है कि अनुशासन होना चाहिये, नहीं तो यह सदन कैसे चलेगा। पर यह सच है कि हम सब प्राणी मात्र हैं और एक आदमी होने के नाते भावुकता में इधर-उधर की बात भावावश में कह जाते हैं। तो इसको सुधारना भी हमारा कार्य है इस पर एक दम फांसी की सजा भी नहीं हो सकती है कि बड़ी से बड़ी सजा दी जाय। कोई माननीय सदस्य अगर पकड़ा गया या माननीय अध्यक्ष ने आज्ञा दी तो सदन के नेता के नाते मेरा एक दस्तूरी फर्ज है, इसका मेरे पास और आप्शन नहीं है। अगर माननीय सदस्य किसी को इंगित करें तो मुझे उनको निकालने के लिये प्रस्ताव करना पड़ेगा। न करूं तो इस बात से उनको अविश्वास हो जाय। तो यह सारे सदन की मर्जी पर है। माधव बाबू ने 3 दिन की बात कही। 1 दिन आपकी मंशा है, मेरी मंशा नहीं हुयी बल्कि नहीं थी। मेरे मुंह से निकल गया। आपने कहा तो मैंने दुरुस्त कर दिया।

यहां किस तरह से कार्य हो, यह हम सब को स्वयं देखना चाहिये। सबका सहयोग होना चाहिये। नियम जो बने हैं वह हमारी और आपकी सहायता के लिये बने हैं। कोई माननीय सदस्य कहीं कटु बोले या विरोध में बोले तो सबको उसको संभाले रखना चाहिये जिससे इस सदन की बहस अच्छी हो। एक बात माननीय गोविन्द सिंह नेगी जी ने कही तो मेरे खयाल से स्वयं को अपनी नजर में गिराना वाजिब नहीं है। मेरी खशकिस्मती

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

है कि मैं पार्लियामेंट का सदस्य रहा हूं और यहां भी हूं। अखिल भारतीय स्तर पर कुछ काम करने के सिलसिले में, दर्शक की तरह से बहुत सी असेम्बलियों को मैंने देखा। मैं मान्यवर, इसमें आपकी चाटुकारिता नहीं करता, अपने दल और विरोधी दलों की प्रसंशा नहीं करता। मेरे ख्याल से जितना कम विघ्न इस सदन में होता है और सभी माननीय सदस्य इसको अच्छी तरह चलाना चाहते हैं; वह शायद इस देश में काफी हद तक और असेम्बलियों से अच्छा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि और अच्छा न हो, हो सकता है, और अच्छा हो सकता है। हमारी कार्यवाही में मखौल की बात कही, मखौल होता है तो यह लांछन निकाल देना चाहिये। यह उचित बात नहीं है भविष्य में कोई पढ़ेगा तो क्या समझेगा। मेरी अपेक्षा है कि सदन के सभी माननीय सदस्य आपको सहयोग करें। सहायता करें।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के एक शब्द पर आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—

कहीं कोई भ्रम नहीं है। यह न समझें कि नियमों के अनुसार काम नहीं किया गया। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। नियम 299 में सदन में शांति और व्यवस्था के बारे में है। इसके 1–2–3 में (क) (ख) (ग) (घ) में है। यह मखौल नहीं किया गया है।

'सदन किसी समय प्रस्ताव किये जाने पर यह आदेश दे सकेगा कि उपर्युक्त उपनियम (3) के अधीन दिया गया निलम्बन का कोई दण्ड या उसका असमाप्त भाग निरस्त किया जाय'

यह सदन की सार्वभौमिकता में निहित है। मेरे कहने का महत्व है। इसलिये माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी को भ्रम हुआ जो उन्होंने मखौल शब्द का इस्तेमाल किया। नियम के अनुसार यदि कोई निकलता है तो नियम के अनुसार ही हम लाते हैं। यह कोई न समझे कि उसमें मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा वह है जो सदन की इच्छा है और उसका परिपालन करने और कराने में मेरा मन रहता है। इसलिये निकाला जाना नियम के अनुसार है और क्षमा करना तथा दंड वापस लेना भी नियम के अनुसार ही है। इसमें कोई हल्कापन नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मुझे लगता है आपने मुझे गलत समझा। देहलवी जी के निकालने की आज्ञा हुई और फिर कह दिया कि वह रह जायें। तो इस पर मेरा आक्षेप नहीं है। मेरा कहना है कि सीरियसनेस बनाये रखने के लिये फौरन ही नानसीरियस नहीं होना चाहिये। इसलिये सीरियसनेस होना जरूरी है।

1975–76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान; अनुदान संख्या–48 खाद्य तथा पोषाहार, अनुदान संख्या 43–सामान्य आर्थिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या 78–खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष—

कार्य सूची 11; खाद्य मंत्री।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

[* * * * *]

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने खाद्य मंत्री को बुला दिया है। सवाल आप नहीं करेंगे। व्यवस्था का प्रश्न अब नहीं उठता है। चूंकि खाद्य मंत्री खड़ी हैं।

[* *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(श्री बाबू लाल वर्मा और श्री शतरुद्ध प्रकाश साथ-साथ बोलते रहे।)

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

[* * * *]

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[* * * * *]

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं लिखा जायेगा।

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,23,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43—सामान्य आर्थिक सेवाएँ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,07,17,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78—खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,83,33,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, यह जो खाद्य वाली चर्चा है जो अभी चलेगी, यह एक महत्वपूर्ण अनुदान है और हम चाहते हैं उसमें हिस्सा लेना और उसको शान्ति से सुनना, जो हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति है.....

श्री अध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां उठता है?

श्री मधुकर दिघे—

यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो सवाल नियम के तहत नहीं उठाये जा सकते, उनको किस प्रकार उठाया जाय?

श्री अध्यक्ष—

आप जबरदस्ती न करें। जो आप कहते हैं हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब मैंने गिरफ्तारी की सूचना दी तो उस अवसर पर आप उठा सकते थे.....

नोट:—[* * * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अगर कल हम उठायेंगे तो उसकी महत्ता कम हो जायेगी. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

तो अब इस प्रकार विधान सभा में सवाल नहीं उठते ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जब आपने गिरफ्तारी की सूचना पढ़ी थी. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आपको इस तरह उदारता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये । यह आप नहीं कह सकते, मैंने समय नहीं दिया । आप मौका चूक गये । अब मैं आगे चला गया और माननीय मंत्री जी ने अपना प्रस्ताव रख दिया तो आपको बाधक नहीं बनना चाहिये ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, माधव बाबू हमारे दल के नेता हैं और जब वह खड़े हो जायं तो हमारे जैसे आदमी के लिये यह उपयुक्त नहीं होता कि मैं भी बीच में खड़ा हो जाता । इस तरह से सदन की मर्यादा खराब होती है ।

श्री अध्यक्ष—

सदन की मर्यादा यह भी तो होती है कि इस तरह से बीच में उठकर नहीं बोलना चाहिये । उपयुक्त समय पर आप प्रश्न उठायें । पहली बात, आपने लिखकर नहीं दिया । मैं यह कैसे जान लेता कि आप कोई बात उठायेंगे ? जब मैंने सूचना पढ़ी तो उसी समय आपको उठाना चाहिये । आपको अध्यक्ष का विश्वास लेकर काम करना चाहिये । अगर आप सूचना के समय खड़े होते तो मैं यह नोट कर लेता कि आप भी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री मधुकर दिघे—

हमारी दिक्कत को आप सुन लें । नियम के अन्तर्गत तो लिखकर देना चाहिये लेकिन जब ऐसे प्रश्न जो 10 बजे से पूर्व नहीं उठ सकते हों क्योंकि उस समय तक वह घटना नहीं घटी और जब ऐसा समय आया तो हमें 'जीरो आवर' पर उसे उठाना चाहिये था । अगर हम प्रश्न उठाना चाहते हैं तो क्या आप इजाजत नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अध्यक्ष से काल्पनिक सवाल नहीं पूछा जाता ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह काल्पनिक कहां है ? यह तो फैक्ट है और इसी रोशनी में यह जानना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

काल्पनिक इसलिये है कि मैंने स्वयं सूचना दी और सूचना पर आपको कहना चाहिये था ।

जब मैंने सूचना दी तब आपको कहना चाहिये था कि आपको कुछ कहना है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

गिरफ्तारी के बारे में. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप जबरदस्ती क्यों करते हैं ? जब सूचना पढ़ दी तब आप खड़े नहीं हुये । इसके बाद हम आगे बढ़ गये । माननीय मंत्री जी ने अनुदान रख दिया । तब भी आप बोलते हैं । अखिर कुछ आत्म संयम भी तो रखना चाहिये ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के लिये उस वर्ष खाद्य विभाग की ओर से आशापूर्ण बजट उपस्थित कर रही हूं। एक आप्टीमिस्टिक क्लाइमेट के अन्तर्गत हमारा यह बजट प्रस्तुत है। पिछले वर्ष जब हमने अपना बजट प्रस्तुत किया था उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में काफी अन्तर हो चुका है। पिछले वर्ष फसल अच्छी नहीं थी और खाद्यान्नों की कमी महसूस हो रही थी, चीजों की कीमतें काफी बढ़ रही थीं। केवल खाद्यान्नों के सिलसिले में ही नहीं अन्य उपयोगी वस्तुएं जैसे दियासलाई साबुन टायर सीमेन्ट डालडा आदि आदि का भी अभाव था। लेकिन आज मैं इस स्थिति में हू कि सदन को और सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से कह सकूं कि आज जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिनको हम एसेंशियल कमोडिटीज कहते हैं उनकी अभाव की स्थिति नहीं है और जिन चीजों के लिये लाइन लगानी पड़ती थी आज हम उस स्थिति से उपभोक्ता को निकाल चुके हैं। आज न सीमेन्ट के लिये चिल्लाहट है और न दियासलाई के लिये और न डालडा के लिये। पिछली बार जब यह स्थिति आयी थी तो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से साबुन, दियासलाई वितरण कराने की व्यवस्था की गयी थी और इसका परिणाम भी अच्छा हुआ। लोग इसके अतिरिक्त जो होर्डिंग किया करते थे उनके खिलाफ भी एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट में परिवर्तन करके कार्यवाही की। जो तस्करी करने वाले लोग थे उनके विरुद्ध केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार ने सख्ती की और जो भी कदम इसके लिये उठाये गये उनका परिणाम यह है कि आज वे सभी चीजें, जिनको ऐसे लोग छिपा लिया करते थे और ऊंचे दामों पर बेचते थे मार्केट में दिखाई पड़ती हैं। पहले रेलवे वैगन्स की कमी के कारण कोयला मंगाने में दिक्कत होती थी। 1974 में अप्रैल से फरवरी तक केवल हमें 10 रेक औसतन कोयला प्राप्त हुआ था, इस वर्ष मार्च में ही स्लैक कोक 38 रैक्स प्राप्त हो गये हैं। इसी प्रकार से जो मोटा कपड़ा देहाती क्षेत्रों में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों में वितरित किया करते थे उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। भारत सरकार से हमने मांग की थी कि हमको करीब 13,000 गांठ प्रति माह कपड़े की दी जाय, कम आमदनी वाले लोगों में वितरित करने के लिये। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने हमारी इस मांग को स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश को 13,000 गांठें मोटे कपड़े की वितरण करने के लिये स्वीकार हुयी हैं। इस तरह से जो मैंने पिछले वर्ष कहा था कि हम प्रत्येक 2 न्याय पंचायतों के बीच देहाती क्षेत्रों में मोटे कपड़े को कोआपरेटिव के माध्यम से वितरित कर सकेंगे, उस स्थिति में हम हो गये हैं, क्योंकि मोटा कपड़ा उपलब्ध है।

हमें यह भी प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश में जो टायर के ऊपर काफी ब्लैक था, हम ने उस वक्त निश्चय किया था कि जितने भी टायर्स हैं, उसके वितरण करने के लिये जिलाधिकारी के अधीन एक कमेटी बनायी गयी थी और जितने ट्रान्सपोर्टर्स थे, ये अपने को रजिस्टर कराते थे और वह बाई रोटेशन मिला करता था। लेकिन धीरे धीरे इस तरह की सुव्यवस्था की गयी ताकि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़े और कुछ टायर्स की वृद्धि भी हुयी। उसकी वजह से आज स्थिति यह है कि आज अभाव नहीं है और जो आवश्यकतानुसार टायर का कोटा हमको मिलना चाहिये, वह भी मिल रहा है।

मिट्टी के तेल की जो आवश्यकता है, उसके लिये भी आज हम इस स्थिति में हैं कि देहाती क्षेत्रों में और शहरों में जहां लोगों को जितनी आवश्यकता है, आवश्यकतानुसार उनको मिट्टी का तेल दिया जाय। हमने इस वर्ष यह निर्णय लिया कि देहाती क्षेत्रों में जिसके लिये माननीय सदस्य कहा करते थे कि मिट्टी के तेल की कमी दिखाई पड़ती है, उस कमी को पूरा करने के लिये तेल कम्पनियों से और भारत सरकार से बातचीत करके यह फैसला किया है और हमें प्रसन्नता है कि वे राजी हो गये हैं कि जो आगे के लिये तेल के नये स्टाकिस्ट्स और डिपो खोले जायें, वे ज्यादातर देहाती क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर खोले जायें जिससे कि देहात के अन्दर लोगों को तेल उपलब्ध हो सके।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

प्रकृति ने भी हमारा साथ दिया है। इस वर्ष विन्टर रेन होने के कारण और बिजली को रोटशन से दिये जाने के कारण देहाती क्षेत्रों में किसानों को गेहूं की पैदावार बढ़ाने में सहूलियत हुई है और आशा की जाती है कि उत्तर प्रदेश में करीब 75 से 77 लाख टन तक पैदावार केवल गे ं की होने की सभावना है। अन्य खाद्यान्नों के अलावा। इस परिस्थिति को देखते हुये कि किसानों को अच्छी और सही कीमत मिल सके, भारत सरकार ने 105 रुपये जो कीमत तय की उसको मैंने स्वीकार किया और किसानों पर ग्रेडेड लेवी लगाई जो थो े से ही किसा ों पर लगेगी। 72 प्रतिशत किसानों को छोड़ दिया है। लेवी का ग्रेड इस प्रकार है कि सवा 3 एकड़ से लेकर साढ़े 6 एकड़ के किसान पर 15 प्रतिशत लेवी है और सव 6 एकड़ से लेकर 12 एकड़ तक किसान पर 25 प्रतिशत लेवी है। इस प्रकार मध्य श्रेणी के किसान 25 प्रतिशत उपज का लेवी के रूपमें देने के बाद जो 75 प्रतिशत उसके पास बचता है, उसे वह बाजार में मनमाने दाम पर बेच सकता है। यह सब हमने किसानों के हित को देखते हुए ही किया है। हमने देखा कि इस साल बम्पर क्राप है और अगर सरकार व्यापारी वर्ग के हाथ में खुले बाजार में इस पैदावार को छोड़ देती तो फिर किसान को क मत न ीं मिल पाती। समय समय पर सरकार को सपोर्ट प्राइस किसान को इसलिये देनी होती है, जब पैदावार अधिक होती है तो बाजार में कीमतें गिरने लगती हैं और किसान मारा जाता है। किसान के फायदे को नजर में रखते हुए ही सरकार ने 105 रुपये सपोर्ट प्राइस निर्धारित की है। गांव सभाओं में लेवी के लिये जगह जगह नोटिस चिपका दिये जायेंगे ताकि किसानों को पता चल सकेगा कि उनको कितना गेहूं लेवी के रूप में देना है और बाकी वह अपनी आवश्यकता के अनुसार घर में रख कर बाजार में बेचने के लिये ला सकता है। उसके लिये हमने एक तिथि निर्धारित कर दी है।

एक सदस्य--

जो किसान नहीं दे पायेगा, उसके लिये सरकार क्या करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

पहले मुझे कह लेने दीजिये फिर इसका उत्तर दे दिया जायगा। हमारा सूबा बहुत बड़ा है। अलग अलग रीजन में अलग अलग समय पर कटाई होती है। कुछ जगहों पर गेहूं की कटाई शुरू हो गयी है और कुछ जगहों पर 8, 10 दिन बाद शुरू होगी। दो तीन तिथियां रख दी गयी हैं। जब किसान गेहूं काट कर घर ले आयेगा और उस तिथि के अन्दर अपना हिसाब दे देगा और इसके लिये हमने यह सहूलियत भी रखी है कि जब वह क्रय केन्द्र पर लेवी का गेहूं लायेगा तो तीन रुपये प्रति कुंटल उसे भाड़े के रूप में दिया जायगा जो समय के अन्दर गेहूं ले आयेगा। हमने यह तय किया है कि जो लोग लेवी के अतिरिक्त हमको देंगे उनको एक रुपया हम और देंगे। फसल अच्छी हुई है, किसानों को व्यापारियों द्वारा कम कीमत न मिले। हमसे कुछ विधायक आगरा के मिले और उन्होंने कहा कि उनके यहां भाव तेजी से गिर रहे हैं और दूसरी जगहों के लोगों ने भी बतलाया कि उनके यहां भी भाव तेजी से गिर रहे हैं जिससे व्यापारी खरीदने में दिक्कत भी पैदा करते हैं। लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है लेवी की, उसके साथ किसानों को सहूलियत की जो अन्य चीजें भी हैं जैसे सीमेंट है। उनको खाद देना है जैसे मोटे कप े की व्यवस्था है, चीनी की व्यवस्था है, किसानों की जरूरत की और चीजें है वह भी हम देने के लिये व्यवस्था कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि किसान बहुत खुशी से हमारे क्रय केन्द्रों पर आकर के लेवी देगा और लेवी के अतिरिक्त जो अनाज होगा वह भी देगा। इसलिये उत्तर प्रदेश की सरकार बिना किसी कोअर्सिव मेथड के, बिना किसी दबाव के, किसानों से अपील करके, किसानों की रजामन्दी से उनके सहयोग से कम आमदनी वाले लोगों के बीच में वितरण व्यवस्था के द्वारा, दूकानों के द्वारा 1 रुपये 33 पैसे पर किलो पर जो गेहूं देते हैं वही देते रहें क्योंकि हमने कीमत उसकी बढ़ाई नहीं है और उसके देने के लये उत्तर प्रदेश की सरकार कृतसंकल्प है और उसकेलिये 10 लाखटन जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति में वह सहायक बनेगा। एक तरफ लेवी के

द्वारा भी और दूसरी तरफ किसानों से ऐसे भी खरीदेंगे जिससे अनाज के भाव अधिक नीचे न आने पावें। हमारे जो जरूरतमन्द किसान हैं, किसी की लड़की की शादी है या उसको अन्य प्रकार की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिये वह अपनी वस्तु को बाजार में लायेगा, तो उनको उन चीजों को भी खरीदने के लिये हमने क्रय केन्द्र खोल रखे हैं, जहां किसान खुशी से आकर के दे सकता है।

(इस समय 1 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री माता प्रसाद पीठासीन हुये।)

इससे प्राइस सपोर्ट ड्राइव की जो हमारी नीति है, वह पूरी हो जाती है क्योंकि जब कि बम्पर क्राप है, जब आज फसल बहुत अच्छी है तो उस समय कीमत को बांधने की व्यवस्था अगर हम नहीं करते हैं तो जो दूसरी फोर्सेज हैं जो दूसरे लोग हैं, वह कम करने की बात उस में कर सकते हैं जो किसानों के इन्टेरेस्ट में कभी भी जानेवाला नहीं है। तो हमारी प्रोक्योरमेंट की यह नीति है इसको हम विस्तार से डिसकशन के दौरान जो माननीय सदस्यगण सवाल उठायेंगे, तब हम उसका जवाब बाद में देंगे।

तीन चार बातें और कहना चाहती हूं कि जहां हमारे विभाग का सम्बन्ध इससे है कि हम जनता को देने के लिये सही कीमत पर और सस्ती चीजों को इकट्ठा कर सकें, लें और एकत्रित करें उसी के साथ-साथ वितरण प्रणाली का हम सुधार करें और इसके सुधारने में हम क्या करें, इस पर भी हमने काफी ध्यान दिया है। आये दिन इस विधान सभा के अन्दर जब माननीय सदस्य सवाल करते हैं तो यह प्रश्न अक्सर आते हैं कि यहां चोरबाजारी हो रही है, ब्लैक मार्केट हो रहा है, यहां की वितरण व्यवस्था में यह कठिनाई है, यह दिक्कत है आदि-आदि। तरह-तरह की चीजें माननीय सदस्यों की ओर से कही जाती हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये आवश्यक वस्तुओं की वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिये हमने कुछ योजनायें बनायी हैं। इसमें उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों ही काफी गम्भीरता से कार्य करती रही हैं। अखिल भारतीय स्तर पर हमने मीटिंग्स की और उनके बाद यह निर्णय लिया गया है करीब करीब दैनिक जीवन की जो आवश्यक वस्तुयें हैं, उनको आवश्यक वस्तुओं के अन्दर रख कर उनके वितरण की व्यवस्था हम कर सकते हैं तो उनको अपने कन्ज्यूमर स्टोर्स के माध्यम से करें और उनके अन्तर्गत मोटा अनाज जिसमें दालें भी शामिल हैं, अनाज, चीनी, सस्ते कपड़े, वनस्पति, तथा अन्य खाने योग्य तेल, ईंधन यानी मिट्टी का तेल, दिया सलाई, साबुन, रेजर ब्लेड्स और बैटरी के सेल यह 11 चीजें हैं, वैसे तो 25 वस्तुयें हैं जिनको ए0 बी0 सी0, डी0 कैटगरी करके, कोई ज्यादा आवश्यक है, कोई कम आवश्यक है, इस प्रकार से लिया है लेकिन मोटे प्रकार से हमने प्रदेशीय स्तर पर 11 वस्तुओं को सेलेक्ट किया है जिनको आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत लेते हुये उनके वितरण की व्यवस्था से नियोजित कराने की हम व्यवस्था करेंगे। और इसके लिये एक दृष्टिकोण हमारा यह है जैसा कि हमने घोषणा भी की है कि कमजोर, दुर्बल वर्ग और कम आमदनी वाले लोगों को ये आवश्यक वस्तुयें ज्यादा मुहैया की जासकें, निश्चित कीमत पर दे सकें क्योंकि बाजार में चीजों की कीमत घटती बढ़ती रहती है अतः उपभोक्ता को इसके ऊपर निर्भर न रहना पड़े बल्कि आवश्यक वस्तुयें उन्हें उपलब्ध हो सकें।

अभी हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से घोषणा हुई थी कि एक हजार तक की आमदनी वालों को ही खाद्यान्न और चीनी देने के लिये तय किया गया है। इसको विस्तृत तरीके से देखा जायगा कि किस प्रकार इसको ठीक किया जाय, कार्ड पर लोग जो इनकम दिखा देते हैं उसको कैसे ठीक किया जाय। इसके लिये सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं। दूसरी तरफ सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कतें होती हैं, उनको गेहूं की वसूली के सिलसिले में जो चीजें बांटी जायेंगी वह किस तरह से लोगों को पहुंचाई जायेंगी। इसको भी देखा जायेगा। चूंकि अकसर शिकायतें आती हैं ग्रामीण क्षेत्रों से कि आबंटन ठीक से नहीं हुआ है अबतक यह होता था कि ग्रामीण क्षेत्रो में तहसीलदार या

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

एस० डी० एम० स्तर पर अथवा कोई सरकारी व्यक्ति दुकानों का आबंटन कर देते हैं लेकिन उसमें शिकायतें आती हैं तो उनके लिये यह निर्णय लिया गया है कि पंचायत स्तर पर इसको तय किया जायगा। न्यायपंचायतों के सरपंच उसके अध्यक्ष होंगे और वे गांव-सभाओं के प्रधानों के साथ बैठकर जो भी दरख्वास्त आयेगी वे तय करेंगे। यह लोग ही बहुमत से जो तय करेंगे कि कहां पर दुकान की आवश्यकता है और किसको मिलनी चाहिये। उनकी सहूलियत से यह तय किया जायगा। इसमें एक-दो महीना लग जायगा। अतः जुलाई से इसको लागू करने की व्यवस्था होगी। एग्जिस्टिंग जो दुकानें हैं उनका भी फिर से मूल्यांकन यह कमेटी करेगी। इस सम्बन्ध में अक्सर शिकायतें आया करती हैं। अतः स्थानीय जन प्रतिनिधि जो हैं, वे इसको देखेंगे और इस प्रकार शिकायतों को भी दूर किया जा सकेगा। इस प्रकार से जनता की एक आवाज होगी और जो भ्रष्टाचार होता है उसको कम किया जा सकेगा। हमारा निरंतर इस बात का प्रयास है कि जिस स्तर पर भी जहां पर भ्रष्टाचार की शिकायत हैं, उसको जिस प्रकार के उपाय से भी हो, डेमोक्रेटिक तरीके से सख्ती करना गवर्नमेन्ट के हाथ में है ही, दूर किया जायेगा। आंकड़े, के अनुसार हमने किया भी है। मैं आंकड़े दूंगी भी लेकिन जनतंत्र के अन्तर्गत रहते हुये हमको इस पर भरोसा करना पड़ेगा। वितरण व्यवस्था ठीक हो इसके लिये जरूरी है कि जनता के लोग नीचे की इकाई से लेकर ऊपर तक इसमें सहयोग करें, उनको जिम्मेदार बनाया जाय और तब काम चलाया जाय। यह केवल सरकारी पक्ष का काम नहीं रह जाता है बल्कि मिलकर सबकी जिम्मेदारी बन जाती है।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि शहर के अन्दर जो भी दुकानें हैं उनके सम्बन्ध में काफी शिकायतें आती हैं। जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट बनी हुई है उसके हिसाब से जो सहकारी समिति के, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिक जो लड़ाई में मारे गये हैं, उनके परिवारों के सदस्य हैं। बर्मा तथा लंका से आये हुए लोग उसके बाद फुटकर विक्रेता आदि के सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन करने में प्राथमिकता देने के लिये रखा है। यह जो सहकारी समितियां हैं जिनको सही माने में कंज्यूमर्स स्टोर के रूप में काम करना चाहिये था वह उसमें संतोषजनक रूप से काम नहीं कर पाये। इन बातों को ध्यान में रख कर यह निर्णय लिया है कि नगरों में जनता दुकानें चलायें। इसको चलाने के लिये कुछ मुहल्ले में जो एक्सपेरीमेंट के तौर पर चलाने के लिये हमने फैसला किया है। हमारे यह नये तौर के सहकारी स्टोर होंगे, जिनके द्वारा वस्तुओं का वितरण होगा। यह स्टोर जनता की दुकानों के नाम से पुकारे जायेंगे और इनका आधार होगा, उनके जो मेम्बर होंगे वह उस वार्ड के या मुहल्ले के, जहां वह दुकान होगी, उसके साथ जितने यूनिट एटैच हैं वह होंगे जैसे तीन हजार से 5 हजार तक लिये गये हैं, वे लोग उस दुकान के शेयर होल्डर होंगे और वही लोग उसमें पूंजी लगायेंगे। इस तरह से एक दुकान को चलाने के लिये 30 से 35 हजार रुपये तक खर्च होता है। तो उसकी शेयरहोल्डर वहां की जनता होगी जिनसे वह एटैच हैं और प्रत्येक की शेयर कीमत 10 रुपये के हिसाब से रखा है। एक परिवार में 5 यूनिट की बात समझी जाय तो आमतौर पर वह 50 रुपया प्रति परिवार को देना पड़ता है। तो उस सहकारी संस्था और उस जनता दुकान के साथ वह अपने को संबद्ध करेंगे। इससे यह होगा कि जो बोगस तरीके से लोग यूनिट बना कर रखते हैं और फिर ब्लैक मारकेटिंग करते हैं और सही लोगों के पास चीज नहीं पहुंचती है, इससे उसकी रोकथाम कर सकेंगे। इस तरह की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और जैसे-जैसे सफल होते जायेंगे वैसे-वैसे यह जो एक व्यक्ति को दुकान देने की बात है यह कम होगी और यह जनता की दुकानें उनका स्थान लेती जायेंगी। इसमें खाद्यान्न के सिवाय और चीजें होंगी. . . . . .

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—
इसका रजिस्ट्रेशन भी करायेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां, वह सब कराया जायेगा। यह बिलकुल नया तरीका है। केन्द्रीय कोआपरेटिव को तरह से वितरण व्यवस्था जो है करेंगे। अभी तक जो एक भ्रष्टाचार की कहानी जो है चलती रहती है और आप लोग शिकायत करते हैं वह भी समाप्त होगी। इन सब बातों को रोक थाम करने के लिये यह जनता दुकानें चलाने की सोची है। यह वर्ष चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है, इसलिये हमने तय किया है कि अभी प्रारम्भ में इस काम को महिलाओं द्वारा खास तौर पर कराया जाय। वह उसे संचालित करेंगी, शेयर होल्डर तो सब होंगे, लेकिन उसका संचालन करना महिलाओं का विशेष तौर पर उत्तरदायित्व होगा, उनको यह काम दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता---

मंत्री जी अभी आप कितना और समय लेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

थोड़ा और लूंगी। तो 11 आवश्यक वस्तुओं को इनके द्वारा बंटवाया जायेगा। कुछ वितरण प्रणाली में सुधार की बात है वह मैंने बताई हैं, उसके लिये हमने योजना बनाई हैं। फिर दूसरी तरफ जहां पर भी प्रशासन की तरफ से सख्ती करने की जरूरत थी, सुधार करने की जरूरत थी उसको भी हमने विगत वर्ष में किया। इसमें 10 अकर्मण्य लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, 10 राजपत्रित अधिकारियों को निलम्बित किया गया। 12 राजपत्रित अधिकारियों को अनिवार्य सेवा-निवृत्त किया गया तथा 5 अधिकारियों को प्रत्यावर्तित किया गया। इसके अतिरिक्त 147 अराजपत्रित कर्मचारियों को निलम्बित किया गया, 11 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्त किया गया, 37 अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रत्यावर्तित किया गया तथा 82 अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई।

यह तो हमने प्रशासनिक स्तर पर सख्ती की, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे विभाग के निष्ठावान कर्मचारियों, परिश्रमी और विवेकशील कर्मचारियों की हमने प्रशंसा भी की और इसके लिये उनकी चरित्र पंजिका में भी अच्छी इन्ट्री की। जिन लोगों की ड्यूटी पर मृत्यु हुई, उनके परिवार वालों की मदद की गई, और उन लोगों को आर्थिक सहायता भी दी गई। शासन की तरफ से माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट में जो परिवर्तन किया गया है, जो उसमें जमाखोरों और चोर बाजारी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती गई है, उसको भलीभांति कार्यान्वित करने के लिये अपने यहां एक 'पुलिस-सेल' की स्थापना की गई है। डी0 आई0 जी0 स्तर के एक एडीशनल फूड कमिश्नर की नियुक्ति करके, उनके अंडर में यह सेल दिया गया है, जिससे वह इसे अच्छी तरह संचालित कर सकें। उसका परिणाम यह है कि इस वर्ष में हमारे यहां बहुत से खाद्यान्न पकड़े गए, जो लाखों रुपये के हैं। करीब करीब 27,88,812 रुपये के मूल्य का गेहूं पकड़ा गया, 95,437 रुपये का आटा; मैदा 96,740; सूजी 3 660; चावल 9,82,094; धान 1,34,916 रुपये का पकड़ा गया है। इसके अलावा मक्का 4,84,481 रुपये का पकड़ा गया, ज्वार करीब-करीब 2,38,736 रुपये का, तथा मटर आदि पकड़ी गई है, जिनका कि लोग गलत तरीके से व्यापार करते थे। लाही, खली और डालडा 1,98,507 रुपये का; चीनी 2,02,872 रुपये की और सीमेंट 1,52,470 रुपये की; खाद 8,50,000 रुपये की पकड़ी गई, इस तरह से हर चीज में जहां पर लोगों ने गलत तरीके से काम किया, उनके खिलाफ हमने सख्त कार्यवाही की। इससे 2,632 लाइसेन्स सिक्योरिटी, जिनका मूल्य 6,84,951 रुपया होता है, वह जब्त किया गया। 899 मामले हमने कचहरियों में भेजे। सस्ते गल्ले की जो दूकानें निरस्त की गईं, वे 2,487 हैं तथा 1,904 दूकानें निलम्बित हुई हैं। उसके साथ-साथ 1,106 दूकानों के गारेन्टी धन 1 लाख 16 हजार रुपये को जब्त किया गया और अभी 964 मामले हमारे कचहरियों में चल रहे हैं।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

हमारी यह भी कोशिश है कि हमारे यहां जो बांट-माप विभाग है, उसमें भी हम सुधार लावें, क्योंकि उसका यदि ठीक सुधार नहीं किया जाता है तो उससे भी काफी नुकसान होता है। इस वर्ष हमारी कोशिश हुई और नये वर्ष में दो जगह हम नई प्रयोगशालाएं खोल रहे हैं, जिससे इस दिशा में पर्याप्त सुधार हो सके।

जैसा कि आपको पिछली बार बताया था हमने उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य व आवश्यक वस्तु निगम की स्थापना की थी। इस निगम की स्थापना 22-10-74 को हो गई और इसके चेयरमैन तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स आदि की नियुक्ति हो गई है। इस प्रदेश से जो खाद्यान्न जैसे चावल आदि बाहर जाते हैं, उनके लिये हमने यह किया है कि ये सारी चीजें इसके माध्यम से जाएं। वह हम इस निगम के माध्यम से खरीद-बिक्री की व्यवस्था करा सकेंगे। थोक व्यापार इसमें शामिल होगा। सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें जो हैं, उनके लिये कुछ थोक सामग्री खाद्य निगम समय-समय पर खरीदेगा जिससे कि बाजार से कम भाव पर जनता को हम दे सकें। यह हमारा प्रयास हो रहा है। इस तरह से प्रशासनिक दृष्टि से वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये शासन की तरफ से व्यवस्था कीगई है। मैं इस आशा के साथ इस अनुदान के सदन के समक्ष प्रस्तुत करती हूं कि इस वर्ष में अभावों को समाप्त करके बढ़ती हुई कीमतों को कम करके, इन्फ्लेशन को कम करके इस सदन के माध्यम से हम कोई निराशा की बात न करें और माननीय सदस्य सद्भावना के साथ हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये माननीय मंत्री जी यह बता दें कि जो लेवी किसानों से ली जा रही है, उनके लिये कपड़ा, चीनी आदि की क्या व्यवस्था करेंगी ?

श्री अधिष्ठाता--

आप बोलिये, जबाब में माननीया मंत्री जी बता देंगी।

*श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला लखीमपुर खीरी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दिया जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कभी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अधिष्ठाता महोदय, एवं समस्त विधान सभायी सदस्यगण चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, इस बात पर ध्यान देंगे कि खाद्य तथा पोषाहार पर जो आज विवाद का विषय है, यह केवल चर्चा का ही विषय नहीं है बल्कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। इस विषय पर हम दलगत राजनीति से हटकर एवं गुटबाजी से ऊपर हट कर जनहित एवं राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर विचार करें और ऐसे निर्णय लें कि जिससे आने वाले भविष्य में हम सुख और शांति एवं समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकें। वैसे मैं समझता हूं कि खाने पीने की, हवा की मनुष्य के रहने के लिए, हवा पानी के बाद यदि आवश्यक वस्तु है तो वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खाद्यान्न है और विशेष कर गेहूं है। गेहूं का उत्पादन इस वर्ष की बात नहीं करता, लगातार दो तीन वर्षों से यदि आप आंकड़े देखें तो आपके सामने स्पष्ट होगा कि निरंतर गिरता जा रहा है और गिरते हुए उत्पादन को देखते हुए, भारत सरकार को यह आवश्यकता महसूस हुई कि अनाज बाहर से मंगाया जाये और उसको विदेशों से भीख मांगनी पड़ी। लाखों टन गल्ला वहां से मंगाना पड़ा।

मान्यवर, मेरा ऐसा विश्वास है कि 1970–71 में जो हरित क्रान्ति आयी, उसको देखते हुए हमें यह आशा हुई कि शायद एक या दो वर्षों में देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा। लेकिन सरकार की अदूरदर्शिता, अव्यवहारिक और किसान विरोधी नीति के कारण खाद्यान्न की कमी बनी रही। अगर हमारी सरकार किसानों को प्रोत्साहित मूल्य देती जिससे खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ता। आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जिससे कृषि की व्यवस्था न सुधरती। गेहूं 8 लाख टन अभी भी आ रहा है। अमेरिका सरकार किसानों को नुकसान हो जाये, इसलिये वह किसानों को सपोर्ट प्राइस देती है। यह भी सुना गया है कि जब कभी काफी गल्ला पैदा हो जाता है तो वह गल्ला पानीमें डुबो दिया जाता है या जानवरों को खिला दिया जाता है। हमारी सरकार की नीति किसान विरोधी है, जिससे किसानों का उत्साह बढ़ता नहीं है। पिछले साल यह मांग की गयी थी कि गेहूं का मूल्य 125 रु0 प्रति कुन्तल कर दिया जाये, लेकिन सरकार ने किसानों को 125 रु0 नहीं दिया।

(माननीय सदस्य माइक के बाहर बोल रहे थे, इस कारण माइक पर सुनाई नहीं दिया।)

सरकार किसानों को 125 रु0 न देकर 145 और 155 रुपये खर्च कर रही है। हमारी सरकार ने यू0 एस0 ए0 और अन्य देशों से गल्ला मंगाना पसन्द किया, लेकिन किसानों को अधिक पैसा देना स्वीकार नहीं किया। इसलिये हमारे यहां के किसान निरुत्साहित हो गये और उनका ध्यान गेहूं उत्पादन की ओर कम हो गया। हमारे किसान को जब हरे-हरे नोट नहीं मिलते हैं तो उसको दुख होता है और उसका दिल भी हरा नहीं होता है। वह अधिक उत्पादन के लिये कटिबद्ध नहीं है। हमारी सरकार विदेशों से गल्ला मंगाना अधिक पसंद करती है, लेकिन किसानों को उसके उत्पादन का अधिक मूल्य देकर उसको प्रोत्साहित नहीं करती है।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य माइक पर बोलें। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है।

श्री राज ब्रज राज सिंह––

मान्यवर, आप खुद देखें कि पिछली वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गेहूं का भाव 105 रुपया प्रति क्विन्टल रखना उचित है अथवा नहीं? पिछले वर्ष से खाद और कृषि उपकरणों में वृद्धि होने के कारण उत्पादन व्यय में जमीन आसमान का अन्तर हो गया है। यूरिया की जो बोरी 52 रुपये में आती थी, उसका दाम इस वक्त 105 रुपया हो गया है। इसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट आदि के दाम भी बढ़ गये हैं। यह वृद्धि लगभग 90 प्रतिशत तक हो गई है। बिजली में 23 प्रतिशत की बृद्धि हुई है, डीजल में 15 प्रतिशत की और बीज के दाम में भी जो सरकारी एजेन्सियों द्वारा वितरित होते हैं, 35 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इन बातों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार को पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं के दाम बढ़ाने चाहिये थे, लेकिन सरकार ने नहीं बढ़ाये।

जब गेहूं की बुवाई हो रही थी, मैं मुख्य मंत्री जी से मिला और उन्हें एक आवेदन पत्र भी दिया जिसमें हमने मांग की थी कि चूंकि खाद आदि के दाम बढ़ गये हैं,इसलिये अधिक उत्पादन व्यय होने के कारण गेहूं के दामों में वृद्धि की घोषणा करें ताकि किसान लोग अधिक से अधिक गेहूं बोयें। मैं कृषि तथा पशुपालन स्थाई समिति का भी सदस्य हूं। हमने

[श्री राज ब्रजराज सिंह]

मुख्य मंत्री जी को एक प्रार्थना–पत्र 19 नवम्बर, को भी दिया, जिसके आंकड़े पेश करना चाहता हूं। उस मीटिंग के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने सुझाव देने के लिये कहा कि जिससे गेहूं का उत्पादन बढ़ सके। हमने केवल एक ही सुझाव उनको दिया कि यदि ईमानदारी से गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा है तो किसानों को कम से कम प्रोत्साहन मूल्य सरकार घोषित करे। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे हमारी बात से सहमत हैं कि गत वर्ष से इस वर्ष गेहूं के दाम बढ़ने चाहिये और वे इस सुझाव को केन्द्रीय सरकार के सामने भी रखेंगे। माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी गेहूं का दाम नहीं बढ़ाया गया।

अब मैं लैवी के ऊपर आता हूं। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि खाद्यान्न का उत्पादन इस वर्ष बहुत अधिक होगा और रिकार्ड उत्पादन की आशा है। और दूसरी तरफ किसानों पर लैवी भी लगाई जाती है। मान्यवर, 9 अप्रैल को शिंदे साहब ने लोक सभा में कहा था कि अच्छा उत्पादन होने के कारण इस वर्ष गेहूं का उत्पादन २ करोड़ ७० लाख टन होने की आशा है। इस वर्ष देश में रबी का रिकार्ड उत्पादन होने की आशा है। रबी का कुल उत्पादन 4 करोड़ 30 लाख टन होने का अनुमान है और गेहूं का उत्पादन 2 करोड़ 70 लाख टन होने की आशा है।

अब मैं मान्यवर, कृषि विभाग की जो रिपोर्ट 9 अप्रैल के स्वतंत्र भारत में छपी है, उसके बारे में निवेदन करता हूं। इसमें कहा गया है कि "कृषि विभाग ने 1974–75 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष की रबी की फसल अच्छी होने की संभावना है क्योंकि मौसम भी अनुकूल रहा है और अच्छे बीज, खाद आदि की कोई कमी नहीं रही है।"

मान्यवर, एक तरफ तो यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है, हमारे पास गल्ले की कमी नहीं रहेगी, दूसरी तरफ आप लैवी भी लगा रहे हैं। 8 लाख टन गेहूं अमेरिका से भी मंगा रहे हैं। आपके कहने के अनुसार अगर कमी नहीं है तो आप गेहूं खुले बाजार से खरीदें, आपको तो 105 रुपये क्वीन्टल से भी कम पर गेहूं मिल जायेगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसान विकल है क्रय केन्द्रों पर गेहूं लाने के लिये। ऐसा नहीं है। किसानों में बहुत असंतोष है। इस लैवी का विरोध पक्ष के लोगों ने ही नहीं, सरकारी पक्ष के लोगों ने भी विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी के ही श्री लल्लन शर्मा जी ने कांग्रेस कार्यालय के सामने अनिश्चित काल के लिये अनशन किया था जिसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कह कर तुड़वाया कि गेहूं के मूल्यों में बढ़ोत्तरी होगी और लैवी नीति में भी परिवर्तन किया जायेगा। 8 अप्रैल के स्वतंत्र भारत में यह भी खबर छपी है कि गेहूं खरीद मूल्य पर कांग्रेसी विधायकों में असंतोष है और 50–60 विधायकों ने हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है जो वे केन्द्र को प्रधान मंत्री के पास भेजना चाहते हैं। जब सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्य इस राय के हैं कि गेहूं का मूल्य बढ़ना चाहिये, दूसरी तरफ किसान के उपयोगी कृषि उपकरणों के दाम भी कई गुना बढ़ गये हैं, तो आपको गेहूं के दाम बढ़ाने में संकोच क्यों है। मैं नहीं समझता कि आखिर किस आधार पर आपने यह दाम फिक्स किये हैं? आपने खाली कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट पर और इन्दिरा गांधी के आदेश पर यह भाव नियत किया है। पंजाब में भी तो गेहूं का भाव बढ़ा है। . . . . . (लाल बत्ती जलने पर) मुझे श्रीमन्, अभी आधा घंटा और चाहिये।

श्री अधिष्ठाता––

आप 5 मिनट और बोल लें।

श्री राज ब्रजराज सिंह––

मान्यवर, हमारी पार्टी की यह नीति है कि खुले बाजार से गल्ला सरकार खरीदे। मैं नहीं समझता कि ये मंत्रीगण केन्द्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं या इस प्रदेश की जनता के प्रति। जनता की इच्छाओं को देखते हुये सरकार को खुले बाजार से गेहूं खरीदना चाहिये। सस्ते गल्ले की दूकानें खोलना चाहिये और वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना

चाहिये । वितरण व्यवस्था के लिये आप प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलें। यदि आप प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में ऐसी दूकान न खोल सकें तो कम से कम प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र में, जिसमें 5-6 गांव आ जाते हैं, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोलने की अवश्य व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आप 25 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को ही जनता न समझें जिनको कि खिलाना आपका कर्त्तव्य है। मेरा निवेदन यह है कि 25 लाख राशन कार्ड होल्डर्स में कम से कम 3-4 लाख तो जाली राशन काड्र्स हैं। उनकी आप जांच कराइये और बोगस राशन कार्ड होल्डर्स के काड्र्स को खारिज कराइये। जहां तक ग्रामीण जनता का प्रश्न है, गांवों में केवल खेतिहर किसान ही नहीं रहते हैं, बल्कि वहां खेतिहर मजदूर और ऐसे भी किसान हैं जिनके पास एक एकड़ से कम काश्त है और जो अन्य व्यवसाय के भरोसे रहते हैं। ग्राम के 72 प्रतिशत लोग अन्य पेशे पर रहते हैं, उनके खाने पीने की आपने क्या व्यवस्था की है? अगर उनको गेहूं न दे सकें तो मोटे अनाज की दूकानें खुलवाकर उनको मोटे अनाज ही दिलवाइये। वे केवल टेस्ट वर्क के लिये जहां बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है या अकालग्रस्त क्षेत्र होता है, वहीं आप इस तरह के अन्न वितरण की व्यवस्था करते हैं, आपका काम है कि आप जनता के दृष्टिकोण से देखें और 72 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है और जो कमजोर वर्ग की है, उनको खिलाने की व्यवस्था करें। जहां आप गल्ला वसूल करते हैं वहां आपको गल्ला देने का भी दम रखना चाहिए। अगर आप सस्ते गल्ले की दूकान प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में न दें सकें तो कम से कम प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र में एक दूकान अवश्य खोलवा दें। साथ ही मिट्टी के तेल, शक्कर, और मोटे कपड़े के वितरण के लिये भी प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में दूकान खोली जायं क्योंकि गांव के काश्तकार 4-5 मील दूर से इन चीजों को लेने के लिये लाइन में आकर खड़े नहीं हो सकते।

जैस कि पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि शक्कर आप विदेशों को भेजते हैं। सरकार ज्यादा पैसा कमाने के लिये करोड़ों, अरबों रुपये का शक्कर निर्यात करती है। पर अपने देश के अन्दर जो शक्कर का उत्पादन होता है उसमें से केवल आप शहर वालों को ही एक किलो प्रति यूनिट देते हैं। आपको चाहिये कि आप ग्रामीण क्षेत्रों के साथ भी न्याय करें। वहां के ग्रामवासियों को आप प्रति यूनिट एक किलो शक्कर न दे सकें तो कम से कम आधा किलो शक्कर प्रति यूनिट अवश्य दें। लेकिन ऐसा न करके आप ग्रामीण क्षेत्र में केवल प्रति परिवार आधा किलो शक्कर देते हैं। अब आपने प्रति परिवार एक किलो शक्कर देने की घोषणा की है। लेकिन यह क्या कि शहर में तो एक यूनिट पर एक किलो मिले और देहात वालों को प्रति परिवार एक किलो शक्कर मिले। यह कहां का न्याय है? जो शक्कर उत्पादन करने वाले गन्ना काश्तकार ह, उनके लिये वही कहावत चरितार्थ होती है कि "जो बोवे सो रोवे"। इसलिये आप इस पर अवश्य ध्यान दें कि वितरण प्रणाली को आप समान्य बनाने की कोशिश करें।

जहां पर पहाड़ी क्षेत्र में शक्कर देने की बात है, आप उनको डेढ़ किलो शक्कर देते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल आधा किलो देते हैं। यह सही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में शक्कर की आवश्यकता अधिक है चाय के लिये। लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं है? अगर शहरी क्षेत्र को प्रति यूनिट एक किलों देते हैं और पहाड़ी क्षेत्र को डेढ़ किलो देते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी एक किलो अवश्य कर दें।

सस्ते गल्ले की दूकानों से कपड़ा भी बंटता है। सहकारी समितियों द्वारा संचालित सस्ते कपड़े की दूकानें जो उनके केन्द्र हैं वह जो कपड़ा है या तो मोटे लोग ले जाते हैं या बड़े-बड़े लोग वह कपड़ा ले जाते हैं। गरीबों को नहीं मिलता। एक तो वितरण होता नहीं और अगर होता है तो वह कपड़ा बड़े आदमियों को मिलता है, गरीबों को नहीं। उससे अंगूठा लगवाकर केवल उसको अंगूठा दिखाया जाता है। आपने भी इसको तसलीम

[श्री राज ब्रजराज सिंह]
किया है। आप भी जानते हैं कि बहुत से लोगों को कपड़ा नहीं मिलता। क्या आप इसकी जांच कराने का कष्ट करेंगे ? कितनी क्रय समितियां हैं ? जहां भ्रष्टाचार होता है, कर्मचारी भ्रष्टाचार पनपाते हैं तो क्या इसकी जांच करेंगे ? क्योंकि मोटे-मोटे लोगों को कपड़ा मिलता है । आपने सतर्कता की बात की है (लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, आधे घंटे का समय दे दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

आपके 25 मिनट हो गये हैं ।

श्री राज ब्रजराज सिंह--

मान्यवर, 10 मिनट और चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

आप तो अभी बाद में भी बोलेंगे।

श्री राज ब्रजराज सिंह--

मान्यवर, केवल 15 मिनट का समय दे दें ।

मान्यवर, सतर्कता समितियों के जहां तक गठन का सवाल है। मैं कहना चाहता हूं कि वह केवल फाइल पर ही आदेश रह गया है। आपने आदेश दिया है, मैं अपने क्षेत्र की बात का जिक्र करना चाहता हूं । मान्यवर, लखीमपुर खीरी जिले में फुल बेहड़ ब्लाक में सतर्कता समिति के गठन के संबंध में मैंने एक लिस्ट भेजी थी, जिसके मुताबिक 8 आदमियों का चयन करके भेज दिया और कहा कि आप गठित करके भेजे, लेकिन आजतक ब्लाक में सर्तकता समिति गठित नहीं हुयी है। नकहा ब्लाक के बारे में मैंने नाम भेजे और कहा कि इन आदमियों में से चुना जाय, उन आदिमयों में से सतर्कता समिति चयन करके भेजी जाय, लेकिन आधे नाम बदल दिये गये और आधे आदमी अपनी मर्जी से रख दिये । इसका कारण जो भी हो, मैं नहीं जानता ।

दूसरी चीज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने राशन काड्र्स देने की व्यवस्था की थी। लेकिन अभी तक ग्रामीण अंचलों में बहुत से जिलों में अधिकांश गांवों के अन्दर अभी कार्डों का वितरण नहीं किया गया है। लखीमपुर जिले में ब्लाक फुलबेहड़ तथा नकहा के अन्दर 50-60 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनको कार्ड नहीं मिले। इसका जवाब दिया गया कि राशन काड्र्स खत्म हो गये हैं। छपाने के लिये टेंडर दिये गये हैं। छप जाने पर, उपलब्ध होने पर दिये जायेंगे। तो आपकी यह चीज समझ में नहीं आती है। मान्यवर, यह तो मैंने काड्र्स के सिलसिले में कहा ।

एक चीज के बारे में और कहना चाहता हूं। खाद्यान्न के एकत्रित करने और वितरित करने की समस्या आपके सामने है। इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि या तो सरकार खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं को अपने हाथ में ले ले। जो चीजें आवश्यक हैं उनको अपने हाथ में ले और उनकी खरीद खुद करे। अगर ऐसा सम्भव न हो तो बिल-कुल इन चीजों पर से अपना कंट्रोल हटा ले। अपने हाथ में न ले और खुले बाजार को दे। यह फुटबाल के गेंद की तरह से हो गया। कभी लुढ़क कर व्यापारियों के पास चले गये और कभी व्यापारियों से लुढ़क कर गेंद आपके पास आ गयी। तो यह दिल्ली से दौलताबाद वाली कहावत जो है वैसा न होना चाहिये। आपने सन् 72-73 में सारे खाद्यान्नों का अधि-ग्रहण कर लिया और जब आपको गल्ला प्राप्त नहीं हो सका तो सन् 73-74 में आपने फिर व्यापारियों के हाथ में छोड़ दिया और व्यापारियों से लेवी लेनी चाही। लेकिन 74 में गल्ला आपको नहीं मिला तो फिर आपने सरकारी मशीनरी द्वारा गल्ला खरीदने की बात की। आपने 7 लाख टन गल्ला का लक्ष्य रखा, लेकिन केवल 3 लाख 44 हजार टन गल्ला खरीद सके, जो लक्ष्य से बहुत कम है। इस प्रकार लेवी लगाने की नीति आपकी पूर्णतया विफल हो चुकी है ।

मान्यवर, जहां तक इस बार सबसे लेने की बात की है तो इस बार भी सफलता नहीं मिलेगी और 105 रुपये में जो लेने की उम्मीद की है, तो इस भाव में शायद गेहूं नहीं मिलेगा। इस वक्त भी बाजार भाव 150 से 200 रुपये प्रति कुन्तल चल रहा है। सरकारी गल्ला जो वसूल करेंगे तो चाहे मोटा गल्ला हो या महीन उसको देने के लिये ग्रामीण अंचलों में दुकानें खोलें। उनके द्वारा शकर, डीजल और मिट्टी के तेल की वितरण की व्यवस्था करें।

मान्यवर, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो मुझे इसमें यही कहना है कि भ्रष्टाचार शासन में कूट-कूट कर भरा हुआ है। इसमें चर्चा करना सदन का समय बेकार करना है। मगर इतना कहूंगा कि यदि कोई विधायक शिकायत करते हैं तो उसको सही मानकर उसकी जांच तत्काल करावें और यदि सही पाते हैं तो उस व्यक्ति को निलम्बित कर दें। स्थानान्तरण करना कोई सजा नहीं है। निघासन तहसील के सुपरवाइजर श्री बाजपेयी जी हैं जो अवसर नहीं मिलते हैं और जब कपड़ा बांटने का सवाल आता है तो दिन के बजाय रात में बांटना पसन्द करते हैं। बांटना किसी गांव को होगा तो देंगे दूसरे गांव को। और समय से नहीं मिलते हैं।

मान्यवर, मैदे के वितरण का जहां तक सवाल है तो पिछले साल कई बेकरीज बन्द हो गयी। इससे श्रमिक और मजदूर बेकार हो गये हैं। इसलिये मैदा देने की व्यवस्था करें। बस्ती में शिकायत है कि डी0 एस0 ओ0 बेकरीज को मैदा देने में घूस लेते हैं और समय पर देते नहीं हैं। इसलिये भ्रष्टाचार से संबंधित व्यक्ति को निलम्बित करें। छोटे कर्मचारियों की यदि शिकायत मिले तो बड़े-बड़े अधिकारियों को निलम्बित करें क्योंकि यह उन्हीं के द्वारा होता है।

मान्यवर, अंग्रेजी काल में व्यवस्था थी कि मैक्सिमम पे विद मैक्सिमम रिस्पांसिबिलिटी और आपके समय में है कि मक्सिमम पे विद मिनिमम रिस्पांसिबिलिटी और मिनिमम पे बिद मैक्सिमम रिसपांसिबिलिटी। इस प्रकार अब कम पाने वालों की रिस्पांसिबिलिटी मक्सिमम है। सुपरवाइजर जो केन्द्रों पर खरीददारी करते हैं वे सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी रिस्पांसिबिलिटी मैक्सिमम हैं। इसलिये मिनिमम पे और मैक्सिमम रिस्पांसबिलिटी का सवाल जहां होगा। वहां जरूर अपनी ड्यूटीज तथा रिस्पांसिबिलिटी का पालन नहीं हो सकेगा और वह जरूर मिस्यूज करेंगे। जब छोटे कर्मचारियों की बात आती है तो उनके ऊपर के अफसर को भी आप कसें और सख्त से सख्त सजा उसको दें। एक चीज यह भी कहनी है कि जब किसी को एम्पलायमेंट दिया जाता है इस विभाग में तो एम्पलाइमेंट एक्सचेंज के जरिये से, एडवर्टाइजमेंट के जरिये से नहीं किया जाता बल्कि सिफारिश पर तथा अपनी इच्छा के मुताबिक एम्प्लायमेंट कर लिया जाता है। मेरा निवेदन है कि एम्प्लायमेंट अथवा एडवर्टाइजमेंट के जरिये से अम्यर्थियों को बुलाया जाय और फिर उनको रखा जाय।

एक चीज यह भी निवेदन करनी है कि बहुत से लोगों को स्थायी कर दिया गया लेकिन इसके साथ ही बहुत लोग अब भी हैं जो अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। जब आपके यहां काम होता है तो बहुत से लोग मार्केटिंग सुपरवाइजर के रूप में या सरकारी केन्द्रों पर गल्ला खरीदने का काम होता है उसके लिये सहायकों को रख लेते हैं अस्थायी तौर से और जब वह काम खत्म हो जाता है तो फिर आप उनकी छुट्टी कर देते हैं। पिछले वर्ष ऐसा ही किया गया। मेरा निवेदन है कि इस तरह से जिनको आप टेम्पोरेरी सर्विस में एम्प्लायमेन्ट देते हैं, उनको पर्मानिन्ट किया जाय। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री अपनी हठवादिता छोड़ कर विपक्ष द्वारा जो सुझाव समाज के कल्याण के लिये, जनता के हित के लिये दिये गये हैं; उनको स्वीकार करने की कृपा करेंगी।

श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—
कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो खाद्य एवं रसद विभाग का बजट माननीय खाद्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है; उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, उसमें जो भाषण मैंने सुना, उससे मुझे लगा कि जितनी भी नीति सम्बन्धी मौलिक बातें माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहीं उनका कोई सैद्धान्तिक विरोध सामने नहीं आया। यह बात तो अपनी जगह सही है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी कमी है और समाज और देश में उन कमियों को जब तक पूरा नहीं किया जायेगा तब तक समस्या पूर्ण रूप से हल नहीं हो सकती और उसे बारबार कहा जाय कि चीनी इतनी दी जाय, कपड़ा इतना दिया और सीमेंट इतनी मिलनी चाहिये, तो यह बातें तो उत्पादन से सम्बद्ध हैं। लेकिन जितना हमारे पास उपलब्ध है, उसको ही सही वितरण करने की दिशा में कदम उठाना पड़ेगा। माननीय खाद्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है ताकि जो भी चीजें उपलब्ध हैं और जाहिर है कि आवश्यकता से कम हैं, उनका उचित वितरण हो सके और वह गलत हाथों में न जा सके। जैसा मंत्री जी ने कहा कि जो पिछला वर्ष था, वह हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं सारे देश के लिये, जहां तक खाद्य का सम्बन्ध है और अन्य वस्तुओं से सम्बन्ध है, भारत की आजादी के बाद से बड़ा कठिन वर्ष था और उस वर्ष में जिस कुशलता के साथ इस विभाग का संचालन माननीय खाद्य मंत्री जी ने किया उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, कम है और यह भी अपनी जगह पर निश्चित है कि जो आगामी वर्ष है यह एक ऐसा वर्ष है जिसमें फसल भी अच्छी है तथा और चीजों की उपलब्धता भी बढ़ी है। जो दिक्कत हमारे सामने थी वह धीरे-धीरे अपनी जगह पर कम होती जा रही है। लेवी के सम्बन्ध में माननीयां मंत्री जी ने बताया कि जितना सरल से सरल उसको बनाया जा सकता था जिससे किसानों पर बोझा न पड़े, वह प्रयास किया गया है। जहां सारे देश को अन्न उपलब्ध कराने का प्रश्न हो, वहां हरएक को साझीदार बनाना पड़ेगा, कोई उससे बच नहीं सकता। माननीया मंत्री जी ने एक गम्भीर बात यह कही कि उससे सतर्क रहने की जरूरत है कि हमारे साथी यह मांग करते हैं कि लेवी की कीमत बढ़ाई जाय, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमारी अच्छी फसल हुई है और एक खतरा यह भी है कि कीमत कहीं ऐसी न गिर जायं कि किसानों को उसकी कीमत भी न मिले। जैसा अभी आलू के सम्बन्ध में हुआ है कि उसकी कीमत इतनी गिर गई है कि किसान तबाह हो गया और किसानों को कोई राहत नहीं मिल पाई। एक माननीय सदस्य ने कहा कि 150 से 200 रुपये कुन्तल के बीच गेहूं का भाव है। लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि कई ऐसी मंडियां हैं, जहां यद्यपि कि पूरी तेजी के साथ गेहूं आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भाव 110 और 115 रु0 क्विन्टल हो गया है। जो 105 रुपये की प्राइस है उसके अलावा बोनस तथा अन्य सुविधायें भी देने की व्यवस्था की गई है उसके माध्यम से एक सपोर्ट प्राइस किसानों को मिल सकेगी जिससे उनको आर्थिक बोझ न पड़ने पावे। अन्ततोगत्वा यह किसानों के लिये देना सिद्ध होगी ।

जहां तक करप्शन की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि यह विभाग ही ऐसा है जिसके साथ भ्रष्टाचार शब्द जुड़ा रहेगा। लेकिन देखना यह है कि इस विभाग का संचालन करते हुए कितनी भ्रष्टाचार की शिकायतें आयीं और उनको दूर करने का क्या प्रयास किया गया। अभी माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे और उन्होंने भी भ्रष्टाचार की बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हो, चाहे वह किसी दल से प्राप्त हो उसकी जांच होनी चाहिये। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि खाद्य विभाग में डी0 आई0 जी0 के अन्डर एक पुलिस सैल का निर्माण हुआ है और जो भी शिकायतें

प्राप्त हुई उनकी सी० आई० डी० के द्वारा, विजीलेंस के द्वारा जांच हुई है। स्थानीय अधिकारियों पर इसका प्रभाव यह हुआ है कि अगर कोई गम्भीर अनियमितता हो गई तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी।

(लाल बत्ती जलने पर)

समय कम है। इसलिये संक्षेप में एक निवेदन यह करना है कि जो शकर के वितरण की व्यवस्था है, उससे देहात के लोगों को शकर नहीं मिल पाती। आठ दस मील की दूरी पर न्याय पंचायत सेंटर पर लोग जाते हैं तो मालूम होता है कि शकर खत्म हो गयी। वास्तव में होता यह है कि सारी शकर ब्लैक हो जाती है; मैं अपने जनपद फर्रुखाबाद की बात कहना चाहता हूं। वहां शकर का कोटा न्याय पंचायत से हटाकर ग्रामसभा स्तर पर कर दिया। इससे लोगों को शकर मिली क्योंकि कोटेदार को स्थानीय जनता का भय रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां उन्होंने इतने प्रगतिशील कदम उठाये हैं, वहां इसका भी अध्ययन करवायें और यदि यह लाभदायक है तो न्याय पंचायत से हटाकर ग्राम सभा स्तर पर शकर का वितरण तमाम प्रदेश में कर दें। आपने विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों की गठन की बात की है ताकि वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाय। ब्लाक स्तर पर समितियां गठित की गयी हैं। मेरा निवेदन है कि आप बी० डी० ओ० को निर्देश दें कि इन सतर्कता समितियों की मीटिंग महीने में एक बार किया करें। इसी प्रकार जैसे आपने कवाल टाउन्स के लिये खाद्य सलाहकार समितियां नियुक्त कर दी हैं, उसी तरह से ए क्लास म्युनिसिपुल बोर्ड की जो नगरियां हैं उनमें भी इनका गठन कर दें ताकि वहां भी वितरण प्रणाली सुदृढ़ हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का पुर जोर समर्थन करता हूं।

*ठाकुर राधाचरण सिंह (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। चूंकि समय कम है इसलिये मैं संक्षेप में अपनी बात लैवी के सम्बन्ध में कह कर समाप्त कर दूंगा। संविद सरकार के समय में चौधरी चरण सिंह ने लैवी लगायी थी, जिसकी आज-तक किसान प्रशंसा करता है। लेकिन आज जो लैवी लगायी जा रही है उससे प्रत्येक गांव में शोर मचा हुआ है। अगर उनकी नीतियों पर चलते तो ऐसी बात न होती। लेवी लगाना आवश्यक है लेकिन उसको लगाने का आपका ढंग गलत है। मैंने गांव की पंचायत, ब्लाक स्तर की पंचायत देखी है। सब जगह ऐसा होता है कि अगर कोई विरोधी दल का आदमी भी बात कहता है तो मानली जाती है, लेकिन सूबे की पंचायत ऐसी है कि अगर कोई बात विरोधी दल का सदस्य कहता है तो महज इसलिये नहीं मानी जाती क्योंकि वह विरोधी दल का सुझाव है। मान्यवर, विदेशों से जो गेहूं इस साल लाया जा रहा है, उसका भाव 145 रुपये यह सरकार दे सकती है, लेकिन अपने देश के लोगों को वह भाव नहीं दे सकती। मान्यवर, प्रत्येक वर्ष अरबों रुपयों का गेहूं हमें विदेशों से लाना पड़ रहा है और साढ़े छे अरब का कर्ज लाद चुके हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने देश के किसानों को अच्छी कीमत निर्धारित कर दी और 5, 6, या 7 साल के लिये कह दिया कि वह कीमत दी जायेगी, तो निश्चित रूप से किसान उतना गेहूं पैदा करेंगे कि विदेशों से गेहूं न मंगाना पड़ेगा। लेकिन किसानों को इस बात का अहसास हो जाय कि सरकार लगातार इतनी कीमत देंगी।

मान्यवर, गत वर्ष जैसा कि सरकार ने निश्चित किया कि व्यापारियों से गल्ला लेंगे। किसानों का 50 प्रतिशत गल्ला व्यापारियों ने खरीदा। फिर सरकार ने अपनी नीति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ठाकुर राधाचरण सिंह]

बदल दिया और जबर्दस्ती किसान से गल्ला लिया। मान्यवर, मैंने सुना है कि मराठा जमाने में पिण्डारी गिरोह लेकर गांवों में जाते थे और गांवों को लूटते थे। वही हालत मैंने गांवों में देखी। 5/6 जीपें, एस0 डी0 एम0, तहसीलदार, नायब–तहसीलदार, ये लोग बैठकर जाते थे और गांवों में भगदड़ मच जाती थी। महिलाओं के साथ जुल्म जबर्दस्ती करके गेहूं छीना गया। मैंने यह सब आंखों से देखा। आज स्थिति यह है कि किसान गेहूं इस तरह से छिपाता है जैसे कोई चोर चोरी का माल छिपाता हो। क्या अपराध किया था किसानों ने? अपराध यही किया था कि उसने गेहूं बोया जिसके कारण उसे 'मीसा' और डी0 आई0 आर0 में बंद किया गया। तो क्यों किसान अब गेहूं बोयेगा?

मान्यवर, मैं अभी 12/13 तारीख को गांवों में गया था। किसानों को खेत काटते देखा। एक किसान अपनी फूल जैसी बेटी को साथ लेकर खेत काट रहा था, जिसके पेट में बच्चा थी। वह हिलडुल नहीं सकती थी। लेकिन किसी तरह से खेत काट रही थी। चिलचिलाती धूप थी। बेटी कहती है कि मुझको प्यास लगी है। बाप कहता है कि बेटी अभी रुक जाओ, पहले मांग पूरा कर लें, मांग के बीच में पानी नहीं पीते। इतना कष्ट सहकर किसान गेहूं पैदा करते हैं और यह सरकार जुल्म करके 105 रुपये के भाव में छीन लेती है। इसलिये मैं कहूंगा किसानों से कि वह इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ बगावत कर दें और सरकार को उलट दें।

मान्यवर, गत वर्ष चुनाव के जमाने में देखा कि कांग्रेसी लोग झंडा लेकर दिन में गांव में नहीं घुस सकते थे, रात्रि में गांवों में कांग्रेस का झंडा लेकर जाते थे। अब यह कहना चाहता हूं कि अगर आपकी यही नीति रही, तो अबकी बार रात में भी गांवों में घुसने का साहस नहीं कर सकेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह एक नारी हैं। नारी का हृदय कोमल होता और उसम दया होती है। कृपा कर वह गरीब किसानों पर कृपा करें और अपने माथे पर कलंक का टीका न लगने दें। मुई खाल की सांस से लोहा भस्म हो जाता है। यह गरीब किसानों की आह इस सरकार का सर्वनाश कर देगी, अगर यही नीतियां इसकी रही।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख हुआ कि जनसंघ की ओर से यह कटौती का प्रस्ताव लाया गया और हम सभी जानते हैं कि जनसंघ भाई इस बात का ढिढोरा पीटते हैं कि वे नारियों की बड़ी इज्जत करते हैं लेकिन यह वर्ष नारियों का है और खाद्य मंत्री जी ने यह प्रस्ताव रखा; जिसकी वे विरोध कर रहे हैं। अगर चरण सिंह साहब की तरफ से यहां प्रस्ताव आता तो दुख नहीं होता, क्योंकि उनको नारियों से वैसी श्रद्धा नहीं है।

जहां तक प्रश्न लेवी का है, लेवी को सभी दलों ने स्वीकार किया है और इसमें सबसे लास्ट में हमारे चरण सिंह जी ने भी इसको स्वीकार किया था जोकि आज नेता विरोधी दल के रूप में यहां पर हैं। आज उनका दल जब गला फाड़कर यह बात करता है तो यह विश्वास होता है कि यह दल भी बड़े काश्तकारों का दल है, और इसलिये उनको लेवी के मामले में तकलीफ हो रही है। हम जानते हैं कि लेवी के मामले में किसानों को परेशानी पड़ेगी, लेकिन देखते हैं कि 70 प्रतिशत काश्तकार लेवी योजना से मुक्त होंगे और 30 प्रतिशत पर लेवी लगेगी। मान्यवर, वे 30 प्रतिशत बड़े काश्तकार हैं। अगर देश के लिये, जब खाद्यान्नों का अभाव है, इन बड़े काश्तकारों को कुछ कुरबानी करनी पड़े; तो यह उनका कर्त्तव्य है देश के लिये। अगर वे यह कुरबानी नहीं करते, तो देश के साथ उस कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे, जो देश के नागरिक से अपेक्षा की जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह सही है कि जो लेवी के संबंध में सूचनायें और नोटिसें आयी हैं उनमें लेखपालों ने गल्तियां की हैं। कहीं-कहीं पर ऐसा हुआ कि जहां बंजर है, ऊसर, है उसको सिंचित क्षेत्र या ट्यूबवेल वाला क्षेत्र दिखा दिया। इस तरह की नोटिसेज से किसानों को परेशानी पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्री जी इस बात की ओर ध्यान दें और ऐसे लेखपालों को उचित दंड देने की कृपा करें ताकि काश्तकारों को परेशानी न रहे।

मैं अपने क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र फतेहपुर में खजुवा अमोली में पड़ता है। वहां पर हालत खराब है। मैंने देखा कि उस क्षेत्र को लेवी से मुक्त नहीं किया गया। जो सीलिंग ऐक्ट आया, उसमें जमुना नदी के उधर 16 किलोमीटर तक बुन्देलखड की परिभाषा में लाया गया था। जब बुन्देलखंड की परिभाषा में उसको लाया गया, तो क्या वजह है कि लेवी के संबंध में उसको वे सुविधायें नहीं दी जाती, जो बुन्देलखंड को दी जाती हैं। इसी तरह से जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 337 में वहां 2 एकड़ भूमि को एक एकड़ के बराबर माना गया है। यह सुविधा इस इलाके को क्यों नहीं दी जाती ?

इसी तरह डिस्ट्रीव्यूशन के मामले में कहना है कि ये जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं; ये भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, लेकिन ये जो आपके नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, वे इतने गड़बड़ हैं, इतने भ्रष्ट हैं कि जो सरकार की नीति है और जो सरकार का उद्देश्य है, वह सारी की सारी कागज पर रह जाती है और उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। मैं चाहूंगा कि इसके लिये आवश्यक है कि न्याय पंचायतों पर मिनी स्टोर टाइप के स्टोर बनाये जाय जहां सारा सामान रखा जाय और उसको सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से वितरित कराया जाय। इससे गांव के गरीब लोगों को लाभ होगा, जोकि सरकार चाहती है।

शकर के सम्बन्ध में प्रायः हर क्षेत्र से शिकायतें आती है और वह सही भी है। तमाम जाली काड्र्स शुगर के डीलर्स ने बना रखे हैं और घूमघाम कर शकर दबा देते हैं और फिर उसका ब्लैक कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि इसकी बहुत सख्त जांच होनी चाहिये ताकि उन गरीब किसानों को मिल सके, जिनके बल बूते पर इस प्रदेश और देश के लोगों को मान मिलता है।

मान्यवर, स्मगलिंग की बात बहुत भयानक है। अपने प्रदेश से बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है चावल और गेहूं की। हमारे इलाहाबाद जिले में एक अझवा जगह है, वहां से बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है ऐसा कहा जाय,तो गलत बात नहीं होगी। मैं खाद्य मंत्री जी से कहूंगा कि वहां पर व्यवस्था विशेष रूप से करें ताकि स्मगलिंग न हो सके। फतेहपुर में 2 ट्रक पकड़ा गया और 2 ट्रक और पकड़ा जाने वाला था, लेकिन वह चला गया। इस पर विशेष ध्यान दें।

जहां तक बांट और माप का सम्बन्ध है इस विभाग में बड़ा ही भ्रष्टाचार है। हमारी सूचना है कि जो मुख्य नियन्त्रक बांट विभाग हैं श्री शफीक साहब, यदि उनकी जांच करवायी जाय तो बहुत बड़ा गड़बड़ मिल सकता है, उन्होंने जो काम कर रखा है, उसको क्या कहा जाय? जहां एक सीनियर इंस्पेक्टर की जरूरत है वहां दो-दो सीनियर इंस्पेक्टर रख रखे हैं। रामबाग, कानपुर में दो सीनियर इंस्पेक्टर हैं जहां कि सिर्फ एक ही होना चाहिये। और जहां दो सीनियर इस्पेक्टर की जरूरत है वहां एक भी नहीं है। इस तरह के उनके काले कारनामें हैं, जिनकी जांच होनी चाहिये। मेरी यह भी जानकारी है कि राज्यपाल के आदेश से उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला था लेकिन अभी तक उनका एक्सटेंशन चल रहा है और वह रिटायर होते होते इतना कर जायेंगे कि किसी तरीके से उनके भविष्य में कोई संदेह नहीं रह जायेगा। इस विभाग की भी जांच होनी चाहिये।

[श्री प्रेम दत्त]

जहां तक प्रश्न भ्रष्टाचार को दूर करने का है, उसके लिये आवश्यक है कि मेम्बरों का एक ऐसा सेल बनाया जाये और हर जगह विधायक को यह अधिकार हो कि अगर वह लिख कर दे दे कि अमुक डीलर भ्रष्ट है तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिये तुरन्त कार्यवाही उसके खिलाफ होनी चाहिये और अगर उसकी जांच भी हो तो जैसा कि आज प्रश्न आया था कि तीन चार महीने के अन्दर जांच की रिपोर्ट जरूर आ जाये और अगर कार्यवाही नहीं हुई है तो उस अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जावे। समय समाप्त हो चुका है। हमारे खाद्य विभाग के लिये माननीया खाद्य मंत्री जी ने बड़े सराहनीय कार्य किये हैं, इसलिये मैं उनको बधाई देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री गिरिजाशंकर पाठक—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया खाद्य मंत्री जी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन खेद है कि वे इस समय सदन में नहीं हैं, यह दुर्भाग्य की बात है।

एक सदस्य—

वे लाबी में हैं।

श्री गिरिजाशंकर पाठक—

वे लावी में रहें या अपने घर में रहें, तो उससे मेरा क्या मतलब होता है? मैं आप के माध्यम से उनका ध्यान जनपद वाराणसी के तहसील ज्ञानपुर, जनपुद जौनपुर के तहसील मंडियाहूं और जनपद इलाहाबाद की तहसील हंडिया और जनपद मिरजापुर की तहसील प्रापर की ओर दिलाना चाहूंगा जहां लगभग तीन लाख लोग कालीन बुनते हैं, साड़ी बनाते हैं मूंगा और मोती बनाते हैं लेकिन यह एरिया कमी का एरिया है, डेफीसिट एरिया है सरप्लस एरिया नहीं है और यहां सब मजदूरी पेशा करते हैं, रात दिन काम करते हैं। दैनिक मजदूरी पर लगभग डेढ़ लाख लोग काम करते हैं जिनमें कि मजदूरी मिलने पर लोग खाने का अनाज खरीदते हैं। माननीया खाद्य मंत्री जी को मैंने अनेकों पत्र लिखे हैं, उ होंने हर पत्र में जवाब दिया है कि उचित कार्यवाही की जा रही है, लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं जनपद वाराणसी में टाउन एरिया है सैयद राजा, रामनगर, और मुगलसराय, वहां तो अनाज दिया जाता है लेकिन ग्यानपुर टाउन एरिया और खम्हरिया में अनाज की कोई व्यवस्था नहीं है। दिन भर मजदूरी करके मजदूर 5 रुपये पाता है और उस पैसे को लेकरें जब वह अपनी बीबी मां, बच्चों के लिये अनाज खरीदता है तो उसको एक समस्या के लिये भी पूर्णरूपेण व्यवस्था नही कर पाता है। वहां के श्रमिकों के लिये राजकीय सस्ते गल्ले की कोई व्यवस्था नही है जब कि इन स्थानों से इन मजदूरों की गाढ़ी कमाई से उत्तर प्रदेश को 30 करोड़ रुपये की फारेन करेन्सी मिलती है लेकिन आज तक भी उनकी दवा-दारू, खान-पान आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अभी 8 मार्च को मैं अपने घर से भदोही आ रहा था, वहां पर चौरी स्थान पर एक कपड़े की सहकारी समिति की दुकान है, वहां पर कपड़े का वितरण हो रहा था। उसमें एक साड़ी थी जिसका अर्ज केवल डेढ़ फिट का था और एक आदमी को केवल ढाई मीटर दे रहे थे। मेरी समझ में नहीं आया कि ढाई मीटर की साड़ी जिसका अर्ज केवल डेढ़ फिट हो, कैसे कोई गरीब की औरत पहन सकती है। मैं उस को यहां ला रहा था और मैंने सोचा था कि खाद्य मंत्री जी को वह दे दूं और उनकी साड़ी ले लूं।

मान्यवर, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बनारस में जो जिलापूर्ति अधिकारी देवानन्द गौड़ हैं, वे उसी जनपद में ए0 डी0 एम0 पी0 आदि भी रह चुके हैं। उनके माध्यम से वहां पर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आज ही मेरे एक सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी ने उत्तर में कहा कि आठ हजार क्विन्टल जनवरी में मोटा अनाज बनारस को दिया गया है लेकिन यदि माननीय मुख्य मंत्री सी0 आई0 डी0 के जरिये पता लगायें तो मालूम होगा कि कितना मोटा अनाज किसको मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी गरीब आदमी वहां पर यह कहने के लिये तैयार नहीं है कि उनको 2/4 किलो मोटा अनाज मिला हो। पूरा का पूरा अनाज जिला पूर्ति निरीक्षक, जिला पूर्ति अधिकारी, सप्लाई आफीसर आदि गड़बड़ किये हैं। मैंने इस सम्बन्ध में मंत्री जी को पत्र भी लिखा था किन्तु उसका जवाब न मिलने के कारण सवाल किया। एक दाना भी मोटा अनाज गरीबों में नहीं बांटा गया है। वह मजदूरों का एरिया है, कमी का एरिया है। पिछली आठ तारीख को मैं जिलाधीश बनारस के साथ धुनिया ग्राम में गया था। वहां हमने देखा कि सारे कुंये सूख गये हैं। जिस गड्ढे में सुअर रहते थे, उसमें एक हरिजन महिला सुअर के गोबर को धो रही थी और अनाज के दाने निकाल रही थी। कलेक्टर ने उसे बुलाकर पूछा तो कहने लगी कि काशी नरेश की राज मां हमरे खावे का हमेशा इन्तजाम होई जात रहल, झूरा बूड़ा परै समय नरेश खावै का इन्तजाम करत रहेल। अब हमार कोई सुनवाई न होवत बा। एक लड़का कमाने वाला है, 5 रुपये पाता है, 7 आदमी खाने वाले हैं। इतने से दुकान से सामान खरीद कर कैसे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। हमारे जेल मंत्री माननीय लोक पति जी, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुनारायण सिंह जी भदोही गये थे। वहां पर उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि एक आदमी को 4 किलो अनाज मिलेगा, लेकिन आज वहां की गरीब जनता एक किलो के लिये भी मोहताज है। वहां पर दो लाख श्रमिक हैं, गरीब तबका वहां पर रहता है उनके खाने-पीने की कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पायी है। 17 हजार की आबादी वाला ज्ञानपुर का इलाका है। वहां के गरीब पेड़ के नीचे कीड़े मकोड़ों आदि पर अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं। खाने–पीने, रहने, कपड़े आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेवी के बारे में अभी हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसकी रूपरेखा अनियमित तरीके से बनाई गई। मजबूर होकर लोगों को बगावत का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यह गरीबों की आह है—

तन की हविस मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है,
दुख से तड़पने वाले को राजनीति सिखाने वाले, दुखी इंसान को गद्दार बना देती है।

इन शब्दों के साथ मैं श्री राज ब्रजराज सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

बाबू प्रभाकर सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, अभी खाद्य मन्त्री जी का वक्तव्य मैंने बड़े ध्यान से सुना। मुझे इस बात से बड़ा संतोष हुआ कि अब हमारा खाद्य विभाग यह सोच रहा है कि उत्पादन और वितरण में जब तक समन्वय नहीं स्थापित किया जाएगा हमारी समस्याओ का निदान नहीं हो सकता है। अगर यह बात केवल जनकारी के लिये कही गई है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा किन्तु मेरा यह बिश्वास है कि विभाग की वितरण प्रणाली में अब मौलिक परिवर्तन करना चाहिये हमारे देश में गल्ले की कमी हो सकती है, और चीजों की कमी हो सकती है। लेकिन इतना तो हम लोग मानते हैं कि जितनी कमी की बात हमारे सामने आती है शायद उतनी कमी खाद्य की नहीं है। तो फिर जाहिर है कि वितरण प्रणाली में कहीं कमी होगी। उसके लिए हमें समन्वय स्थापित करना होगा। जब तक यह काम नहीं होगा, हमें उचित उत्पादन से लाभ नहीं मिलेगा। अभी बताया गया कि एक नई वितरण प्रणाली का शुभारम्भ किया जाएगा। मैं उसका स्वागत करता हूं। गत वर्ष भी ऐसा संकेत दिया गया था कि ब्लाक स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी और उनसे परामर्श करके वितरण की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन साल बीत गया कुछ नहीं हुआ। कमेटी के लिए मैंने भी नाम दिया था पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वर्ष भर जनता शिकायत करती रही कि पूर्ति विभाग में जिसकी पहुंच रही है

[बाबू प्रभाकर सिंह]

वह उसके पक्ष में निर्णय दे देता है और जिसकी पहुंच नहीं है; पूर्ति विभाग उसके विपक्ष में निर्णय देता। तो इस तरह से एक अजीब सी स्थिति बनी रही। जिस वितरण प्रणाली की चर्चा की गई है; उसको अगर गम्भीरता पूर्वक लागू करने की बात है तो मैं कहूंगा कि उसमें ग्राम प्रधानों, न्याय पंचायतों के पंचों और सरपंचों, जिला परिषद् के सदस्यों और वहां के विधायकों का सहयोग लिया जाय और उस समिति में जो निर्णय लिया जाय उस पर सरकार कार्यवाही करे। अगर ऐसा नहीं होता है और समिति कोई निर्णय करती हो और विभाग दूसरा निर्णय करता हो तो फिर मैं वह अनुभव करता हूं कि जब तक जनप्रतिनिधियों पर आप विश्वास नहीं करेंगे, और प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्यायें हल नहीं होंगी। केवल नियमों और कानूनों का सहारा लेकर हम मानव प्रवृत्ति को नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। हमें जिम्मेदारी लोगों को देनी होगी तभी हम नया रास्ता निकाल सकते हैं।

मैं एक बात बताना चाहता हूं। गत वर्ष आपने लैवी लगाने का निर्णय लिया। आप को याद होगा कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने 95 रुपए प्रति क्विन्टल गेहूं का मूल्य नियत किया था और सरकार ने उस पर सोच कर उसे 105 रुपए कर दिया था। जब गत वर्ष गेहूं का मूल्य प्रति क्विन्टल 105 था तो उसकी तुलना में इस वर्ष सब चीजों के दाम कितने बढ़ गए हैं यह बात विचार करने की है। अगर यही हालत रही तो फिर सरकार और जनता के बीच में अविश्वास पैदा होने की बात हो सकती है। दूसरी बात; जो मौलिक बात है वह यह कि अगर सरकार अनुभव करती है कि मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए गेहूं के दाम नहीं बढ़ाने हैं तो उस पर भी हमें वास्तविकता से काम लेना पड़ेगा। मुद्रास्फीति तभी रुक सकती है जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन कब बढ़ेगा जब हमारे उत्पादन करने वाले यह समझेंगे कि इससे हमें लाभ होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस बात को आप मानते हैं तो फिर सवाल क्या रह जाता है कि सवा तीन एकड़ से नीचे के जो काश्तकार होंगे उनसे गेहूं की लेवी नहीं ली जाएगी। अगर गेहूं लेना है तो सब से लेना चाहिए। हां, उसमें आप मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक प्रतीक के रूप में उससे चाहे आप एक ही किलो गेहूं क्यों न लें या आधा किलो क्यों न लें ताकि किसान का उसमें इनवाल्वमेंट रहे, ताकि भ्रष्टाचार बन्द हो और लोगों में आशा का संचार हो इसके लिए एक बात सोचनी होगी और उसके लिए मजबूत कदम उठाना होगा। इसके लिए चाहे उधर के विधायक हों या इधर के हों, वह इससे इन्कार नहीं करेंगे। जनता में इस भावना को जगाना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि हम गेहूं को सपोर्ट प्राइस देना चाहते हैं। लेकिन यह बात तो तब आएगी जब कि उसके दाम एकदम नीचे गिरने लगें। सरकार यह सोच रही है कि गेहूं के दाम नीचे आ जायेंगे। मैं यह भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता लेकिन इतना अवश्य कहता हूं कि गेहूं के दाम उतने नीचे नहीं आयेंगे जितना सोचा जा रहा है। प्राइस सपोर्ट की बात तब होती है जब वास्तविक स्थिति को देखते हुए नीचे आ रहे दामों को हम सपोर्ट करने की बात करें।

हमारे जो साथी खेती में लगे हैं और सरकारी पदों पर हैं; उनसे गेहूं के लागत के बारे में बात की। उन्होंने मुझे बड़ी ईमानदारी से बताया कि साहब एक एकड़ में कम से कम 14 सौ रुपए का व्यय आता है। इस पर मैंने जानना चाहा कि जिस रेट पर सरकार गेहूं खरीद रही है, उस रेट पर गेहूं दोगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो मैंने हिसाब लगाया है, उसमें जो बिजली की दिक्कत है, और मजदूरी के जो रेट बढ़ जाते हैं आदि बातों को बहुत उदारतापूर्वक हिसाब लगाया है। उसके अनुसार एक एकड़ में 200 रु० से ज्यादा बचत नहीं हो सकती है। अब आप बताएं कि इतनी बचत के लिए किसान के मन में कैसे सन्तोष की भावना होगी? मैं खाद्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस समस्या पर मौलिक ढंग से विचार करें और देखें क्यों कि उत्पादन और वितरण दोनों प्रणालियों में परिवर्तन करने की जरूरत है।

भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि वह पूरे सिस्टम को प्रभावित किए हुए है। हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वह भ्रष्टाचार को रोक सके। क्योंकि वह स्वयं इतनी भ्रष्ट हो गई है कि वह भी असमर्थ है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जब जनसहयोग लिया जाएगा, मौलिक कदम उठाया जाएगा और साहस के साथ कदम उठाया जाएगा तभी कुछ हो सकेगा। कोई भी रचना हो, आर्थिक या सामाजिक, यदि उसमें जनसहयोग नहीं मिलता है तो वह कदापि सफल नहीं हो सकती है। किन्तु जनसहयोग का स्रोत कानून नहीं होगा, नौकरशाही नहीं होगी, उसके लिए हमको जनता के सामने जाना पड़ेगा, उनकी कठिनाइयों को समझना पड़ेगा। अगर यह हुआ तो यह रास्ता खुद में निरापद होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता है। थोड़ी रुकावट उसमें भी कहीं आ सकती है। लेकिन वह सिस्टम हमें पैदा करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ, माननीया खाद्य मन्त्री जी ने जो खाद्य का बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड का इलाका है, उस पर उत्तर प्रदेश के खाद्य विभाग द्वारा जो अत्याचार होता है, उसके सम्बध में मैं कहूंगा। हमारे बुन्देलखंड का जितना खाद्य है वह सब 70 प्रतिशत किसानों से लेकर, प्रदेश के 14 प्रतिशत शहरों में जो रहने वाले लोग हैं, उनको दे दिया जाता है। मंत्री जी ने कहा 72 फीसदी लोग छोड़ गए हैं, यह बुन्देलखंड पर प्रभाव नहीं करता है। मैं जिलाधिकारी से बात करके आया हूं और जो सुविधायें मिली हैं, उनके बाद भी बुन्देलखंड का 70 प्रतिशत किसान लेवी से प्रभावित है। बुन्देलखंड की क्या स्थिति है, इसके सम्बन्ध में जो उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है, उसके कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके अनुसार बुन्देलखंड का कुल क्षेत्रफल 29 लाख 95 हजार हेक्टेयर है और आबादी वहां 43 लाख है। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में 14 प्रतिशत लोग हैं, परन्तु बुन्देलखंड के शहरी क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत हैं। बुन्देलखंड में कुल ग्राम 4514 हैं, जिसमें से केवल 447 ग्राम ऐसे हैं, जिनमें बिजली है, जो कुल ग्रामों की संख्या का 9.9 प्रतिशत है। बुन्देलखंड का कुल सिंचित क्षेत्रफल 4,07,354 हेक्टेयर है, कुल 16 प्रतिशत भूमि सिंचित है और वहां सभी सिंचाई के साधन वर्षा पर आश्रित हैं, जो बहुत कम होती है। बुन्देलखंड की कुल 29 लाख 95 हजार हेक्टेयर भूमि से कुल 18 लाख 36 हजार हेक्टेयर भूमि काश्तकारों के पास है, जो बोई जाती है और उसमें भी मान्यवर, 14 हजार हेक्टेयर भूमि परती और बंजर पड़ी रहती है। और कुल जो बोई जाने वाली भूमि है, उसमें से केवल 1 लाख 89 हजार 447 एकड़ भमि में दो फसलें होती हैं जो सिंचित है, 4 लाख, 7 हजार, 354 हेक्टेयर भूमि, उसमें दो फसलें नहीं होती है। 11 लाख 59 हजार हेक्टेयर भूमि बन विभाग, ग्राम सभाजों के जंगल हैं। बुन्देलखंड का 80 प्रतिशत व्यक्ति कृषि-कार्य में रत है। लगभग 40 लाख पशुधन है। कृषि और पशुपालन से 90 प्रतिशत आमदनी बुन्देलखंड के व्यक्तियों की होती है। बुन्देलखंड में 1 लाख व्यक्तियों में 152.38 उद्योग धंधों में लगे हैं जबकि शेष उत्तर प्रदेश में एक लाख व्यक्तियों में 417.1 लगे हुए है। 6 हजार 881 लोग खेती के अतिरिक्त दूसरे उद्योगों में लगे हुए हैं।

बुन्देलखंड के क्षेत्र में एक कारखाना, एच0 ई0 एल0, झांसी में खोला गया है परन्तु उसमें अगर चपरासी नियुक्त हो रहे हैं, तो बुन्देलखंड के बाहर से लाकर वहां पर लगाए जा रहे हैं। वहां के व्यक्तियों का कोई काम यहां नहीं दिया जा रहा है। बुन्देलखंड के प्रत्येक व्यक्ति पर उत्पादित वस्तुओं का जो मूल्य है उद्योग के द्वारा 10.88 पैसा पड़ता है जब कि उत्तर प्रदेश के दूसरे भाग में प्रति व्यक्ति मूल्य 80.86 पैसा पड़ता है। कहां बुन्देलखंड 43 लाख और शेष उत्तर प्रदेश 9 करोड़ इस हिसाब से बुन्देलखंड की स्थिति है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुनाथ सिंह]

बुन्देलखंड में इस वक्त केवल 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती हो रही है और बुन्देलखंड में 11 हेक्टेयर में, 4 क्विन्टल गेहूं पैदा होता है औसतन क्योंकि अं.चित भूमि अधिक है। 4 करोड़ कुन्टल उत्पादन होता है। 20 लाख कुन्टल गेहू का उत्पादन होता है। जो जिलाधिकारियों ने अभी नोटिसेज दिए हैं तो लगभग 8 लाख कुन्टल गेहूं की डिमान्ड है। 70 प्रतिशत लोगों में इस प्रकार से गेहूं की लेवी की वसूली होने की य.जना है। पिछले वर्ष में जो लेवी वसूल हुई है उससे बुन्देलखंड का किसान बहुत परेशान हुआ था। गांवों में जो अधिकारी लोग जाते थे तो गांव के लोग गांव छोड़कर भाग जाते थे। जो नियम पिछले साल नोटिस देने का बनाया गया था, वह नोटिस नहीं दी गई, उसके विरुद्ध मुकदमा उनके ऊपर चला.ा गया था। हाउस में माननीय मन्त्री जी ने बचन भी दिया था मुकदमा कायम करने का, पर नहीं हुए तो ऐसी स्थिति मान्यवर, बुन्देलखंड की है। 20 लाख कुन्टल गेहूं का उत्पादन बुन्देलखंड में होता है जोकि यह खाने के लिए भी बुन्देलखंड के लोगों को पूरा नहीं है। बुन्दे.खंड के 43 लाख लोगों क कितने कुन्टल गेहू खाने के लिए लगता है । वहां के लोगों के पास दूसरे कोई उद्योग धंधे भी मान्यवर नहीं हैं। मान्यवर, बुन्देलखंड की बड़ी विचित्र स्थिति है। हम उत्तर प्रदेश में रहने लायक नहीं हैं क्योंकि हमारी परिस्थितियों का कोई समझता नहीं है। हमारे यहां का विकास नहीं होता है। 3 मिनट का समय मुझे और दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

और भी तो सदस्य हैं।

श्री रघुनाथ सिंह—

2 मिनट का समय और दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रघुनाथ सिंह—

मान्यवर, मैंने बताया कि यह जो 43 लाख लोग हैं इनकी जो विशेष परिस्थितियां हैं, इसमें खाद्य विभाग के द्वारा वहां पर जिस ढंग से लेवी वसूल करने की योजना है, वह गलत है। बुन्देलखंड के 72 फीसदी किसानों को इस लेवी से छोड़ दें। अगर लेवी वसूल करना चाहते हैं तो 28 फीसदी जो बड़े किसान हैं उनसे वसूल करें। बुन्देलखंड इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि गेहूं की लेवी वसूल करना मुनासिब नहीं है। यहां के किसान अपनी आमदनी 50 रुपए माहवार भी नहीं कर पाते हैं, कारण यह है कि यहां की जमीन ऊसर और बंजर है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, खाद्य विभाग की मांगों के सम्बन्ध में मैं, माननीय मन्त्री जी ने जो मांग प्रस्तुत की है उसका समर्थन करने के लिए और कटौतीके प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, ज्यों-ज्यों कमी होती है और जो अभाव होता है उसका जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है इसलिये इस अनुदान पर भी चर्चा अधिक होनी चाहिये। यह लोगों के पेट से सम्बन्ध रखता है। यह सही बात है कि खाद्यान्नों की कमी के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि बावजूद इतनी कठिनाइयों के, बाढ़ और सूखा के (जब अन्न का अभाव था) कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। यह बात स्वयं सिद्ध है और इसके लिए इस विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं। जब कि इन दिनों अभाव था, हमारी सरकार ने लोगों को वितरण-व्यवस्था के द्वारा अनाज पहुंचाया और जरूरत की चीजें पहुंचायी। इस योजना में बड़े-बड़े रोड़े आए और बड़े-बड़े जखीरेबाजों ने इस योजना को असफल करने की कोशिश की। उन्होंने इसी लिए ऐसा किया क्योंकि उनको मुनाफा कमाना था।

लेकिन मैं आपके माध्यम से खाद्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी मजबूत हैं और मेरा अनुरोध है कि इस पर वह नियन्त्रण करें। परमिट और लाइसेन्स भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि एक-एक कर्मचारी किसी अमुक स्थान पर रहने के लिए हजारों रुपया खर्च करता है। जहां पर सम्बन्धित कार्यालय हैं वहां पर दुकानें बंधी हैं जिनके द्वारा लोगों के ट्रान्सफर किए जाते हैं और रोके जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर नियन्त्रण रखा जाए। जो भी व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर रहा है वह कहां से लाता है? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि खाद्य उत्पादन और वसूली तथा उसका वितरण में तीन चीजें बड़ी आवश्यक हैं। उत्पादन का सम्बन्ध कृषि विभाग से रहता है लेकिन जब वसूली का प्रश्न आता है तो खाद्य विभाग से उसका सम्बन्ध हो जाता है। खाद, पानी और बिजली का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। किसे खाद, बिजली और पानी मिलता है या नहीं मिलता है यह उससे सम्बन्ध नहीं रखता है कीमत की बात कही जाती है। श्रीमन् इसके दो पहलू हैं। एक ओर तो हमारे विरोधी भाई कहते हैं कि किसानों को अनाज के अधिक दाम मिलें और दूसरी ओर शहरों और गांवों में गरीबों की बस्तियों में जा-जा कर यह कहते हैं कि अनाज के दाम ही बढ़ा दिए हैं, ये कम दाम पर मिलने चाहिए मैं समझता हूं कि ये दुहरी बातें अच्छी नहीं हैं। मेरे विचार में दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए।

एक सदस्य--

गांव में तो आप अनाज देते नहीं हैं?

श्री बाल कृष्ण सनवाल--

गांवों में भी अनाज दिया जाता है। दूसरे जहां वसूली का सवाल है, वसूली के मूल्य और वितरण मूल्य के बीच में जो बड़ा गैप है, वह समाप्त होना चाहिए। व्यापारी तो ५ या 10 प्रतिशत के मुनाफे पर व्यापार करते हैं लेकिन जो व्यापार चाहे केन्द्रीय सरकार करती हो प्रदेशीय सरकार करती हो, उसमें 28 या 30 प्रतिशत का अन्तर होता है। मैं समझता हूं अन्तर कम कर के इसका लाभ उत्पादक या उपभोक्ता को मिलना चाहिए। जो हमारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वे भी ब्लैक मार्केटिंग करती हैं। मैंने इस सम्बन्ध में कुछ लोगों से बात की, उनकी शिकायत है कि जब वे किसी गोदाम से गल्ला लेने जाते ह तो 3-3 दिन और 4-4 दिन उनको लटकाया जाता है, कुछ कम मिलता है। असरदार लोग जो होते हैं वे अपनी जरूरत से ज्यादा भी ले जाते हैं। तो इस प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। सारा वितरण, चाहे लखनऊ से हो या और जगह से, वह सही रूप से होना चाहिए। यह भी देखने में आया है कि गल्ला मेरठ या नैनीताल से वसूल किया जाता है लेकिन भेजा जाता है बरेली गोदाम में और फिर वहां से उसे पिथौरागढ़ भेजा जायगा जो ट्रान्सपोर्ट करने के कारण गल्ले की कास्ट बढ़ जाती है। मेरा सुझाव है कि जहां पर गल्ला वसूल किया जाय उसी के नजदीक उसका वितरण किया जाय। यह भी देखा जाता है कि पहाड़ के इलाके में किच्छा और बाजपुर में शुगर की मिलें हैं लेकिन इस इलाके में बनारस के पास की मिलों से चीनी भेजी जाती है जिसके कारण खर्चा और भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमारी खाद्य मन्त्री जी इन बातों पर विचार करें और तदनुसार कार्यवाही करें।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं कटौती का समर्थन ही नहीं दर-समर्थन करते हुए, आपके माध्यम से, माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और वह भी इसलिए कि हमें तो लेवी के मूल्य का विरोध करना ही है।

[श्री भगवती प्रसाद]

मान्यवर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश की खाद्य मन्त्री एक महिला हैं, दूसरे सत्तारूढ़ कांग्रेस में होते हुए भी विपक्षी दल उनकी नेक नीयती पर शक नहीं करता है लेकिन इस सरकार की इजारेदारी और सामन्ती नीतियों ने एक महिला को एक ऐसे विभाग में फंसा दिया है जो चोरों, और भ्रष्टाचारियों का विभाग है।

अधिष्ठाता महोदय, हमारी मन्त्री जी इन इजारेदारी, पूंजीपतियों, चोरबाजारियों और चोरों की सरकार से बच नहीं पायेंगी। जिस प्रकार से जजिया कर वसूल किया जाता था, उसी प्रकार से आज बड़ी सख्ती से किसानों से गेहूं वसूल किया जा रहा है। माननीय मन्त्री जी का जो छपा हुआ चन्द पेज का काज मिला है, इसमें इन्होंने कहा है कि हमने साबुन वगैरह बड़ी सस्ती दरों पर कार्डों पर उपलब्ध कराया। लेकिन आप देखें कि आपने खाद्य नीति के अन्तर्गत किसान के उत्पादन को तो छुआ है, पर उद्योग से निकलने वाले सामान, को नहीं छुआ है। जो भी आवश्यक वस्तुयें उद्योगों से निकलती हैं उनके भाव बराबर बढ़ते गए हैं। उनके भावों को कम करने की ओर आपका ध्यान नहीं गया।

मान्यवर, यह प्रदेश महाराष्ट्र या बंगाल की तरह से उद्योग का प्रदेश नहीं है, यह प्रदेश गांवों का प्रदेश कहा जाता है। जो भी आवश्यक वस्तुयें इस सरकार ने उपलब्ध करायी हैं वे गांव के लोगों को उपलब्ध नहीं करायी गई हैं। शहरों में जो साधन सम्पन्न लोग हैं, बड़े-बड़े वेतन भोगी जिन लोगों की आमदनी आकाश को छू रही है, उन्हीं लोगों को रोजमर्रा की वस्तुयें सुलभ हुई हैं।

सस्ता कपड़ा बांटने की बात कही गयी। सस्ता कपड़ा गरीब किसान को नहीं मिला। मैंने सस्ते कपड़े की एक दूकान का 8 बजे से 6 बजे तक निरीक्षण किया, सारे रिकार्ड्स देखा, उसे देख कर मुझे यह पता चला कि 75 फीसदी कपड़ा उन लोगों को मिला जो गांव में सामन्त लोग थे या बड़े-बड़े लोग थे। छोटे किसानों को वह कपड़ा नहीं मिला। मिला भी तो 3 बालिस्त अर्ज की मारकीन, जो पहनने के काम आ ही नहीं सकती थी। यह मैं अपने यहां फैजाबाद की बात बता रहा हूं, माननीया मन्त्री जी जांच करवा लें। आज किसान की पैदावार बढ़ रही है इसका बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, माननीय मुख्य मन्त्री के भी मुख से यही बात निकल रही है, मन्त्री जी के भी मुख से यही बात निकल रही है कि पैदावार बहुत अच्छी है। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि डर है कि कहीं भाव गिर न जायं। किसान की कमर टूट न जाय। लेकिन क्या आपने इसका प्रचार कभी किया कि कानपुर की दूकानों में करोड़ों गज कपड़ा सड़ रहा है, आज जब कि फर्टीलाइजर की जरूरत नहीं है, गोरखपुर के गोदाम में तमाम फर्टीलाइजर पड़ा है, साबुन की फैक्टरीज में साबुन भरा पड़ा है, उसका प्रचार यह नहीं करती, उसके भाव गिराने के लिए यह सरकार कोशिश नहीं करती। गेहूं का भाव सरकार की नीति के कारण गिरा है। मुनाफाखोरों का जो चाबुक है उससे यह सरकार डर रही है। जिस तरह से बिजली की चाबुक, छड़ी से भालू और शेर डरता है, उसी तरह से यह सरकार और मन्त्री महोदय मुनाफाखोरों से डरती हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री भगवती प्रसाद—

अन्त में अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आपकी जो नीति है वह किसान और जनता विरोधी नीति है। इस नीति को आप को बदलना पड़ेगा वरना आप यह समझ लें कि इस प्रदेश में एक भयंकर तूफान आएगा और आपकी सारी शक्ति रखी की रखी ही रह जाएगी। और आप भी बच नहीं पायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी (जिला लखनऊ)––

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हूं, आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया बोलने का। सबसे पहले तो हमारी खाद्य मन्त्री जी ने जो अपना बजट पेश किया है, उसका मैं पूर्णतया समर्थन करती हूं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य श्री भगौती सिंह जी ने कहा कि चोरों की गुफा में एक हमारी महिला फंसा दी गयी हैं तो मैं अपने भाई को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि स्त्रियां चोर, डाकुओं से डरती नहीं हैं,स्त्रियों ने डरना नहीं सीखा है। जब अमेरिका का सातवां बेड़ा हिन्द महासागर में पहुंचा और उसका निशाना दिल्ली था तो श्रीमती इन्दिरागांधी ने खड़े होकर उसका सामना किया था। क्या माननीय सदस्य वह दिन भूल गए? हमारी स्वतन्त्रता की लड़ाई का श्री गणेश एक महिला ने ही किया था और वह झांसी की रानी थी। जिसने सबसे बड़ा तूफानी हमला किया था। जब भी मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन आयी, जब भी कठिनतम दिन आया. स्त्रियों ने ही उन दिनों विशेष रूप से सबकी सुरक्षा की। उदाहरण स्वरूप में दुर्गा सप्तशती से एक घटना की याद दिलाना चाहती हूं। जब दुनिया में सबसे बड़ा चोर डाकू तथा जमाखोर महिषासुर हुआ जिसका सामना करने से देवता लोग थर्र-थर्र कांप रहे थे तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि इस दैत्य और राक्षस का सामना एक महिला ही कर सकती है और तब उन्होंने दुर्गा जी का आह्वान किया था और दुर्गा जी की हिम्मत से ही महिषासुर का नाश हुआ था।

श्री अधिष्ठाता––

समय कम है, विषय पर बोलें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जमाखोरी के ऊपर ही मैं आ रही हूं। ये जमाखोर ही हैं जिनका नाम महिषासुर है और जिनका नाम पूंजीपति हैं। आज भी वही सिचुएशन है, यानी हमारे देश को विनाश की ओर ले जाने वाले ये जमाखोर, मुनाफाखोर और पूंजीपति हैं जिनका विनाश करने के लिए एक महिला को कार्यवाही करने में पीछे न समझें। चाहे दिल्ली में श्रीमती इन्दिरा गांधी हों, चाहे लखनऊ में हमारी खाद्य मन्त्री श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी हों। महिलाओं ने हमेशा कार्यवाही की, चाहे घर के अन्दर हो, चाहे मैदान में हो। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहां खाद्य का संकट है लेकिन इसको हल करने के लिये हमें पहले समझना पड़ेगा कि यह खाद्य संकट क्यों है। क्या खाद्य की कमी है? या कमी नहीं है? मैं समझती हूं कि हिन्दुस्तान में आज तक कभी भी खाद्य की कमी नहीं रही। यहां की धरती अन्नपूर्णा है जिसके आंचल में आज तक कभी भी गेहूं की कमी नहीं रही, कभी भी दूध की कमी नहीं रही। लेकिन कुछ मुनाफाखोरों की वजह से, पूंजीपतियों की वजह से, और पिछले जमाने में जो लैन्ड लार्ड्स या रईस रहें या राजा महाराजा रहे, उनकी वजह से हमेशा अन्न का संकट उत्पन्न होता रहा। आज से हजारों साल पहले जब रामचंद्र जी शबरी के यहां गये थे तो उस समय जब अनाज कमी नहीं थी तो शबरी के पास केवल बेर थे। इसी तरह से आज भी अनाज की कमी नहीं है। मान्यवर, हमने देखा कि बड़े-बड़े फेमीन आए हैं। बंगाल में आजादी के पहले 40 लाख लोग फेमीन से मरे। अपने देश में अनाज की कमी नहीं थी लेकिन जमाखोरों ने जमा करके रख दिया था जिससे इतने सारे लोग मारे गए। मान्यवर, जमाखारों ने औरतों के शरीर के कपड़े खींच लिए, उनका चीर हरण कर लिया। छोटे-छोटे बच्चों का दूध छीन लिया तो जमाखोरों को जो भी सजा दी जाय वह कम है। मैं अपने मुख्यमन्त्री और अपनी खाद्य मन्त्री को धन्यवाद देती हूं, मुबारक बाद देती हूं कि उन्होंने दिलेरी से कदम उठाया जमाखोरों और तस्करों को खत्म करने के लिए। जब इन्दिरा गांधी ने तस्करों के खिलाफ एक कदम उठाया था तो वहां की जनता कहती थी कि इन्दिरा गांधी ने मौत का आह्वान किया है। लेकिन मान्यवर, जब स्त्रियां बहादुरी से मैदान में आती हैं तो वह मौत से नहीं डरती। मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

आपको मुबारकबाद देना चाहती हूं कि जमाखोरों के खिलाफ जो कदम उठाए गए हैं आज उसी का नतीजा है कि जो चीजें बिलकुल ब्लैक में चली गयीं थीं वह आवश्यक चीजें अब फिर बाजार में नजर आने लगी हैं । मान्यवर, मैं आपको याद दिलाती हूं कि ....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, 2 मिनट और चाहूंगी । आपने उधर मेहरबानी की है तो ....

श्री अधिष्ठाता—

1 मिनट ले लीजिए।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अच्छी बात है। मान्यवर, इसेंशियल कामोडिटीज ऐक्ट में संशोधन किए गए। उसने एक नयी दिशा पूरे हिन्दुस्तान को दी है और यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जो यहां पर संशोधन पेश किए गए 1974 में, उनको सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। 1975 में हमारे जो संशोधन पेश हुए उसको भी मैं समझती हूं कि दिल्ली की सरकार, उसको एडाप्ट करेगी और हम एक नयी दिशा पूरे हिन्दुस्तान को दे सकेंगे। और इसके लिए मैं अपनी सरकार को और खाद्य मन्त्री को मुबारक बाद देती हूं कि उनकी दिखायी हुयी दिशा को केन्द्रीय सरकार ने माना।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया आसन ग्रहण करें।

*श्री जुगल किशोर यादव (जिला बदायूं)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। अभी माननीया सदस्या बख्शी जी इस सिलसिले में बोल रहीं थीं। उन्होंने कहा कि महिलायें बड़ी बहादुर होती हैं। हिन्दुस्तान की महिलायें बहादुरी से चिता में भस्म हो जाती थीं, सती हो जाती थी और उतने आदमी बहादुर नहीं हो सकते।

श्री अधिष्ठाता—

समय कम है, माननीय सदस्य विषय पर आयें।

श्री जुगल किशोर यादव—

अधिष्ठाता महोदय, हमारा शासक दल बड़ी खशी के साथ कह रहा है कि पैदावार बहुत अच्छी है और अगर 105 रुपया गेहूं की कीमत निश्चित न होती तो गेहूं का भाव और नीचे चला जाता। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि भाव क्यों नीचे चला जा रहा है। इसका कारण है मारकेटिंग पाबन्दी। पाबन्दी होने के कारण कीमत गिरती है। 3 प्रदेश हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जहां गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है। और जब गेहूं पर बाहर जाने की पाबन्दी लगा दी जाती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। अभी कुछ समय पहले मोटे अनाज पर पाबन्दी लगी थी। जिसकी वजह के उसकी कीमतें गिर गयीं थीं। पर जब मोटे अनाज पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया तो चना, मटर आदि के भाव बढ़ गये और पौने दो सौ रुपये क्विन्टल तक पहुंच गए। तो पाबन्दी के कारण ही भाव गिर जाते हैं। पिछले वर्ष जब गेहूं के भाव कम हुए तो इसी पाबन्दी की वजह से 125–130 रुपए तक आ गए। लेकिन बाद में 250–275 रुपए तक पहुंच गए। तो आज पैदावार ज्यादा होने की वजह से भाव नीचे नहीं जा रहे हैं। पाबन्दी लगाने की वजह से नीचे जा रहे हैं। इसकी ओर सोचने की बात है।

दूसरी बात जो यह 105 रुपये निश्चित किया गया तो किसान से सम्बन्धित सभी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीजों के दाम 2 गुने, ढाई गुने ज्यादा हो गए हैं। यानी खाद के दाम बढ़े, बीज के दाम बढ़े, कृषि उपकरणों के दाम बढ़े, सिंचाई, विकास कर आदि हर चीज के दाम बढ़े गए लेकिन गेहूं के वही रेट हैं जो पिछले साल थे। इससे किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे हमारा देश भुक्तभोगी होगा। हमारे यहां की जलवायु, भूमि, श्रम, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन पैदावार गिरती चली जा रही है इसलिए हमें विदेशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। हमारे यहां कच्चा माल खेती से पैदा होता है लेकिन कारखाने में वह पहुंचकर, उसका रूप बदल कर मार्केट में जब उसको उपभोक्ता खरीदते हैं तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन सरकार नहीं देखती है कि उन चीजों के दाम कहां जा रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैंने पिछले साल के चना, जौ आदि के बारे में जो आंकड़े दिए उससे साफ है कि जब कोई चीज ज्यादा पैदा हो जाती है और उसकी मांग कम होती है तो उसके दाम गिर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाबन्दी लगा दिया कि बाहर गेहूं नहीं जाएगा तो उसके दाम गिर गए हैं। यदि गेहूं बाहर दूसरे प्रदेशों में जाने लगे तो उसके दाम बढ़ जायेंगे और इससे किसानों तथा उपभोक्ताओं को फायदा होगा। लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं और कुछ दिन बाद में करेंगे।

मान्यवर, दूसरी बात लेवी हर एक भूमि पर एक सी लगा दी है। हमारे जिले बदायूं में 5 तहसीलें हैं। हमारी बिल्सौर तहसील में 4 सरकारी ट्यूबवेल हैं किन्तु कोई नहर नहीं है। पूरा क्षेत्र सैलाबी है। 4.30 पैदावार का हिसाब लगाया है और यही हमारी तहसील और जिले में भी लगाया है। जबकि हमारे यहां कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं इसलिए पैदावार कम होती है। लेकिन लेवी समान रूप से लगा दी है। इस सम्बन्ध में एक पत्र खाद्य मन्त्री जी को दिया और जिला अधिकारी से मिले परन्तु उन्होंने कहा कि हम सरकारी नीति का पालन करेंगे। सरकारी स्कीमों में सरकारी मशीनरी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बड़ी जल्दी काम करते हैं। चूंकि यहां देखेंगे कि बदायूं में या किस जिले में कितना गेहूं वसूल हुआ। लेकिन यह नहीं देखेंगे कि वहां चीजों का वितरण हुआ कि नहीं। इसलिए जनता जो भुक्तभोगी होती है उसकी शिकायत यहां होती है लेकिन सरकार उसको देखने वाली नहीं है। एक भी डीलर के पास एक बोरी सीमेन्ट नहीं है। 50 प्रतिशत छूट थी उसमें भी पाबन्दी लगा दिया इसलिए डीलर के पास नहीं है। कहेंगे, बाद में देंगे लेकिन वह बाद में नहीं दी जाएगी। कपड़े में मारकीन की हालत है कि इतनी मिलती है कि उसकी धोती नहीं बना सकते हैं। वही हालत चीनी की है। एफ0 सी0 आई0 विभाग को माध्यम बना दिया। उसमें तहसीलदार और सप्लाई आफिसर शामिल हो गए। डीलर क्या करेगा जब डीलर तीन जगह रिश्वत देगा तो वह ब्लैक में ही बेचेगा। एक किलो भी चीनी देहात में नहीं पहुंच पाती है। जहां तक उपभोक्ता भंडार का सवाल है, वह कितने हैं और उनकी क्या हालत है यह आप जानते ही हैं। सहकारिता की हालत यह है कि उन्होंने सब मटियामेट कर दिया। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी खाद्य मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् जी, यहां खाद्य विभाग में वितरण की जो व्यवस्था है उसके बारे में मुझे कुछ सुझाव देने हैं। जब कोई स्कीम चलती है तो यहां लखनऊ से जो आदेश प्रसारित होते हैं विभागीय, वह इतनी तेजी के साथ प्रसारित होते हैं कि एक महीने में 3-4 भेज दिए जाते हैं और एक दूसरे को सामने रखा जाय तो एक जी0 ओ0 से दूसरा जी0 ओ0 कट जाता है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने विभागीय अधिकारियों से यह कहें कि किसी स्कीम को चलाने से पहले शांति के साथ सारी बातों को देखें और सोचें और तब एक निश्चित कार्यक्रम बनावें और उसी के हिसाब से आदेश भेंजे। लेकिन होता यह है कि बीच-बीच में रेडियोग्राम से जो आदेश जाते हैं वह इतने भ्रामक होते हैं कि अधिकारियों को काम करने में मुश्किल हो जाती है।

[श्री राज बहादुर चन्द]

जहां तक गल्ले के भन्डारण का प्रश्न है, जो खर्चा होता है हैन्डलिंग चार्जेज में, वह सरकार का अधिक होता है। मैंने इस सम्बन्ध में एक सुझाव मन्त्री जी को दिया था और फिर से आज मैं यह सुझाव दोहराना चाहता हूं कि भन्डारण में सरकार का जो खर्चा होता है वह बचाया जा सकता है और उससे उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को लाभ हो सकता है जब कि उस भन्डार के लिए टेन्डर इन्वाइट किए जायं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर भन्डारण के लिए टेन्डर इन्वाइट किए जायं कि कितनी कम कीमत पर भन्डारण के लिए गल्ला उपलब्ध हो सकता है तो मैं समझता हूं कि व्यापारी जो टेन्डर देगा वह उससे बहुत कम होगा जो सरकार स्वयं व्यय करती है। इस पर सरकार को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए।

जहां तक लेवी का प्रश्न है, आज ही बस्ती से आया हूं। वहां पर 120 रुपए क्विन्टल गेहू का भाव है और जिस तेजी के साथ भाव गिर रहा है, लगता है सरकार ने अगर जल्दी ही व्यवस्था नहीं की तो भाव बहुत नीचे गिर जायेंगे। इसलिए मैं माननीया मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हर जिले में तुरन्त खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि किसानों का गल्ला खरीदा जा सके।

श्रीमान् जी, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं माननीया खाद्य मन्त्री जी से, कि जो चीनी के वितरण की व्यवस्था की गई है गांवों में, उसके बारे में हम बहुत परेशान हैं और ईमानदार लोग भी बेईमान बनने की कोशिश करते हैं और हमारे पास दौड़ते हैं। मैं कह सकता हूं कि 75–80 प्रतिशत चीनी ब्लैक में चली जाती है और केवल 20–23 प्रतिशत ही गांवों में पहुंचती होगी। मैं खाद्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए और कार्यकर्ता को ईमानदार बनाने के लिए इस पर विचार करें कि किस तरह से चीनी के व्यवसाय को गांवों तक पहुंचाया जा सकता है।

एक सुझाव और देना चाहता हूं कि बहुत से बुनकर हमारे क्षेत्र मे हैं और बुनकरों के पास मैं समझता हूं कि 95-98 प्रतिशत तक उनके पास खेती नहीं है और हर बाजार में कपड़ा बेचते हैं और गल्ला खरीद कर खाते हैं। वह बैलगाड़ी में गल्ला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लेकर जाते हैं। लेकिन हमने एक दिन माननीय मन्त्री जी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि किसी किस्म का प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन आज भी हर थाने पर और चौकी पर बैलगाड़ियों को रोका जाता है। जब उनसे हम कहते हैं तो वह जवाब देते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा आदेश नहीं है। मेरा निवेदन है कि जब धान और गेहूं पर प्रतिबन्ध नहीं है तो थानाध्यक्षों को और उनके अधीनस्थ जो चौकियां है वहां आदेश जाने चाहिए कि जो काश्तकार चार-छ : बोरा ले जा रहा है तो उसे हैरस न किया जाय। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि देहातों में खासकर बुनकरों के राशन कार्ड बनने चाहिये। यह सही है कि सूत और हैण्डलूम के कपड़े का दाम डाउन हुआ है जिससे बुनकरों की हालत और भी खराब ही गयी है और तीन रुपया रोज भी उन्हें नहीं मिल रहा है। इसलिए उनके लिए राशनकार्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि वह भूख से मर रहे हैं और कर्ज से दबे जा रहे हैं। इसी के साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सूत का भाव 40 प्रतिशत गिरा है लेकिन उपभोक्ता को कोई राहत नहीं मिली। हर दुकान पर रिडक्शन लिखा हुआ है लेकिन साड़ी पर जो पहले के दाम 75 रुपये लिखे है तो उसी पर उपभोक्ता को साड़ी मिलती है। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती कि उपभोक्ता को सही कीमत पर चीजें मिल सकें। इसी तरह से छोटे अर्ज का कपड़ा जैसे मारकीन बारह गिरह की देहात में जाती है। इस अर्ज के कपड़े में न ब्लाउज बन सकता है, न धोती और न पैंजामा। मिल वाले भी एक तरह से अपना गज पूरा करते हैं और सरकार को धोखा दे रहें हैं। कृपया इस पर भी विचार करें।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, यह जो पूरी की पूरी वितरण प्रणाली है यह अत्यन्त दोषपूर्ण है। मैं तो यह कहूंगा कि यह सारी प्रणाली कुछ ही लोगों के लिए विशेषकर शहर के लोगों के लिए है। यह मानी हुई बात है कि देहात के अन्दर जो भूमिहीन हरिजन है और जो भूमि से

महरूम लोग हैं लगभग तीस प्रतिशत उनको भी खाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन देहातों में सस्ते गल्ले की दुकाने न खोलना क्या बात सिद्ध करती है ? आप लफ्फाजी की बात बहुत करते हैं कि हम उन हरिजनों के पोषक हैं, रक्षक हैं लेकिन जो आवश्यक वस्तु हैं वह आप उन तक नहीं पहुंचा पाते। जहां तक आपकी लेवी की स्कीम है तो उसी के साथ वह लोग भी जुड़े हुए हैं जो निर्बल वर्ग के हैं, शोषित वर्ग के हैं। उनके लिए भी कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिए कि उनको गल्ला मिल सके। दूसरी बात यह है कि उन काश्तकारों से जो लेवी दे रहे हैं यह कहा जाता है कि 105 में न खरीदा गया तो गेहू भी आलू की तरह सड़ जायगा। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि अगर आलू सड़ रहा है, तो वह सरकार की गलत नीति के कारण सड़ रहा है। अगर गेहूं के सड़ने की नौबत आयी, तो उसकी भी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। जो 105 रुपए की बात करते हैं, उसमें साजिश है आप लेवी की स्कीम को ईमानदारी के साथ नही चलाना चाहते हैं। आपकी सरकार ने अप्रैल, 1973 में गेहूं के थोक व्यापार का निर्णय लिया था लेकिन आपकी अफसरशाही ने, व्योर क्रेसी ने बड़े-बड़े व्यापारियों से मिलकर लाखों लाख रुपए कम लिए और सरकार की नीति को फेल कर दिया। इसी तरह से लेवी के मामले में सवा छः एक से 12 एक तक लेखपालों ने लिख दिया कि पूरे के पूरें में गेहूं बोया गया। लेकिन 12 1/2 एकड के ऊपर के काश्तकार मिलजुल कर साजिश से अपने सारे के सारे इलाके को कटा दिया और लिखा दिया कि तिलहन बोया था, और गेहू नहीं बोया था। यह साजिश चल रही है। तो किसान इस साजिश का विरोध करेंगे। सरकार काश्तकारों से तहसीलदार और एस0 पी0 के बल पर वसूल कर लेंगी। लेकिन जो मिलों और कारखानों में चीजें उत्पन्न होती हैं, उनको भी काश्तकारों को दिया जाय। यह 14वीं शताब्दी नहीं, 20वीं शताब्दी है और आज काश्तकार को कपड़ा चाहिए, सीमेंट चाहिए लोहा चाहिये, मिट्टी का तेल चाहिए। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस समय इन चीजो की व्यवस्था देहात के लिए करे। हर न्याय पंचायत के अन्तर्गत 2 दूकानें खोले, इन चीजों की, सस्ते गल्ले की, कपड़े की, सीमेंट की, मिट्टी के तेल की और खाद की ताकि वे काश्तकारों तक पहुंच सकें। देहात में भी गल्ला चाहिए क्योंकि वहां भी भूमिहीन लोग हैं; हर आवश्यक वस्तुयें सरकार के पास होनी चाहिए, तब हम नहीं कहेंगे कि सरकार लेवी न ले। हम कहते हैं कि इससे बढ़कर गेहूं लें, लेकिन काश्तकार को सीमेंट, डालडा, शकर आदि दें। दोहरी नीति चलना ठीक नहीं। जितनी चीजों की जरूरत देहात में है, उन सारी चीजों को देहात तक पहुंचाये।

कहा गया कि जो कोटे सस्पेंड होते हैं, तो 3 महीने में फैसला हो जाता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मामापुर, और टिकरिया, न्याय पंचायतें जो बाराबंकी जिले में हैं, एक-एक साल से ज्यादा से शकर के कोटे सस्पेन्ड चल रहे हैं। लेकिन अधिकारीगण कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ? क्योंकि वे कुछ चाहते हैं। इस देहात की जनता को शकर नहीं मिली। एक चौथाई लोगों के पास कार्ड नहीं हैं। दूसरी तरफ तमाम फर्जी कार्ड हैं, जिन पर लेखपाल आदि के दस्तखत नहीं। एस0 डी0 एम0 फतेहपुर बाराबंकी को पता चला उन्होंने कुछ फर्जी कार्ड ब्लाक रामनगर के पकड़े, जिलाधिकारी को सूचना दी परन्तु कार्यवाही नहीं हुई। बाराबंकी पूर्ति विभाग में स्कैन्डल पिछले साल पक गया

(इस समय 3 बजकर 47 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, इन्क्वायरी चली और तीन सप्लाई इन्स्पेक्टर जेल भेज दिए गए लेकिन डी0 एम0 ओ0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वह कम्पलसरी रिटायर कर दिए गए और एक भी बिजनेसमैन के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया गया और जो इन्क्वायरी चल रही थी उस पर सारे मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई और जिलाधिकारियों ने बिजनेसमैन से लाखों रुपया खा कर मामले को खत्म कर दिया। मेरा सुझाव है कि खाद्य एवं रसद विभाग को एस0 डी0 एम0 से एवं जिलाधिकारी के क्षेत्र से हटाकर नए ढंग से पुनर्गठित करना होगा।

[श्री राम चन्द्र बक्श सिंह]

ताकि आपका विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है सही ढंग से काम कर सके और सीधे एवं सबल विभाग के रूप से कार्य कर सके।

*श्री धर्म पाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

मैं खाद्य एवं रसद विभाग के अनुदान का समर्थन करता हूं। आज सरकार ने जनता के लिए काफी सहूलियतों की व्यवस्था की है और यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। कप ा सीमें , चीनी, सस्ते गल्ले की दूकानों से लेकर लकड़ी तथा कोयले सब की इसने व्यवस्था की है और हर स्थान पर इन चीज को सरकार ने मुहैया किया है जिसके लिए मैं उसकी सराहना करता हूं। आज प्रदेश में एक तरफ कुछ ऐसे ल ग हैं जो यह कहते हैं कि लेवी न लगाई जाय, दूसरी तरफ वही लो। कहते हैं कि सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं। मैं सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि यह गल ा कहां से आएगा? अगर एक तरफ सरकार खरीदेगी नहीं तो बेचेगी कहां से? फिर सरकार ने जो निम्न स्तर का छोटा किसान है, उसे लेवी से बचा दिया है। ब ा किसान जिसके पास ज्यादा गेहू है उससे अगर थो ा ले लिया जाता है तो उस पर क्या असर प ेगा? फिर यह गल्ला उससे प्रदेश की जनता को भुखमरी से बचाने के लिए लिया जा रहा है तो उससे कोई फर्क किसान पर नहीं पड़ेगा। आप लागत की बात कहते हैं तो हमने भी हिसाब लगाया है। 75 रुपए प्रति बीघा लागत आती है। (व्यवधान) इस वर्ष किसान को 19 घंटे बिजली दी गयी। फिर उसके लिए खाद तथा बी की पूरी व्यवस्था की गयी और सारी समस्यायें हल की गयीं। इसलिए आपने देखा कि आलू इतनी ज्या ा तादाद में हुआ। अगर देश व प्रदेश में आलू इतना नहीं होता तो गरीब किस न व खेतिहर मजदूर बगैर आलू खाए कैसे अपना जीवन निर्वाह करता और उसकी क्या हालत होती? आलू के बल पर ही उसने अपने बाल-बच्चों को पाला। अब फसल इसलिए अच्छी हुई क ि बी , खाद, पानी तथा बिजली की व्यवस्था सरकार ने अच्छी की। नतीजा यह है कि महंगाई कम हो रही है, दाम चीजों के नीचे गिर रहे हैं। कल गेहूं के क्या भाव थे लेकिन आज क्या हैं। यह जो महंगाई दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है इसलिए सरकार बधाई की पात्र है।

जहां तक जखीरेबाजी का सम्बन्ध है सरकार ने उनके लिए डी0 आई0 आर0, मीसा की व्यवस्था की है जिससे आज उनमें घबराहट फैली हुई है। नम्बर दो के पैसे का वह आज इस्तेमाल नहीं कर सकते और उसको इस्तेमाल करने में उनको जेल जाने का डर हो गया है। इसलिए महंगाई कम होती जा रही है जिससे जनता में राहत की सांस है। यह सब सरकार के सराहनीय कार्य हैं।

तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि डी0 आई0 आर0 और मीसा को और तेजी से चलाया जाय जिससे जखीरेबाजों, चोरबाजारियों जो वनस्पति, सीमेंट आदि भर लेते हैं और बाद में जनता का शोषण करते हैं और जब उनके साथ कड़ाई नहीं होती तो उनके साथ जो मेहनतकश लोग हैं, उनके साथ अन्याय होता है। इन शब्दों के साथ मैं खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये बोलने की इजाजत दी। मान्यवर, यह तो अकाट्य है, यह तो इधर और उधर के माननीय सदस्यों ने सभी ने, माना है कि वितरण व्यवस्था इस समय बहुत दोषपूर्ण है और माननीया मंत्री जी ने जो नयी वितरण व्यवस्था की नींव डाली है और तीन चार महीने के अन्दर लागू करने की बात कह रहीं हैं मेरा ख्याल है कि वह बहुत आजमाई हुई चीज है वह बहुत ही दोषपूर्ण सिद्ध हो चुका है। क्योंकि प्रधानों के हाथ में देने से जैसे पहले शिकायत थी कि दो-चार किलो प्रधान को दे कर सारा गल्ला व चीनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ब्लैक करा लेते थे, उस तरह की चीज फिर होगी। मैं माननीया मंत्री जी से कहूंगा कि उस पर निर्णय लेने से पहले अपनी पार्टी की मीटिंग में अपने दल के माननीय सदस्यों से राय ले लें कि जो नया एक्सपेरीमेंट वह करने जा रही हैं वह कितना दोष पूर्ण है या कितना दोष रहित है।

मान्यवर, लेवी की बात कही जा रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और मेरे से पूर्व वक्ता कांग्रेसी सदस्य जो कह रहे थे, पता नहीं उनके गांव में खेती होती भी है या नहीं उन्होंने कुल प्रति एक; 75 रुपया खर्चा प ता है ऐसा बताया। 105 रुपये से ज्यादा तो खाद हो जात है। उसके अलावा पानी है। उनकी ही पार्टी की सरकार है कि खाद के साथ बीज भी अवश्य लेना पड़ता है और अगर बीज नहीं लेता है तो खाद नहीं मिलती है। इसके अलावा विकास कर है, बिजली और पानी का रेट ब; गया है। तो उसका खर्चा कैसे उतना कम आ गया, यह पता नहीं चलता है।

गेहूं की 105 रुपये वाले भाव की बहुत दुहाई दी जाती है। माननीया मंत्री जी ने कहा कि वह यह इसलिये कर रहीं हैं कि कहीं भाव नीचे न चला जाय इसलिये सरकार ने 105 रुपये का भाव मुकर्रर किया है ताकि यह भाव स्थिर रह सके जिससे छोटे किसानों का नुकसान नहीं होगा। दिल को बहलाने के लिये यह ख्याल अच्छा है लेकिन दरअसल देखा जाय तो यह ख्याल गलत है। अगर आज 125 और 140 का भा : रहता तो गरीब किसान को जो आज़ सस्ते भाव से बेंचना पड़ रहा है वह अपना माल इतने सस्ते दाम पर नहीं बेंचता। कल ही मैं अपने पास ; गांव के बाजार में गया था। वहां गरीब किसान 1 रुपये 1 आने किलो में अपना गल्ला बेंच रहा था क्योंकि आपने 105 रुपये का भाव मुकर्रर कर दिया है। अब जो खरीददार दूकानदार है वह उसको सस्ते में खरीद लेता है। हमारे यहां सारे किसान जो हैं उनको जो मजदूरी में गल्ला मिलता है उसको भी बेंचकर अपने बीबी बच्चों का गुजर-बसर करता है। भाव मुकर्रर होने से वह उसी सस्ते भाव में बेंच कर अपना गुजर कर रहा है और जब किसान के घर में अन्न पैदा होता है और खलिहान से उसके घर में आता है तब तो सस्ता होता है और जब उसका अन्न खत्म हो जाता है तब यह सरकार ही उनको भी 1 रुपये 35 में गल्ला देती है या उनके रक्षक जो बनिया हैं वह उसको 2 रुपये और ढाई रुपये किलो में वही गल्ला देते हैं। यह तो किसानों को जिबह करने की बात हुई। जैसा बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि जब उसका माल हो तो वह सस्ते में बिके और जब उसके पास गल्ला न हो तो उसी गल्ले को तेज भाव में खरीदे। गरीब किसान की भलाई कम रेट में नहीं है बल्कि उसकी बरबादी है। बाजार में जब भाव गिरता है तो उसको बेंचना प ता है और जब उसका ना ; खत्म हो जाता है तो किसान को उस पर पैसा देना प ता है। और अगर वह बाहर बेचने जाता है तो ग्राहक नहीं रह जाता है और मन्डि यों में भाव दुगने और ढाई गुने हो जाते हैं। दुकानों पर चीनी के वितरण में 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत तक ब्लैक होता है। सिवाय चन्द आदमियों के जो बाअसर है, गरीब आदमियों को चीजें नहीं मिलती है। कार्ड की व्यवस्था सुन्दर हुई थी किन्तु सभी को कार्ड नही मिले। कहीं फर्जी कार्ड बने हुए और बहुत के किसानों के पास कार्ड नहीं है। मैं समझता हूं कि 15 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक किसानों के पास कार्ड नहीं हैं उनको ब्लैक से चीजें लेनी पड़ती है।

इस सम्बन्ध में मैं माननीया मन्त्री जी के कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव यह है कि सेन्ट परसेन्ट कार्ड की यवस्था माननीय मन्त्री जी करावें। कहा जाता है कि कार्ड तैयार हैं लेकिन शिकायतें हैं। यह बात गलत है। कार्ड को वोटर लिस्ट से मिलाकर बंटवाने की व्यवस्था होनी चाहिए और यूनिट के हिसाब से सबको एक ही तरह से देना चाहिए। साथ ही जिस दुकान का कार्ड हो उसी दुकान से माल दिया जाना चाहिए ताकि यह न हो सके कि सामान खत्म हो जाय और किसी को न मिल पाए। इस प्रकार यदि वितरण प्रणाली कार्ड के अनुसार सही ढंग से की जाय तो पता चल जायेगा कि दुकानदार ने माल कितना ब्लैक किया। एक बात यह है कि एम0एल0ए0, सभापति ब्लाक प्रमुख, बी0डी0ओ0 आदि की रिकमन्डेशन पर गरीब आदमी का कोटा कम कर दिया जाता

[श्री अब्दुल रऊफ ंारी]

है या काट लिया जाता है और नई दुकानों को मान्यता दी जाती है। इससे हजारों रुपए का गोलमाल हो जाता है और गरीब किसानों को गल्ला मिल नहीं पाता है।

हमने अपने पिछले साल के भाषण में भी यह बात कही थी कि जो परामर्शदात्री समितियां बनी हैं उनसे जिलाधीशों का कोई ताल्लुक नहीं रह गया है। आज साल भर के बाद फिर बात दुहराना चाहता हूं कि उसकी एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई। अभी पिछली 19 तारीख को जब कि सदन चल रहा था तो गोरखपुर के जिलाधीश ने यह मीटिंग बुलाई।

एक सुझाव मेरा यह है कि जिन दुकानों को निलम्बित किया जाय उन पर 15 दिन के अन्दर कार्यवाही करके वे खारिज कर दी जायं या बहाल कर दी जायं। ऐसा देखा गया है कि दो-दो साल तक दुकान निलम्बित पड़ी रहती है उसका असर यह होता है कि दुकान का सामान ब्लैक कर लिया जाता है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने पिछले भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं और फिर कह रहा हूं कि एक दुकान चार-चार दुकानों का सामान रखती है और इस प्रकार ब्लैक करने के ज्यादा चांसेज हो जाते हैं क्योंकि किसानों को यह मालूम रहता है कि उनकी दुकान तो निलम्बित पड़ी है, सामान नहीं मिलेगा। इसी प्रकार कपड़े का भी हाल है। कपड़े के वितरण की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिये कि किसान को पहनावे की साड़ी अवश्य मिलनी चाहिए और उसका पूरा अर्ज होना चाहिए। दो-तीन महीने में एक कार्ड पर एक साड़ी उसे अवश्य मिलनी चाहिए ताकि औरत और मर्द दोनों पहन सकें। डेढ़ हाथ के अर्ज का कपड़ा बिलकुल बेकार है। वह सारा ब्लैक में चला जाता है और कहने के लिए हो जाता है कि इतना कपड़ा बांटा गया। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे। मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि बहुत काफी मारकीन का कपड़ा हमको मिल रहा है। उनसे यही प्रार्थना है कि वे यह देखें कि यह ब्लैक में न बिकने पाए। अब मैं बाराबंकी की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा वहां के मामले की विजीलेंस या सी0 आई0 डी0 के जरिए जांच करवा दें, सारी पोल खुल कर रह जाएगी। वहां लाखों रुपए का घोटाला है। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में वे जरूर ख्याल करें। लेवी की वसूली के सम्बन्ध में जो उन्होंने कहा है कि एक बोरा गेहूं मिलने पर चीनी, कपड़ा देंगे वह रेट भी बतायें कि इसका क्या अनुपात होगा? इसका ऐलान मन्त्री जी करें। इससे हमको आसानी हो जाएगी और देहातों में हम इसका प्रचार कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सरस्वती टम्टा (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, जिसे खाद्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया उसके समर्थन हेतु मैं बोलूंगी। महोदय, मैं पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओ के बारे में यहां पर सुझाव देना चाहती हूं। मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में नीचे की घाटियों को छो कर ऊपरी हिस्से में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं रहती है इसलिए वहां पर नाम-मात्र को ही पैदावार होती है और साल में केवल दो तीन महीने के लिए ही वहां पैदावार होती है। सारे साल में, बाकी दिनों में उन लोगों को सस्ते गल्ले की दुकानों से ही अन्न प्राप्त होता है। पहाड़ी क्षेत्र में कई ऐसे सुदूर के इलाके हैं जहां पर कोई यातायात के साधन नहीं है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर 3 महीने तक बर्फ जमी रहती है। तो मेरा आपके द्वारा मन्त्री जी को सुझाव है कि इन हिस्सों में जहां पर खच्चरों से सामान जाता है वहां पर विशेष सबसिडी मिलनी चाहिए। तीन महीने जहां रास्ता बन्द रहता है वहां पर नवम्बर दिसम्बर में राशन पूरा तीन महीने का पहुंचा दिया जाना चाहिए। जैसे पिंडारी ग्लेशियर का क्षेत्र है। मार्च माह पर मैं वहां दौरे में गई थी तो वहां पर ग्राम सभा के प्रधान ने मुझे बताया कि उनका माल नीचे पड़ा हुआ है क्योंकि खच्चरों का रास्ता बन्द है इसलिए मार्च बाद वह लाया जाएगा। तो इन परिस्थितियों में वहां पर सामान पहले ही पहुंचा दिया जाय। वहां पर एक अनाज फासर होती है जो कि वहां

की मुख्य पैदावार है उसके अलावा वहां कोई भी अनाज नहीं होता है और जो खच्चरों से गल्ला जाता है वह मंहगा पड़ता है इसलिए मेरा निवेदन है कि उसमें विशेष छूट भाड़े में मिलनी चाहिए।

वहां पर सस्ते गल्ले की दुकानों पर कपड़ा जो दिया जाता है वह सिर्फ मारकीन दिया जाता है जोकि वहां के लिए जलवायु के हिसाब से उपयोगी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन हिस्सों में मोटा कपड़ा देने की व्यवस्था सस्ते गल्ले की दुकानों में की जाय। सर्दियों के दिनों में धोतियां और कपड़े वह के लिए उपलब्ध कराए जायं।

मान्यवर वहां पर चीनी का जो वितरण होता है वह पहाड़ों के लिए 5 सौ ग्राम प्रति यूनिट है। वहां पर ठंड अधिक होने से चाय लोग ज्यादा पीते हैं इसलिए वहां पर चीनी की मात्रा ज्यादा दी जानी चाहिए। अगर चीनी ज्यादा नहीं दे सकते हैं तो राशन के माध्यम से वहां पर गुड़ का वितरण किया जाय।

इसके अलावा वहां पर सस्ते गल्ले की दुकानें जो हैं वह डेढ़ मील के भीतर खोली जायं इसके लिए आबादी का ख्याल न रखा जाय। आप देखेंगे कि वहां पर लोगों को 12 और 13 मील नीचे से सामान लाना पड़ता है, वहां पर गांवों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है जिस कारण से वहां के लोगों को गल्ला लाने में सुबह से शाम हो जाती है। इसलिए जनसंख्या को आधार न मान कर डेढ़ मील में सस्ते गल्ले की दुकान खोल दी जाय।

वहां पर जो जिला परिषद् के स्कूल हैं उसमें मरम्मत का काम हो रहा है। उसके लिए टिनों की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वर्षान्त होने से पहले स्कूलों में छवाई हो जाय और उनकी मरम्मत हो जाय।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में खाद्य की कठिनाई होते हुए भी वहां के लिए खाद्य मन्त्री जी ने और खाद्य विभाग ने काफी ध्यान दिया है और वहां पर भुखमरी नहीं पैदा होने दी है और खाद्यान्न का पर्याप्त स्टाक वहां पर रखा है जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय खाद्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मन्त्री जी ने जो अपनी तारीफ अपने आप की है, उसके बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं। शायद मन्त्री जी को यह ज्ञात नहीं है कि आपके एक नेता ने एक वाक्य कहा था कि भ्रष्टाचार,जब से डी0 एस0 ओ0 दफ्तर खुला है, विशेष रूप से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। था पहले भी, लेकिन तब से अत्यधिक बढ़ गया है और माननीय मन्त्री जी उसकी नेता हैं, क्योंकि मन्त्री जी उसकी प्रमुख हैं और मन्त्री जी के नाते उन्हें उसे रोकना चाहिये। लेकिन आज जो वास्तव में देखा जा रहा है उसको रोकने की बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं कि जो आपका नेशनल सीड कारपोरेशन है, आप देखें कि उसके अन्दर कितनी बड़ी धांधली है। गेहूं का मूल्य आपने तय कर दिया 105 रुपया क्विन्टल, जो कि गरीब किसानों से जबरदस्ती वसूला जाएगा। किन्तु जो बड़े-बड़े किसान हैं, जिनमें चालाकी है षड़यन्त्र करने की ताकत है, वे दो-दो किलो के पैकट बनाते हैं और वही गेहूं जो किसान से आप जबरदस्ती वसूल लेते हैं, उस पर सीड दिखा देते हैं और उसे दुगने दामों पर दे देते हैं। जिसे आपका विभाग लेता है। यह घूसखोरी का एक बड़ा रास्ता है। आज ही के अखबार में मन्त्री जी ने पढ़ा होगा, आपके क्षेत्र के तरफ से ही अरब को चावल तस्करी हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश है, जहां पर मन्त्री और मुख्य मन्त्री रहते हैं, वहीं सब होता है। अभी पिछले बार आया कि धान की तस्करी बड़े पैमाने पर हुई थी, विधान सभा में प्रश्न भी उठा। आपके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वेद प्रकाश अग्रवाल]

विभाग के द्वारा एफ0 सी0 आई0 से मिलकर बड़ें-बड़े लोगों के लड़के लाखों रुपए का घोटाला करते हैं। बाजरा-कांड भी हुआ है, जिसकी चर्चा भी यहां हुई है, जिसमें विधान सभा के एक सदस्य भी संदिग्ध हैं, इसमें लोगों ने लाखों लाख रुपया कमाया और बर्बाद किया है। आज इस प्रशासन में भ्रष्टाचार कितना अधिक है, उसकी कोई सीमा नहीं है। रुपए का बोल-बाला है, उससे आप चाहे कुछ खरीद लीजिए। मन्त्री जी ने कहा कि हमने साबुन दे दिया, जिससे कुर्ता साफ लकालक करके हम पहन लें, ब्लैड दे दिया सफाई करने के लिए। साबुन दे दिया, ब्लैड दे दिया तो अब कमी केवल टिनोपाल की रह गई, वह भी दे दें तो बिलकुल हम लोगों के कपड़े लकालक हो जाएं। ब्लैड और साबुन मिल गया है, लेकिन जनता को गेहूं और चावल नहीं मिला है।

मान्यवर, मैं भ्रष्टाचार की बात कह रहा हूं। 60 हजार रुपए के धोती के मोटे जोड़े यह कह कर कि ये मोटे हैं, किसान इन्हें खरीदेगा नहीं, इन लोगों ने लाखों रुपए पैदा कर लिए। 6 रुपये का जोड़ा 10 रुपये में बेचा गया और 60 हजार के जोड़ों में लाखों लाख रुपए का गबन किया गया। टेक्सटाइल कमीशन से उसे फ्री करा लिया गया। बहुगुणा जी के नाम पर फन्ड जमा किया गया। फैजाबाद में डी० एस0 ओ0 से कहा गया कि वह 70 हजार रुपया इसमें दें। उन्होंने दिया और उन्होंने उसे दूकानदारों से वसूल किया। तो ऐसी स्थिति में वे ब्लेक नहीं करेंगे तो करेंगे क्या ? ब्लैक करने के लिए आप ही प्रोत्साहित करते हैं। (व्यवधान) मान्यवर, मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं। फैजाबाद एक पूर्वी जिला है ।यहां पर चावल खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन दिसम्बर से बराबर चावल कम कर दियागया है। 240 टन से 168 टन कर दिया गया है। इसके बारे में मन्त्री जी से 3 बार हमने कहा है लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। गेहूं नहीं बढ़ाया गया, लेकिन चावल कम कर दिया गया, बिना यह सोचे कि यह पूर्वी क्षेत्र की जनता कैसे जिन्दा रहेगी। मैं पिछली बार मन्त्री जी से मिला, सीमेंट की कमी के बारे में उन्हें अवगत कर दिया। बड़े अफसोस की बात तो यह है कि वहां पर सीमेंट का कोई डम्प नहीं है। ए0 सी0 सी0 फैक्टरी तैयार है फैजाबाद में डम्प बनाने के लिए, उसने आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन मैं नहीं समझ सका कि विभाग उसे क्यों रोके पड़ा है। वहां पर वैगन्स और रैक्स नहीं मिलते हैं। सरकार ने कहा हम रोक देंगे। आपकी लैवी भी वसूल होगी आप किसानों को सीमेंट भी दीजिए। लेवी के लिए दीजिए, आप उसको डम्प खोलकर।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी होली में सड़ा मैदा वहां पर वितरित किया गया। लाल गेहूं जो दिया गया उसको खाकर लोग बीमार पड़े। विदेशी लाल गेहूं, रसिया वाला जो दिया जाता है, उससे हजारो आदमी बीमार पड़ते हैं, जिसकी यहां भी चर्चा हो चुकी है। अब एक चीज और कहकर मैं समाप्त करूंगा, एक खाद्य मन्त्री वह भी थे, जिन्होंने हिम्मत के साथ डिकन्ट्रोल किया था, सारी समस्याओं का एक सुन्दर हल ढूंढ़ा था। परिणाम उसका यह हुआ कि सारी आवश्यक वस्तुयें देश में उपलब्ध हो गई थीं। मैं मन्त्री जी का आह्वान करता हूं कि जैसे आपने डालडा फ्री किया और वह बाजार में खूब मिल रहा है, आप एक बार हिम्मत कीजिए और सारी आवश्यक वस्तुओं को डिकन्ट्रोल कर दीजिए, उन्हें बाजार में आने दीजिए। गेहूं खरीदने में बाजार में व्यापारियों के मध्य कम्पटीशन होने दीजिए, इससे बाजार में गेहूं के दाम गिर जायेंगे और आपको उसके लिए कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए डिकन्ट्रोल करें और इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के बजट पर बोलने के लिए जो अवसर दिया, उसके लिए आपका कृतज्ञ हूं। खाद्य मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। दुनियां की समस्त सरकारों की तरह से यह भी एक सरकार है और एक मनुष्यों की सरकार है। हम यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य में कुछ अच्छाइयां और कुछ

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमियां होती ही रहती हैं परन्तु मान्यवर, जब हम इस समस्या को लेते हैं और देखते हैं तो एकतरफा दृष्टिकोण ले लेते हैं, जो मैं समझता हूं कि किसी तरह ठीक नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि मैं रूलिंग पार्टी का आदमी हूं और जो कह रहा हूं, वह ठीक है। मैं इसको नहीं मानता, लेकिन यह मानता हूं कि यह सदन जो प्रदेश की 9 करो ड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उनके सदस्यों का बोलना बिलकुल न्यायपूर्ण होना चाहिये, बैलेंस्ड होना चाहिये। मैं मानता हूं कि खाद्य समस्याएं बड़ी कठिन हैं, लेकिन मालूम होना चाहिये कि मुल्क में 70 हजार बच्चे एक दिन में जन्म लेते हैं। इस संख्या को 60 हजार भी मान लें और प्रति आदमी पाव भर भी अनाज दें तो हमें एक साल में प्रति दिन 15 सौ क्वींटल अनाज राशन में जरूर देना चाहिये। तभी हम इस समस्या का अच्छे ढंग से समाधान कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा था कि आबादी की बढ़ती हुई इस दर को वह ध्यान में नहीं रख रहे हैं। माल्थस ने इंग्लैड वालों से कहा था कि बर्थ–कन्ट्रोल कर ले, नहीं करोंगे तो इंग्लैड समुद्र में डूब जाएगा। हमारे देश और प्रदेश की भी वही स्थिति है। अगर एक आदमी की आमदनी 800 रुपया है और एक की 400 रुपया है, एक के दो बच्चे हैं और एक के चार बच्चे हैं तो यहां भी अन्तर पड़ जाएगा। यहां बड़े छोटे वेतन का अतर अधिक बढ़ जाएगा, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने देश की आबादी को कन्ट्रोल करने के लिये भी हम लोगों को मिलकर कार्य करना चाहिये। यह यदि हम राष्ट्र हित में करेंगे तो हम राष्ट्र की, और राशन की समस्याओं का हल कर सकेंगे। हमारी सरकार बड़ी कठिनाई की स्थिति में है। अफ्रीकी कन्ट्रीज का एक देश सोमालिया में लाखों लोग मर गये। 1/3 जनता मर गई वहां की। मैं पूछना चाहता हूं अपने माननीय विरोधी पक्ष के भाइयों से, जहां आपकी पोलिटिकल ऐक्टीविटीज में ऐसे लोग को नहीं आना चाहिये, हमारे लोगों के बीच में उनको नहीं आना चाहिये, तो अगर हम गलत किस्म के लोगों को संरक्षण देते हैं और सरकार से चाहते हैं कि खाद्य समस्या सुधरे, तो मैं समझता हूं कि इसको कोई सुलझा नहीं सकेगा। हमारे पहाड़ों पर खाद्य समस्या की यद्यपि इस सरकार की ओर से काफी अच्छी व्यवस्था रही और सरकार ने कोशिश की कि दूरस्थ स्थानों में राशन जाय और दूर-दूर के लोगों को राशन मिले, इसके गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर माननीय मंत्री जी को समिति गठित कर देनी चाहिये। वह समिति सर्वदलीय समिति होनी चाहिये खाद्य समस्या को एक राजनीतिक समस्या के रूप में न देखें। उसमें सब लोगों का सहयोग हो ताकि कपड़े की दूकानों की, सस्ते गल्ले की दूकानों की वह देख-रेख कर सकें। इस तरह से मान्यवर, इस कमेटी के बन जाने पर खाद्य समस्या पर पूरी तरह से विचार हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट पर अधिक न बोलकर, इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, सरकार की कोई दाम नीति ही नहीं है। ऐसा लगता है कि यह सरकार गरीब लोगोंके,किसानों के, जो गांवों में रहते हैं, जो देश और प्रदेश में जो किसान इस सरकार की रीढ़ हैं, उसके मामले में एकदम उदासीन है और इस सरकार की कोई दाम नीति अब तक नहीं बन पाई है। स्वर्गीय डा0 राम मनोहर लोहिया ने और सोशलिस्ट पार्टी ने देश के सामने एक अपनी दाम–नीति रखी थी। कल-कारखानों में बने हुए सामानों के भावों के बारे में दाम नीति की बात की थी। सरकार ने अभी जो लेवी लागू किया है उस लेवी से श्रीमन्, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस सरकार ने जो फसल पैदा करने वाली क्षमता है, उन किसानों के ऊपर इस सरकार ने डकैती डाली है। जब किसान के घर में गन्ना पैदा होता है, गेहूं और चावल पैदा होता है तो सरकार सीधे-सीधे डकैती डालती है और उसकी गाढ़ी कमाई ले लेती है। मैं चाहता हूं कि पुन: दाम नीति पर विचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरि केवल]

करें। किसान ने जिन चीजों को पैदा किया है उनकी लागत को जोड़े और जोड़े कर तब दाम नीति को तय करें, जिससे किसान की खुशहाली हो। मिलों में जो सामान बनता है उसका दाम तय हो जाता है, लेकिन किसान के उत्पादन का दाम तय नहीं होता है। माननीय मत्री जी ने अपने भाषण में सस्ते दर पर मिट्टी का तेल कपड़ा सुलभ कराने की योजना बतायी है। मुझे महसूस हो रहा है कि मंत्री जी के कागज पर ही यह सब चीजें उपलब्ध हो रही हैं। हर जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोली गयी है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में मिसाल देना चाहता हूं कि भटनी कस्बा में सरकारी गल्ले की दुकान में गेहूं, चावल नहीं है। सलेमपुर एक स्थान है जहां पर 60 फीसदी लोग मजदूरी पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन वहां के गरीब लोगों को राशन के माध्यम से गल्ला नहीं दिया जाता है। जब हम कहतेहैं तो मंत्री जी कहती हैं कि विचार करूंगी। मुझे मालूम नहीं कि कब तक विचार करेंगी। इस तरह से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकाने कौन चलाता है। जितने प्रभावशाली लोग होते हैं, जो हिस्ट्रीशीटर हैं और जिनके नाम 110 में थे उन सारे लोगों के नाम सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान एलाट हो गयी है। लखनऊ से टेलीफोन चला जाता है और दुकान उनको मिल जाती है और जब दुकान मिल जाती है तो गल्ला बिहार और अन्य स्थानों में चोर बाजारी में जाने लगता है। मैंने दरख्वास्त भी दिया, गांव के समापतियों ने दिया, लेकिन मंत्री जी ने कोई कार्यवाही नहीं की। श्रीमन् मैं चाहता हूं कि अनिवार्य रूप से सारी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में 2–2 दुकाने खोली जाये। गांव और शहर का भेद समाप्त किया जाये। जहां पर सीमेंट का मामला है वहां पर तहसीलदार परमिट बांटता है। एक दुकानदार से मिल जाता है और उससे मिल कर वह सीमेंट की चोर बाजारी करता है। जिसकी पहुंच होती है उसको परमिट मिल जाता है। मैं चाहता हूं कायदे से रजिस्टर बनाये जायें। गोरखपुर के आर0 एफ0 सी0 साहेब हैं उन्होंने धान की लेवी किसानों से दुबारा वसल किया। उसकी शिकायत हुई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई देवरिया में 14 चीनी मिलें हैं। मेरठ से चीनी देवरिया आती है और वह बेच दी गयी। यह मामला सदन में आया। कोई कार्यवाही नहीं हुई। लखनऊ से टेलीफोन गया। मंत्री जी का दबाव पड़ा और जिला पूर्ति अधिकारी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई और जिस जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गई उसको फिर से बहाल करने की कार्यवाही की जा रही है। दुकानें 30–30 हजार रुपये लेकर दी जाती हैं। मंत्री जी के यहां पर पत्रावली मौजूद होगी उसे वे देखने की कृपा करें।

इसी प्रकार से लखनऊ के श्री आर0 पी0 साहू इन्सपेक्टर हैं, उनके ऊपर भी गम्भीर आरोप है, लेकिन उसके भी विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

हमारी खाद्य की नीति जो कुछ भी रही हो, किसान नीति कुछ अलग ही है। किसानों के लिये ऐसी परिस्थिति है कि वे अपने माल का स्वयं दाम भी नहीं रख सकते हैं। इस देश और प्रदेश में दो देवता है। जो उनके माल का दाम तय करते हैं। या तो पूंजीपति हैं या इस देश के आई0 ए0 एस0 क्योंकि ये ही लोग हैं जिन पर सरकारें चलती हैं। आप देखें जब 500 रुपया प्रति क्विन्टल सरसों का भाव था तब तो वह सेठों की खत्तियों में थी और जब वह किसान के घर में आई तो उसका दाम 150 रुपया प्रति क्विन्टल रह गया। आज भी जो भाव नीति निर्धारित होती है वह भी ये ही करते है। आई0 सी0 एस0 का बेटा आई0 ए0 एस0 और आई0 ए0 एस0 का बाप आई0 सी0 एस0 जिनका खेती से कोई

सम्बन्ध नहीं है जैसे बी० डी० टन्डन खाद्य आयुक्त लेकिन ये लोग ही हैं जिनकी राय मांगी जाती है दाम तय करने के लिये। डालडा के दाम जब तय होते हैं, तब कहा जाता है कि कास्ट औफ् प्रोडक्शन बढ़ गया है और जो डालडा का टिन 90 रुपये में मिला करता था उसका दाम 165 रुपया हो गया है लेकिन किसानों की कौस्ट औफ् प्रोडक्शन कितनी बढ़ी, इसके बारे में तनिक भी नहीं सोचा जाता है। पंतनगर युनिवर्सिटी ने भी कहा है कि गेहूं की पैदावार में 128 रुपया प्रति क्विन्टल खर्च हेतु उस से कम दाम नहीं रखा जाना चाहिये। किसान तो हमारा बेबस है। उसके बारे में या तो आप सदस्य महानुभाव सदन में रख सकते हैं या जो हमारे बुद्धिजीवी अ ई० ए० एस० सुझाव के हैं, वे ही सुझाव रख सकते हैं।

मान्यवर, जब मैं गांव में जाता हूं तो वे यही प्रश्न रखते हैं और उसको मैं सदन में रख रखा रह हूं। कास्ट औफ प्रोडक्शन बढ़ गया है तो जैसा कि विरोध पक्ष के किसी भाई ने कहा कि 128 रुपया प्रति क्विन्टल से अधिक होना चाहिये और हमारे कम्युनिस्ट भाई ने कहा कि इसका दाम कम से कम 125 रुपया प्रति क्विन्टल होना चाहिये। वे भी किसी हद तक सही हैं। जब मैं बस पर सफर करता हूं तो गांव वाले मुझ से कहते हैं कि आप उनकी बाब सदन में क्यों नहीं बोलते हैं. उनका यह भी कहन है कि अगर मैं यहां पर बोलूं तो सरकार उसे अवश्य माने लेकिन जब मैं बोलता हूं तो कोई सुनने वाला नहीं है। जो मैं यहां पर कह रहा हूं वह मेरी भाषा नहीं है बल्कि यह उस किसान की भावना है, जो रोज हम पर अगुंली उठाता है। आप इस प्रकार सोचिए कि पंजाब सरकार ने और हरियाना की सरकार ने 105 रुपया प्रति क्विन्टल के दाम को माना है लेकिन उसने बोनस देना स्वीकार किया। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी बोनस देने के लिये तैयार है ? डर इस बात का है कि कहीं ऐसा न हो कि मारा उत्पादन कम हो जाय। कहीं किसान न खेती से अलग हो जाय यह सोचकर कि इसमें तो खर्चा भी नहीं निकलेगा। प्रथम ग्रेट वार जर्मनी की मैंने एक किताब पढ़ी उसमें लिखा था कि तब जर्मनी में शकर नहीं होती थी। उस वक्त अंग्रेजों के राज्य में सूरज नहीं डूबता था। उ होंने शकर जर्मनी नहीं जाने दिया। नतीजा यह हुआ कि वहां के लोग आलसी हो गये अल्कोहल पीने लगे। लड़ाई के बाद जर्मन शासक ने यह चाहा कि हमारे देश में शकर पैदा हो और व के लोगों ने शुगर बीट दिया। आज तो शुगर बीट का ऊंचा स्तर है लेकिन उस वक्त नह था। मैं दे रहा हूं कि हमारे यहां खाने की कमी है। तो खाने को पैदा करने वाले को प्रोटेक्शन देना होगा। तभी उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन अगर बढ़ेगा तो भाव भी नीचे गिरेगा : आज जो भाव नीचे गिर रहा है वह सेठ की वजह से हो या किसी की वहज से हो। सेठ की खत्ती में जब चला जायगा तो यह भाव दूने, चौगुने हो जायगे और किसान को गल्ला किसी भावपर मिल नहीं सकेगा । इन सुझावों के साथ मैं माननीय खाद्य मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हू।

श्री फिरंगी प्रसाद वि ारद (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ब ा आभारी हूं कि आपने खाद्य बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये ख ा हुआ हूं। यह सरकार सोचती है कि विरोधी सरकार की नीतियों मे दखल देते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि किसान की जो लागत फसल पर लगती है उसको सही ढंग से आंका नहीं गया। सरकार मुट्ठी भ लोगों के निर्णय को स्वीकार करती है। जबतक सरकार जन प्रतिनिधियों और किसानों की तरफ से लोगों को लेकर फसल के दाम निर्धारित नहीं करेगी तबतक कोई समस्या हल नहीं हो सकती। जब जब देश पर विदेशियों ने आक्रमण किया है उस देश की जनता ने अपने बच्चों तक के वस्त्र उतार कर दे दिये हैं। तो क्या कारण है कि आज देश में यहीं के लोगों को खिलाने के लिये हम अनाज नहीं दे पाते। इसमें सरकार क गलत नीति स्पष्ट रूप से दिखायी देती है। हम विदेशों से तो ऊंची दर पर अनाज मंगाते हैं और यहां की

[श्री किरंगी प्रस द िशारद]

पैदा की हुई चीज को सस्ते दर पर देते हैं। यहीं पर बात आकर रुक जाती है। यह दोष लगाना कि विरोधी हमारा साथ नहीं देते हैं निराधार है।

आज सरकार गेहूं के अलावा धान पर भी लेवी लेती है। पूर्वी जिलों नें 35 से 50 तक और गोंडा में तो करीब 80 के आस पास लेवी लगायी है। धान की व ूली में भी यह सरकार सफल नहीं हुई। जबतक सरकार दाम नीति का निर्धारण सही ढंग से नहीं करेगी तबतक समस्या हल नहीं हो सकती। मान्यवर मिट्टी का तेल, सीमेंट वगैरह कंट्रोल की दुकानों से लेने की बात कही जाती है। बार-बार शासन को ध्यान दिलाया जाता है कि इन चीजों का सही ढंग से वितरण नहीं होता है। गोरखपुर में मुंडेरवा बाजार है। वहां सीमेंट की बोरियों की मिल की सिलाई तो कर के उसकी मात्रा में कमी कर के फिर से सिलाई करने के लिये आटोमैटिक मशीन लगी हुई ह। वह सीमेंट ब्लैक पर बेची जा रही हैं। गया पवारु नाम का बनिया, जिसके विषय में मैंने कई बार शिकायत की थी अब पक गया है। और पकड़ा कब गया है। जब सप्लाई डिपाटमेंट के आदमी के साथ उसका सौदा नहीं पटा तब उसको पक ड़ा है। हम लोगों की शिकायतों पर कोई अधिकारी ऐक्शन लेता ही नहीं है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में एक पूर्वा चल निगम बना। इसको ईंट की सप्लाई के लिये कुछ धन दिया गया। उसने कार्य में प्रगति नहीं दिखल यी। जितना भी कोयला उस निगम को दिया गया वह सारा ब्लैक में बिक गया। इस कारण जिस उद्देश्य से उस निगम को कोयला दिया गया वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। चौरी चौरा के पास देवरिया के एक पूंजीपति का भट्ठा चलता था। उस कोयले से उसका भट्ठा चला। सरकारी कोयले का दुरुपयोग हुआ।

राशन कार्ड के विषय में मैं बताना चाहता हूं कि आपके आदेशों के बावजूद बहुत से लोगों को अभी तक कार्ड वितरित नहीं हुये हैं। आज तक आपने इसका पता नहीं लगवाया कि कितने लोगों को कार्ड नहीं मिले हैं। यहां आप कह देते हैं हम संतुष्ट हो जाते हैं, वहां जनता हमसे पूछती है, हम कोई जवाब नहीं दे पाते।

बाट और मेजरमेंट का जो विभाग है उसमें भी ब ा घोटाला है। गोरखपुर एक ऐसा स्थान है जहां इस विभाग की आंख खुली ही नहीं है। किसान के गल्ले की खुले आम लूट होती रहती है।

मिश्रण की ओर भी सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैंने एक प्रश्न भी पूछा था कि क्या कोई सचल दल जांच के लिये बनाया गया है। मंत्री जी ने बताया था कि नैनीताल में है। मैंने कहा था कि मैदानी इलाकों में भी यह होना चाहिये ताकि ब े ब े शहरों में भी वह सामान का नमूना लिया करे। आज चावल तथा दालों आदि में इस प्रकार की मिलावट होती है कि पता ही नहीं चल पाता। वह चीज जो मिली रहती है स्वास्थ्य के लिये ब ी हानिकारक होती है। इस ओर सरकार ध्यान दे।

गोरखपुर में डी0 एस0 ओ0 आफिस में ऐसी बदनीयती है कि उनको तरफ से ही जिसकी दुकान चाहते हैं सस्पेंड करते हैं, जिसको नहीं चाहते नहीं करते। चित भी उनकी रहती है और पट भी उनकी रहती है। जब उनकी नीयत साफ रहती है तब तो काम ठीक हो ा है, वरना सब गलत काम चला करता है। शिक यत करने पर जो आदमी शिकायत करता है उसको न बुलाकर, उससे पूछताछ न करके, अन्य गलत आदमियों को बुला कर कुछ लिखा कर शिकायत को समाप्त कर दिया जाता है। अंत में मैं कटौती के प्रस्ता का समर्थन करता हूं।

*श्री नारायण हरि शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लये समय दिया। पिछले वर्षों में जिस प्रकार के खाद्य संकट के समय में मंत्री महोदय ने जिस प्रकार उसका मुकाबला किया और अपने विभाग को जिस तरह से सुचारू रूप से चलाया तथा चुनौतियों का सामना किया उसके लिये वे प्रशंसा की पात्र हैं और उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। जो आज उन्होंने खाद्य नीति अपनायी है प्रदेश के अन्दर वह एक बहुत ही अच्छा कदम है। आपकी गलत नीति से किसानों के सामने जो एक अनिश्चित स्थिति रही इससे प्रदेश में असन्तोष व्याप्त था लेकिन अब आपने अपनी उस नीति को कार्यान्वित करने के लिये जो कदम उठाया है उसका मैं स्वागत करता हूं। जो किसानों के ऊपर लेवी है यह सिद्धान्ततः सब को मंजूर है। खाद्य समस्या को हल करने के लिये और कोई भी विकल्प नहीं है सिवा इसके जो कि खाद्य मंत्री जी ने कदम उठाया है। इससे सब को सन्तोष है। किसान अगर असन्तुष्ट हैं तो वह आपके भाव के ऊपर। हमारी खाद्य मंत्री जी इस भाव को मानने के लिये बाध्य हैं, मजबूर और असमर्थ हैं क्योंकि भाव तो केन्द्र की रकार तय करती है। केन्द्र द्वारा ही सारे प्रदेश के लिये भाव तय हुआ। फिर इस सम्बन्ध में खाद्य मंत्री जी क्या कर सकती हैं। 105 रुपये क्विन्टल भाव का निर्धारण हुआ और 28 रुपये प्रति क्विन्टल खर्चा जो एफ0 सी0 आई0 करता है उसको देकर इस तरह से 133 रुपये प्रति क्विन्टल पभोक्ता को दिया जायेगा। यह किसी भी हालत में व्यावहारिक नहीं है। यह अगर किसी और एजेंसी से खरीदा जाय या आपका विभाग स्वयं खरीदे तो मेरा विश्वास है कि 15 रुपये प्रति क्विन्टल से अधिक खर्चा नहीं आयेगा। इसी तरह से माननीय मंत्री जी ने जो एक हजार रुपये से अधिक आमदनी वाले कर्मचारियों को जो इस वसूलयाबी से निकाल दिया है कि इससे उनको गेहूं नहीं मिलेगा, आपके इस कदम के लिये मैं आपका स्वागत करता हूं। यह जो 28 रुपया प्रति क्विन्टल खर्चा खरीद पर आता है इसके लिये आपको एफ0 सी0 आई0 को नोटिस देना चाहिये कि 16 या 20 रुपये प्रति क्विन्टल से ज्यादा खर्चा नहीं दिया जा सकता और शेष पैसा काश्तकारों को दे देंगे तो काश्तकार भी सन्तुष्ट हो जायेंगें और जिस तरह से हमारी खाद्य नीति निर्धारित हुई है, इससे सोने में सुगन्ध हो जायेगा। मैं इस सुझाव के अनुसार जब तक खाद्य मंत्री जी इस कदम को नहीं उठातीं कि खरीद का खर्च 28 रुपये प्रति क्विन्टल बचाया जा सके तब तक प्रदेश की खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती। एक हजार रुपये से ऊपर की आमदनी वाले लोंगों का जो राशन कार्ड आपने बन्द किया है, उनके वितरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। अच्छा होता कि उससे कम आमदनी वालों के लिये तभी आप सोच सकते। लेकिन जो कुछ भी आपने तय किया है, मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात है लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री से कहन चाहता हूं कि किसानों द्वारा उपार्जित गेहूं के सिलसिले में जो खाद्य कमेटियां हैं उनको हिदायत देनी चाहिये कि चाहे जिले के स्तर पर हों, चाहे प्रदेश के स्तर पर हों, उनको सक्रिय कर देना चाहिये। आज जो आपकी कमेटियां हैं वे निष्क्रिय हैं। आपके विभाग ने ऐसे ऐसे आदमियों को नामिनेट कर दिया है और उन कमेटियों में बैठा दिया है जो कुछ भी नहीं कर पाते। इस काम को अच्छे आदमियों की एक कमेटी की सुपुर्द दिया जाय और उन कमेटियों को निर्देश होना चाहिये कि वे उन पर उचित कार्यवाही करें जिससे खाद्य स्थिति सुलझ सके।

अन्त में मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीनी का वितरण देहातों में हो रहा है उसमें पूरा ब्लैक हो रहा है। मैं चाहता हूं कि रूरल एरिया में जितनी चीनी जा रही है उसको कतई बन्द कर दिया जाय क्योंकि वह सारी की सारी चीनी उन दलालों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण हरि शर्मा]

की जेबों में जा रही है, किसी उपभोक्ता को नहीं मिल रही है। आपके जितने अधिकारी हैं वे उनसे मिले हुए हैं। इसलिये आपको चाहिये कि देहाती क्षेत्र की चीनी बन्द कर दी जाय और जब उनके यहां शादी विवाह या और कोई सामाजिक कर्त्तव्य हो तब अवश्य उनको चीनी दी जाय और 500–500 ग्राम, 250 ग्राम चीनी कार्ड पर दी जाती है तो इस प्रकार का वितरण ठीक नहीं है। इसको बंद कर दिया जाय जिससे भ्रष्टाचार रुकेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बजट का भारी समर्थन करता हूं।

श्री गया रे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार कितना अन्याय करती है, कितनी बे इंसाफी करती है इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब विधायक कोई चीज, कोई सूचना दे भी देता है तो सरकार उस पर कार्यवाही नहीं करती है। इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं मर्रे आफिस कानपुर में श्री राजकुमार गुप्त की तरफ, उनको एरियर्स दिखाकर जालसाजी से टर्मिनेट कर दिया गया और उसकी जगह एक रिश्तेदार की नियुक्ति की गयी। इस बात को मैंने चीफ मार्केटिंग आफीसर के कान में डाली उन तक पहुंचायी। हमको ऐश्योर किया गया कि ज्यादती हुयी है तो पुनः रखा जायगा। लेकिन इसके बाद मैंने कई बार पहल की कि इसके साथ अन्याय हुआ है, राजकुमार गुप्त के साथ, तो कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अंत में उसने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है।

इसके साथ साथ, मैंने अखबारों में पढ़ा कि जलयानों की डकैती हो गयी। तो जलयान की कीमत 10–20–50 करो रुपये हो सकती है लेकिन इस हिन्दुस्तान में 105 रुपये गेहूं का मूल्य रखा गया है इस तरह किसानों के ऊपर अरबों रुपये की कानूनी डकैती डाली गयी है। सिवाय इस देश के कहीं पर भी ऐसा अन्याय नहीं हुआ है। तो 105 रुपये मूल्य रखकर कानूनी डकैती डाली गयी है। मैं इस भावना से कतई इन्कार नहीं करता कि सरकार कमजोर वर्ग को सस्ता गल्ला खिलाना चाहती है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो किसान से 105 रुपये पर खरीदा जा रहा है तो किसानों को जो फैक्टरी गुड्स खरीदना पड़ता है उनकी कीमत भी इसी अनुपात से रखी जाय। इस तरह से चाहे किसान का गेहूं 50 रुपये पर खरीदा जाय तो हमें एतराज नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी वस्तुओं की कीमतों को भी ध्यान में रखना चाहिये। गेहूं का मूल्य इतना सस्ता रखा गया है और जो किसान को दूसरी वस्तुयें खरीदनी पड़ती है उनके मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है। इसलिये इस सिलसिले में किसानों के साथ अन्याय हुआ है। इसलिये अगले समय में किसान कभी भी इस सरकार को माफ नहीं कर सकता

इसके साथ साथ दूकानों पर जब लेवी का गेहूं किसान लाता है तो वहां पर झगड़ा होता है। अगर किसानों के गेहूं में जरा सा भी कूड़ा होता है तो नहीं लिया जाता है। घटिया कूड़ा चाला गेहूं होता है तो छान लिया जाता है। कूड़ा बताया जाता है। गोदामों में गेहूं में कूड़ा मिला दिया जाता है ताकि गैर कानूनी फायदा उठाया जा सके। इसके साथ ही साथ मंत्री जी से मैंने इटावा के बारे में कहा था। वहां साढ़े 3 छटांक चीनी प्रति कार्ड पर बांटी जाती है। उचित ढंग से बांटने का कोई प्रबंध आजतक नहीं किया गया। मैं बाहर गया जनता की राय जानने के लिये कि वितरण कैसे होता है। या कैसे होना चाहिये। जब मैं देहात में गया और इसके बारे में पूछा तो उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह से चीनी हमको नहीं मिल सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि जितने त्योहार जैसे होली दीवाली, दशहरा, मोहर्रम उन पर 2–3–4 किलो चीनी दी जानी चाहिये। और यह थोड़ी थोड़ी चीनी मत बांटिये, माहवारी मत बांटिये। क्योंकि थोड़ी चीनी नहीं उठाता है और न जनता थोड़ी चीनी लेने जाती है। इसलिये चीनी का वितरण त्योहारों पर होना चाहिये। 2–3 किलो चीनी जो दी जा सकती है उनको त्योहारों पर देनी चाहिये।

इसी के साथ मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। दोहरा बिक्री कर लगाया गया है धान और चावल पर। अरहर पर लगाया गया है, अरहर की दाल पर लगाया गया है। तो इस तरह से दोहरा बिक्री कर लगाना उचित नहीं है। इसी के साथ साथ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आलू का भाव कितना सस्ता है। कोल्ड स्टारेज वाले जो आलू उनके यहां रखते हैं उनसे बहुत ही चार्ज करते हैं। इसलिये जो कोल्ड स्टोरेज निर्धारित रेट से अधिक चार्ज कर रहे हैं उन सभी के लाइसेन्स सस्पेन्ड करना चाहिये अन्यथा जो सरकारी मूल्य है उस पर उनको रखना चाहिये।

मान्यवर, गन्ने का मूल्य केवल 15 रुपये प्रति क्विन्टल रखा है और लकड़ी 20 रुपये प्रति क्विन्टल है जिसकी लागत कुछ नहीं है। गन्ने से शकर निकलती है गन्ने में लागत लगती है उसको 15 रुपये में। इसलिये गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं 15 मिनट का समय बढ़ाता हूं।

*श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका विशेष आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, मंत्री जी ने यह कहा कि गेहूं का मूल्य इसलिये निश्चित कर लिया है क्योंकि पैदावार अधिक हो गयी है और कीमतों के गिर जाने का भय उत्पन्न हो गया है। तो गेहूं के अलावा एक और भयंकर ऋाप हुई है आलू की और उसके भाव गिरते जा रहे हैं। तो उसके भाव को निश्चित करने के लिये सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आलू के बारे में रख-रखाव की बात करके समस्या को सुलझाने के लिये कृषि मंत्री जी को दे दिया। लेकिन खाद्य मंत्री ने इस संबंध में न तो कोई आदेश जारी किया और न कोई मूल्य निश्चित किया। इसलिये यह कहना चूंकि फसल ज्यादा हुई है इसलिये दाम निश्चित कर दिया और भाव नीचे न गिरने पावें तो यह चीज हास्यास्पद है।

मान्यवर, दूसरी बात देहात में रहने वालों को राशन की कोई व्यवस्था नहीं है। जो अब सरप्लस गल्ला हो रहा है उसको लेवी में ले रहे हैं। देहात के 72 फीसदी खेतिहर मजदूर या छोटे खेती वाले हैं जिनको अनाज खरीदना पड़ता है। तो वह जब खरीदने जायेंगे, तो उस वक्त गेहूं का क्या रेट होगा यह किसी से छिपा नहीं है। पिछले साल 105 रुपये पर लिया और वह बाद में बढ़कर 200 रुपये से 240 रुपये तक बिका तो उस समय सरकार ने उनसे बात नहीं किया। जो पैदा करें वह 105 रुपये में न पावें। तो मंत्री जी आप देश के हित में सोचें और अधिकतम क्या मूल्य हो उसका निर्धारण करें। इसलिये 105 रुपये में तो आप ले लें और फिर तय करें कि 125 रुपये से अधिक में कोई नहीं बेचेगा, और यदि कोई इससे अधिक में बेचते पकड़ा जायेगा तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन जब किसान के घर गेहूं हो गया तो आपने होव्वा खड़ा किया कि उसको कीमत देने के लिये उसके पक्ष में व्यापारी बैठा है जो स्टाक में गेहूं रोक लेता है और फिर डयोढ़े या दुगुने मूल्य पर बेचता है। लेकिन उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिये नेकनीयती से यदि कमजोर वर्ग को सहायता देनी है तो उसमें अधिकतम मूल्य आपको डिक्लेयर्ड करना चाहिये। यदि आप यह नहीं करते हैं तो यह किसान सोचने के लिये तैयार है और मजबूर है और आप उसे मजबूर किये दे रही हैं कि आप किसान को ही उस मूल्य दिलाने को व्यवस्था किये हुये हैं और उसके बाद गरीबों को खिलाने और सस्ते पर दिलाने की व्यवस्था नहीं किये हुये हैं।

सीमेंट के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि 50 प्रतिशत सीमेंट आपने फ्री कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि अब वह फ्री के नाम पर पूरा का पूरा ब्लैक कर रहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

है। अभी मुझे बताया गया है कि आपने यह आदेश वापिस ले लिया, इसके लिये धन्यवाद।

जहां तक चीनी का प्रश्न अभी जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि त्यौहार और शादी के अवसर पर चीनी दी जाय देहातों में, और बाकी चीनी बन्द कर दी जाय, मैं इस सुझाव से सहमत हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने यह जीविका का साधन बना रखा है कि वह ब्लैक में चीनी बेचते हैं और रोजी कमाते हैं। आपने कहा कि सभापति को यह अधिकार दे दिया जाय, तो मुझे यह कहना है कि 5 10 किलोग्राम चीनी बंधी हुई है और जो भी आदमी जाता है जांच-पड़ताल करने के लिये यह सभापति लोग लिखकर देते हैं कि कोई शिकायत नहीं है। आपने यह भी निर्णय लिया था कि जितने भी रसद समिति के सदस्य हैं उनको यह अधिकार दिया जायगा कि वह जिले में जाकर गड़बड़ियों को देखें और आपको बतायें, लेकिन बड़े खेद की बात है कि वह आर्डर आज तक भेजे नहीं गये और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो अधिकारी हैं जानबूझकर नहीं भेज रहे क्योंकि वह डरते हैं कि उन सारी चीजों को, जिनमें कि लूप होल है, जानकारी आपको हो जायेगी कि किस तरह से बेईमानी हो रही है, आप तक पहुंच जायेगी। अतः इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूं कि अभी तक रसद समिति के सदस्यों को अधिकार नहीं दिये गये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत आठ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। माननीय ऊदल, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह ने प्रदेश में शादियों के लिये चीनी का कोटा निर्धारित न किये जाने से उत्पन्न संकट के बारे में लिखा है। यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है। मुझे सूचना मिली है कि काउंसिल हाउस के सामने गिरफ्तारी हुई है.....

श्री अध्यक्ष—

बिना सूचना के कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री मधुकर दिघे ने प्रदेश के 5 हजार होम्योपैथिक छात्रों के जीवन के साथ तथाकथित शासन द्वारा खिलवाड़ किये जाने से उत्पन्न संकट के बारे में नोटिस दिया है। यह वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने जौनपुर में बिजली की अनियमित सप्लाई से उत्पन्न संकट के बारे में सूचना दी है। यह आवश्यक कार्यवाही के लिये शासन को भेज दिया गया है। शेष में अल्प सूचित प्रश्न कर लें।

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

अध्यक्ष जी, आपने श्री ऊदल द्वारा दी गई नियम 51 की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। कल मैं जब जवाब सदन में दूंगी तो उस में मैं सारी स्थिति के बारे में बता दूंगी।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपकी ओर से कल जवाब आ जायेगा तो यह स्वतः अपने आप खतम हो जायेगा।

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

मान्यवर, सदन का समय 15 मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय?

श्री अध्यक्ष—

वह पहले ही बढ़ा दिया गया है।

मेसर्स सीतापुर प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड में हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

मैसर्स सीतापुर प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, सीतापुर एक है जिसमें मुख्यतः लकड़ी के फलश डोर्स बनाये जाते हैं। उभय पक्षों में दिनांक 5 जून, 1974 को हुये समझौते के अनुसार श्रमिकों का वेतन 3.50 पैसे प्रतिदिन से बढ़ाकर 5.00 रुपया प्रतिदिन कर दिया गया।

सेवायोजकों नें दिनांक 5 मार्च, 1975 को नोटिस द्वारा यह सूचित किया कि फलश डोर्स के आर्डर्स की स्थिति में कोई सुधार हीं हुआ है अतः वे 34 श्रमिकों को दिनांक 5 अप्रैल, 1975 से छटनी कर देंगे और सम्बन्धित श्रमिक अपनी क्षतिपूर्ति आदि का भुगतान प्रतिष्ठान से ले लें। प्रबन्धकों ने इस सूचना की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6, एन(3) के अनुसार भेजी है। सेवायोजकों का यह कथन है कि उनके पास आर्डर्स की कमी है।

सेवायोजकों द्वारा छटनी का नोटिस लगाये जाने के उपरान्त श्रमिकों ने उसी तिथि अर्थात् 5 मार्च, 1975 को 2 बजे से हड़ताल आरम्भ कर दी। श्रम विभाग के अधिकारी तथा जिलाधिकारी, सीतापुर, ने गतिरोध को दूर करने के लिये उभय पक्षों से समय समय पर वार्ता की, परन्तु कोई हल नहीं निकल सका क्योंकि श्रमिक पक्ष का कहना है कि श्रमिकों को छटनी का नोटिस वापस लिये बिना प्रतिष्ठान में कार्य आरम्भ किया जाना सम्भव नहीं है। दिनांक 11 मार्च 1975 को हड़ताली श्रमिकों ने कोयले से लदे ट्रकों को कारखाने के अन्दर जाने से रोका। जिलाधिकारियों के हस्तक्षेप से किसी प्रकार कोयला उतरवाया जा सका। प्रबन्धक दिनांक 14 मार्च, 1975 को पूर्वान्ह में कुछ माल फैक्ट्री के बाहर भेजना चाहते थे किन्तु श्रमिकों ने माल बाहर नहीं जाने दिया और जो ट्रक माल लादने आये थे वापस कर दिये गये।

क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त ने दिनांक 3 अप्रैल, 1975, 8 अप्रैल, 1975 तथा 9 अप्रैल, 1975 को पुनः वार्त्ता की। श्रमिक पक्ष ने सूचित किया कि 34 श्रमिकों को काम पर लिये बिना हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। सेवायोजक इसके लिये बिल्कुल तैयार नहीं हैं और गतिरोध बना हुआ है। सेवायोजकों ने छटनी के अपने पूर्व आदेश को दिनांक 30 अप्रैल, 1975 तक स्थगित करना स्वीकार किया है जैसा उन्हें सुझाव दिया गया था। किन्तु श्रमिकों ने नहीं माना। गतिरोध को दूर करने के लिये समझौता प्रयास जारी हैं।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, यह प्लाईवुड सीतापुर एशिया की सबसे बड़ी फैक्टरी है और इसके मालिक मि0 विटिल और मि0 थामसन है। आज 27 वर्षों के बाद भी डेली बेसिस पर साढ़े तीन रुपया मजदूरी लोग पाते थे। अब मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि पांच रुपये कर दिया गया। लेकिन इसी सन्दर्भ में मैं यह भी बताना चाहूंगा क्योंकि यह स्टेटमेंट एक तरफा है कि इस फैक्टरी में होली, दीवाली, ईद, बकरीद कोई छुट्टी नहीं दी जाती। पांच रुपया बढ़ाने के बाद क्या क्या किया गया इसका इसमें कोई तजकिरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

प्रश्न ही कर रहा हूं। क्या मंत्री जी को जानकारी है कि 5 जून, से लेकर दिसम्बर, 1974 तक इस फैक्टरी के मालिकों ने पांच रुपये की मांग को खत्म करने के लिये 789 मजदूरों को निकाल बाहर किया ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मेरे पास इतने आंकड़े तो नहीं है कि 789 मजदूरों को निकाला लेकिन कुछ छटनी जरूर की गयी है क्योंकि उनके पास आर्डर्स नहीं थे। मैंने स्वतः दोनों पक्षों से बात की और

[श्री राजमंगल पांडे]

उन्होंने माना कि आर्डर्स की कमी हो रही है। जैसा कि मालूम है कि पी0 डब्लू0 डी0, इर्रीगेशन और दूसरे सरकारी विभागों में कार्य बंद है और इसलिये आर्डर्स की कमी वहां हुई है। उनका कहना था कि इसीलिए कुछ छटनी करनी पड़ी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

स्टेटमेंट का आखिरी पोर्शन है कि दिनांक 3 अप्रैल, 1975, 8 अप्रैल, 1975 तथा 9 अप्रैल, 1975 क पुनः वार्ता की जो मंत्री जी के स्टेटमेंट का अखिरी पोर्शन है उसके संबंध में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 35 मजदूरों को छटनी की नोटिस दी गई है क्या उनको काम पर रोकवा देंगे? और जो बीच के पीरियड की तनख्वाह आदि है उस पर भी कुछ विचार करेंगे? ताकि उनकी ह ताल खत्म हो जाय?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, जो वर्कर्स का ऐटीट्यूड था वह गलत था जिसकी वजह से अधिकारीगण चिन्तित थे और हम भी चिन्ति रहे, तथा 144 दफा लगाई गई लेकिन अब संत सिंह यूसुफ जी ने आश्वासन दिया है कि वर्कर्स के वर्ताव में परिवर्तन आयेगा, तो अभी प्रयास किया जायगा कि समाधान का कोई रास्ता निकाला जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, सन् 74 के पहले कितने आर्डर्स मिलते थे और उसके बाद जब छंटनी शुरू की तो आर्डर्स में कितनी कमी आई?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, इसमें परसेंटेज तो नहीं बता सकते इम्प्लायर्स और इम्प्लायी से जब बात की तो पता चला कि आर्डर्स में कुछ कमी आई है।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या मंत्री जी को पता है कि जब से 5 रुपये तनख्वाह दिये जाने के बारे में तय हुआ तब से हफ्ते में तीन दिन कारखाना बंद कर दिया जाता है?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, इसकी जानकारी हमको नहीं है। पहली बार जानकारी मुझको मिल रही है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
14 अप्रैल, 1975।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1088 पर।)

क्रमांक	शिकायतकर्ता
1	सर्वश्री बी0 एस0 वर्मा, सकौती; गंगा राम, टांडा; रामचन्द्र; टाण्डा, कृषक गणक्षेत्र सकौती, टाण्डा।
2	श्री जमादार सिंह, भूतपूर्व एम0 एल0 ए0।
3	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, सुभाष नगर, मेरठ।
4	श्री पी0 एस0 कोहली, ग्राम गडोना, कृषको की ओर से।
5	श्री मुख्तयार सिंह, ठेकेदार।
6	श्री श्याम सिंह, सभापति, सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, सकौती, टाण्डा।
7	सर्वश्री दयाराम राना, दादरी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1091 पर।)

वाराणसी की याय पचायत क्षेत्रों में आवंटित अनाज की मात्रा का माहवार विवरण

क्रम० सं०	तहसील	नाम न्याय पंचायत	सूखे से प्रभावित एवं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में वितरित किए गए मोटा अनाज की मात्रा (कुन्टल में)			
			नवम्बर 1974	दिसम्बर 1974	जनवरी 1975	फरवरी 1975
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी	रजबाडी	..	..	114	..
2	,,	चौंबेपुर	..	..	48	..
3	,,	शिवदासपुर	..	..	55	..
4	,,	खुलाशपुर	..	..	19	..
5	,,	म वानपुर	..	..	10	..
6	,,	खेवली	..	..	15	..
7	,,	ठठरा	..	..	39	..
8	,,	वाराडीह	..	..	56	..
9	,,	बरेमा	..	..	33	..
10	,,	बरकी	..	..	80	..
11	,,	रौसीपुर	..	..	19	..
12	,,	जगद शपुर	..	..	30	..
13	,,	अजगरा	..	..	17	..
14	,,	घरहरा	..	..	20	..
15	,,	नियारडीह	..	..	15	..
16	,,	रौनाजला	..	..	..	17
17	,,	सुल्तानीपुर	..	..	12	..
18	,,	लखनपुर	..	..	24	..
19	,,	मुस्तफाबाद	..	..	54	..
20	,,	छितौला	..	..	64	..
21	,,	पर्वतपुर	..	..	24	24
22	,,	गोवरहा	..	..	..	27
23	,,	लेदूपुर	..	..	39	39
24	,,	नरायणपुर	..	..	25	25
25	,,	बरदराकला	..	..	24	23
26	,,	गोपपुर	..	..	12	..
27	,,	लेडवाई	..	..	21	..
28	,,	हाथी	..	..	43	..
29	,,	देंईपुर	..	..	50	..
30	,,	गोसाईंपुर	..	..	16	..

1	2	3	4	5	6	7
31	वाराणसी	दादपुर	..	..	23	23
32	,,	मुर्दल	..	..	31	..
33	,,	समईपुर	..	..	35	35
34	,,	हरदुआ	..	..	37	..
35	,,	सथवा	..	..	29	..
36	,,	कठिराव	..	..	16	..
37	,,	कूड़ा	..	..	67	70
38	,,	खरावन	..	..	50	25
39	,,	ताड्डी	..	..	31	..
40	,,	दानपूर	..	..	23	..
41	,,	बड़ागांव	..	..	56	26
42	,,	बसनी	..	..	20	..
43	,,	विरावकोट	..	..	34	66
44	,,	अनेई	..	..	30	36
45	,,	औरांव	..	..	1	..
46	,,	भडसरा	..	..	25	..
47	,,	पिन्डा	..	..	388	96
48	,,	फूलपुर	..	..	238	..
49	,,	मानपुर	..	..	..	46
50	,,	रसूलपुर	..	..	40	..
51	,,	सिन्थौरा	..	..	94	..
52	,,	अभउत	..	..	46	14
53	,,	अहरख	..	..	24	84
54	,,	चोलापुर	..	..	..	19
55	,,	चौबेपुर	..	..	26	..
56	,,	चांदपुर	..	..	50	50
57	,,	हरथराहुआ	..	..	..	28
58	,,	सतारपुर	..	..	54	..
59	,,	छितौमी	..	..	27	..
1	ज्ञानपुर	भिदंवड़ागांव	..	..	..	36
2	,,	डिपवट	..	..	..	49
1	चंदौली	मढ़पुर	..	..	32	..
2	,,	लक्ष्मणगढ़	..	..	16	38
3	,,	मलोघर	..	..	..	35
4	,,	मंरछा	..	..	15	..
5	,,	फरसंडमोहनपुर	..	..	14	..
6	,,	मचोहर	..	..	21	17
7	,,	विदिलपुर	..	..	47	36
8	,,	छपरी	..	..	28	52
9	,,	जेनरियाबाद	..	..	13	..
10	,,	रामगढ़	..	..	19	..

1	2	3	4	5	6	7
11	चंदैली	घोसवा	..	..	8	..
12	,,	खुशहुआ	..	..	25	25
13	,,	एवनी	..	..	43	23
14	,,	वरहनी	..	..	..	17
15	,,	सटान	..	..	44	..
16	,,	चकिया बिहारी मिश्र	..	..	7	7
17	,,	लीलापुर	..	..	33	24
18	,,	अलीनगर	..	..	29	20
19	,,	बंगही कुम्भापुर	..	..	33	53
20	,,	मारुकपुर	..	..	30	29
21	,,	कुम्हरिया	..	..	..	23
22	,,	अंरगी	..	..	14	..
23	,,	घूसरवाल	..	..	27	17
24	,,	हिंगुतर	..	..	28	17
25	,,	मोहम्मदपुर	..	..	73	68
26	,,	जूड़ा हरधन	..	..	54	46
27	,,	गोरारी	..	..	36	22
28	,,	फुटिया	..	..	14	..
29	,,	दुलहीपुर	..	..	..	16
30	,,	छित्तम पुर	..	..	86	47
31	,,	व्यासपुर	..	..	..	20
32	,,	बसिला	..	..	17	..
33	,,	खगवल	..	..	18	..
34	,,	प्रेमाजपुरी	..	..	7	..
35	,,	हेतमपुर	..	..	13	..
1	चकिया	इलिया	..	..	40	..
2	,,	खरीद	..	..	67	..
3	,,	खज ा	..	..	..	44
4	,,	गायघाट	..	..	20	..
5	,,	शिकारगंज	..	..	90	20
6	,,	भभौरा	..	..	50	..
7	,,	भटवा ीखुर्द	..	..	30	..
8	,,	नौगढ़	..	..	30	..
9	,,	अमदहा चरणपुर	..	..	39	..
10	,,	मवैया	..	..	30	..
योग			..	..	3,786 कुन्टल	1,522 कुन्टल

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1093 पर)

तहसील फरेन्दा में दी गयी जी० पी० शीट की परमिट की सूची

क्रम सं०	व्यक्तियों के नाम		ग्राम का नाम
1	श्री लहुरी	..	विशुनपुर
2	श्री छोटे लाल	..	विशुनपुर
3	श्री पन्ना लाल	..	पचसखी
4	श्री जगदीश प्रसाद	..	पचसखी
5	श्री शंकर	..	विशुनपुर
6	श्री लाल मोहा	..	गायघाट
7	श्री घुरहू	..	पचसखी
8	श्री शिव नाथ	..	सुहिला
9	श्री राजेन्द्र पाण्डेय	..	मुसाबर
10	श्री झांवर चौधरी	..	साहेबगंज, पी० पी० गंज
11	श्री राम देव	..	मुसाबर
12	श्री दीप नारायण पाण्डेय	..	मथुरा नगर
13	श्री इन्द्रीश	..	जगन शाहपुर
14	श्री भोला	..	जगन शाहपुर

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1094 पर)

जनपद मिर्जापुर में पिछले पांच वर्षों में (जनवरी 1970 से अब तक) आर्थिक सहायता का विवरण

इकाई का नाम	उद्योग का नाम	मद	दी गई आर्थिक सहायता ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5
1—तेलघानी उद्योग सहकारी समिति लि0, सुन्दरघाट।	ग्रामीण तेल	कार्यशील	4,000	..
2—तेलघानी उद्योग सहकारी समिति लि0, सन्डवा।	ग्रामीण तेल	कार्यशील संग्रह	2,000 2,000	..
3—तेलघानी उद्योग सहकारी समिति लि0, पचराव।	ग्रामीण तेल	कार्यशील	4,000	..
4—तेलघानी उद्योग सहकारी समिति लि0, परमानपुर।	ग्रामीण तेल	,,	5,000	..
5—धान कुटाई उद्योग सहकारी समिति अनाज-दाल लि0, रानीतारा।		कार्यशील संग्रह शेड डा0 यार्ड उपकरण	2,000 4,000 1,500 1,500 1,000	.. .. 1,500 1,500 ..
6—धान कुटाई उद्योग सहकारी समिति अनाज-दाल लि0, बचौड़ा।		डा0 यार्ड	1,500	1,500
7—चर्म कला उद्योग सहकारी समिति चर्म उद्योग लि0, वेलखरा।		कार्यशील	5,000	..
8—चर्म कला उद्योग सहकारी समिति चर्म उद्योग लि0, इन्दरपुर।		कार्यशील कार्यशील	5,000 5,000	.. ..
9—चर्म कला उद्योग सहकारी समिति चर्म उद्योग लि0, रावर्ट्सगंज।		कार्यशील हिस्सा-पूंजी कार्यशील	5,000 885 4,000	.. ..
10—चर्म कला उद्योग सहकारी समिति चर्म उद्योग लि0, डूमन्डगंज।		कार्यशील कार्यशील	5,000 5,000	.. ..
11—चर्म कला उद्योग सहकारी समिति चर्म उद्योग लि0, बगहां।		कार्यशील भवन हिस्सा पूंजी	5,000 7,500 1,860	.. 7,500
12—चर्म कला उद्योग सहकारी समिति चर्म उद्योग लि0 सुन्दरी।		कार्यशील हिस्सा पूंजी	4,000 2,187 50	.. ..

1	2	3	4	5
13—चर्म कला उद्योग सहकारी समिति लि0 कोलना।	चर्म उद्योग	कार्यशील हिस्सा पूंजी	5,000 1,040	.. ..
14 चर्म उद्योग सहकारी समिति लि0 विसरेखी।	चर्म उद्योग	कार्यशील पिट्स	2,800 ..	.. 1,008
15—काष्ठ कला उद्योग सहकारी समिति लि0, रावर्ट्सगंज।	काष्ठ कला	कार्यशील गृह इकाई	5,000 1,500	.. 2,100
16—काष्ठ कला उद्योग सहकारी समिति लि0 दुद्धी।	काष्ठ कला	कार्यशील गृह इकाई हिस्सा पूंजी	3,000 1250 750	.. 1,750 ..
17—काष्ठ कला उद्योग सहकारी समिति लि0, टकोर चुनार नारायणपुर, चुनार।	काष्ठ कला	कार्यशील मशीन आदि	10,800	6,700
18—रेशा उद्योग सहकारी समिति लि0 नैदी कटारी	रेशा उद्योग	कार्यशील कार्यशील	5,000 3,000	.. ..
19—रेशा उद्योग सहकारी समिति लि0 मैसौड़ वलाय पहाड़।	रेशा उद्योग	कार्यशील	5,000	..
20—द्रव्य संग्रह औषधि निर्माण उद्योग सहकारी समिति लि0 नारायणपुर, चुनार।	वनौषधि	कार्यशील	10,000	..
21—शिल्पकार कल्याण संघ, नारायण, चुनार।	कुम्हारी	कार्यशील भट्टी शेड उपकरण ग्रामो द्योग भंडार जमीन कार्यशाला उपकरण कार्यशील आवर्ती	11,000 4,400 1,320 4,000 1,000 9,000 2,615 4,000	.. 4,400 1,320 1,000 .. .. 2,615 .. 5,500
22—ग्रामीण सेवा केन्द्र, नारायणपुर	मैच उद्योग	उपकरण भवन	2,350 6,000	2,350 ..
23—ग्राम सेवा आश्रम, मुइली ..	काष्ठ कला	भवन मशीन .. कार्यशील यवस्था	1,800 6,000 3,000 ..	1,200 4,000 .. 1,500
24—ग्राम स्वराज्य समिति जमालपुर	खादी	ग्रामोद्योग भंडार।	..	500

1	2	3	4	5
व्यक्तिगत गोबर गैस				
25—शिवनन्दन ग्राम सेभरा ..	गोबर-गैस	प्लान्ट	1,300	..
26—दुक्खीराम सिंह, मगरहा ..	,,	,,	1,600	..
27—रामदास सिंह, रामपुर कोलना	,,	,,	2,200	300
28—अजीत नाथ, चुनार ..	,,	,,	1,600	300
अनाज-दाल				
29—शीतलू, ग्राम कछवा ..	अनाज-दाल	उपकरण	250	250
		कार्यशील	500	..
30—बसन्तलाल, तेलियागंज ..	,,	उपकरण	500	500
		कार्यशील	1,000	..
31—शिवनाथ, कछवा ..	,,	कार्यशील	500	..
		उपकरण	250	250
32—माता प्रसाद, मुजहरा ..	,,	कार्यशील	1,000	..
		उपकरण	500	500
	योग ..		2,09,757—50	50,035 00

पी0एस0यू0पी0—एल0 123 वि0 सभा (538)—1976—840।